छत्तीसगढ़ विधान सभा

की

अशोधित कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

पंचम विधान सभा षष्ठम् सत्र

बुधवार, दिनांक 26 फरवरी, 2020

(फाल्गुन 07, शक सम्वत् 1941)

[अंक 03]

Website Copy

छत्तीसगढ़ विधान सभा

बुधवार, दिनांक 26 फरवरी, 2020

(फाल्गुन 7, शक संवत् 1941)

विधान सभा पूर्वाह्न 11:00 बजे समवेत हुई.

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए)

संसदीय कार्यमंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी मेडिकल चेक-अप के लिए आप अमेरिका गए थे । वहां से आने के बाद हमें जानकारी मिली थी कि आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा हाई है तो आपने अमेरिका में ऐसा क्या किया, यह बता दीजिएगा । (हंसी)

सदन को सूचना

नि:शुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन

अध्यक्ष महोदय :- माननीय सदस्यों हेतु विधान सभा की लाबी में स्थित सदस्य कक्ष में दिनांक 26 फरवरी, 2020 को एस.एम.सी. हार्ट इंस्टीट्यूट एण्ड आई.व्ही.एफ. रिसर्च सेन्टर द्वारा नि:शुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर आयोजित है । कृपया माननीय सदस्य 11 बजे से 5 बजे तक अपना ब्लड प्रेशर चेक करा लें ।

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष जी, चौबे जी, जिनके साथ गए थे तो ऐसे ही ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, प्रश्नकाल । श्री विनोद सेवनलाल चन्द्राकर।

तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर

जिला महासमुन्द में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत प्राप्त राशि

1. (*क्र. 93) श्री विनोद सेवनलाल चन्द्राकर : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला महासमुन्द में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत वर्ष 2017-18 से 31 दिसंबर, 2019 तक कितनी राशि प्राप्त हुई ? वर्षवार जानकारी देवें. (ख) प्राप्त राशि से जिले में किन-किन कार्यों के लिये या दवा, उपकरण क्रय के लिये कब-कब कितनी राशि खर्च की गई, वर्ष एवं कार्यानुसार जानकारी देवें ? (ग) प्रश्नांश "ख" में व्यय राशि एवं कार्यों की क्या शिकायत की गई थी ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई ?

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

पंचायत मंत्री (श्री टी. एस. सिंहदेव) : (क) जिला महासमुंद में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत वर्ष 2017-18 में राशि रुपये 2726.96 लाख, वर्ष 2018-19 में राशि रुपये 4036.37 लाख तथा वर्ष 2019-20 (दिसंबर 2019 तक) राशि रुपये 3858.57 लाख प्राप्त हुई है. (ख) जानकारी †[1] संलग्न प्रपत्र "अ" अनुसार. (ग) जी हां. शिकायत पर कार्यवाही की जानकारी † संलग्न प्रपत्र "ब" अनुसार.

श्री विनोद सेवनलाल चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से मेरा प्रश्न था, जिसमें प्रश्न **ग** में जवाब आया है कि जांच निरंक पाया गया है, जांच में कुछ नहीं पाया गया है, जबकि सूचना के अधिकार में मुझे जानकारी मिली है, जिसमें सी.एम.ओ., महासमुन्द लिखते हैं, बी.एम.ओ. को निर्देशित करते हैं कि जिस अधिकारी के खिलाफ शिकायत है, उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाए । मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि एक अधिकारी वहां लगातार बैठा हुआ है और अनाप-शनाप भ्रष्टाचार करते जा रहा है । उसके खिलाफ कार्यवाही करें, उसको वहां से हटाया जाए, मैं सिर्फ यही आश्वासन चाहता हूं ।

श्री टी. एस. सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो जानकारी चाही थी, वह भी उपलब्ध करा दी गई थी । इसमें जहां तक राशि के उपयोग की बात थी कि किनके हस्ताक्षर से राशि उपलब्ध हुई है । जांच में जो भी बिन्दु आए हैं, उसके हिसाब से भी कार्यवाही होगी । माननीय सदस्य को और भी कोई जानकारी होगी तो उस संदर्भ में भी कार्यवाही होगी और शेष मैं इस संबंध में आपसे और चर्चा कर लूंगा । आपके पास और भी कोई जानकारी होगी तो आप बता सकते हैं ।

श्री कुलदीप जुनेजा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न करना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- आप वहां क्यों जा रहे हैं ?

श्री कुलदीप जुनेजा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिला महासमुन्द में तीन वर्षों से राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत जो राशि प्राप्त हुई है, उसके खर्च का हिसाब आपने जो बताया है, उसमें तो ऐसा लगता है कि अधिकारीगणों का ध्यान दवाइयां और उपकरण खरीदने के बजाय अन्य गतिविधियों में ज्यादा खर्च कर रहे हैं, जबकि दवाइयां नहीं खरीद रहे हैं । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय :- उन्होंने बता तो दिया, जांच करा ली है । चन्द्रदेव राय।

बिलाईगढ़ विधान सभा क्षेत्र के थाना भटगांव में घटित हत्याकांड की जॉच

2. (*क्र. 379) श्री चन्द्रदेव प्रसाद राय : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बिलाईगढ़ विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत थाना भटगांव में घटित मालती बाई हत्याकांड की जांच एवं कार्यवाही

[1] परिशिष्ट "एक"

Uncorrected and unedited/Not for Publication Wednesday, February 26, 2020

अशासकीय/प्रकाशन के लिए नहीं

की वर्तमान स्थिति क्या है ? (ख) हत्याकांड के मामले को सुलझाने में पुलिस प्रशासन द्वारा कौन-कौन सी जॉच टीम गठित की गई है ?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : (क) प्रकरण पर थाना बिलाईगढ़ में अपराध क्रमांक 305/2015 धारा 302 भादवि एवं मर्ग क्रमांक 82/15 पंजीबद्ध किया गया है. प्रकरण की जांच हेतु एस.आई.टी. का गठन किया गया है. एस.आई.टी. द्वारा विवेचना की जा रही है. आरोपी के संबंध में सूचना देने वाले को पुलिस महानिरीक्षक, रेंज रायपुर रु. 30,000/- एवं पुलिस अधीक्षक, जिला बलौदा-बाजार द्वारा रु. 10,000/- का ईनाम देने की घोषणा की गई है. (ख) हत्या के उक्त मामले को सुलझाने हेतु पृथक-पृथक 06 एस.आई.टी. टीमों का गठन किया गया है.

श्री चन्द्रदेव प्रसाद राय :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जो प्रश्न किया था, वह मेरे विधान सभा क्षेत्र का सबसे चर्चित घटना मालती बाई हत्याकांड के मामले से जुड़ा हुआ है । मैंने प्रश्न किया था, उसकी जानकारी भी मंत्री जी ने दी है । उन्होंने 6 एस.आई.टी. टीम गठित करने की बात की है । मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मालती बाई हत्याकांड में इन 6 एस.आई.टी. टीम में कौन-कौन से अधिकारी इस दल में शामिल रहे ? दूसरा प्रश्न, अभी वर्तमान में कुछ अपराधी पकड़े गए हैं । क्या वे पकड़े गए अपराधी मूल अपराधी हैं या फिर इस मामले में और भी लोग शामिल हैं?

श्री ताम्रध्वज साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, उसमें उन्होंने एस.आई.टी. की बात कही है । चूंकि प्रारंभ में अपराधी अज्ञात था इसलिए जांच की कार्यवाही अलग-अलग चल रही थी और पहले जैसे एस.आई.टी. का गठन हुआ तो जो उसका मुख्य नेतृत्वकर्ता था, उसका नाम मैं बता देता हूं । 6-7 अधिकारियों की टीम थी । पहली बार जो एस.आई.टी. का नेतृत्व कर रहे थे, वह निरीक्षक प्रणाली वैद्य, क्राईम स्क्वाड बलौदाबाजार, दूसरी टीम में एस.आर. अहिरवार, एस.डी.ओ.पी., बिलाईगढ़, तीसरी टीम में एस.आर. अहिरवार, एस.डी.ओ.पी., बिलाईगढ़, चौथी टीम में पुलिस अधीक्षक, बलौदाबाजार, पांचवीं टीम में संजय कुमार ध्रुव, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, बलौदाबाजार, छठवीं टीम में संजय तिवारी, अनुविभागीय अधिकारी, बिलाईगढ़ थे । आपने जो दूसरी बात कही, उसमें जो दो अपराधी अभी तुरंत जिस दिन आपको उत्तर दिया गया, उस दिन नहीं पकड़े गए थे। 20.2 को अजीत कुर्रे और 23.2 को साहिब लाल बघेल, ये दो अपराधी गिरफ्तार हुए हैं और उनको जेल भेज दिया गया है । आपने जो पूछा कि यही दो मूल हैं कि और हैं, तो अभी विवेचना जारी है । उसके बाद और कुछ होगा तो सामने आ जायेगा ।

श्री चन्द्रदेव प्रसाद राय :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से हम लोग जनप्रतिनिधि हैं और जवाबदेही पदों पर हैं । अभी कुछ दिन पहले की घटना है कि हमारे जनप्रतिनिधि पुलिस से किसी बात पर निवेदन करते हैं तो बद्तमीजी करने में उतर आते हैं । ऐसी कई घटनायें हुई है और हमारे कसडोल विधायक ने भी अपनी बात रखी है । जब ऐसी कोई बात होती है, हम पुलिस अफसर से बात

अप्रमाणित/पुनरीक्षण के लिए नहीं

करते हैं, क्षेत्र के विषय में चर्चा करते हैं, तो वे संतोषप्रद जवाब नहीं देते हैं । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आने वाले समय में क्या पुलिस अधिकारी जनप्रतिनिधियों को संतोषप्रद जवाब देंगे या उसे गंभीरता से लेंगे ?

श्री ताम्रध्वज साहू :- सम्माननीय अध्यक्ष जी, अगर ऐसा कोई प्रकरण है तो जानकारी दे दें, इसमें विभाग अपनी ओर से आदेश जारी कर देगा कि हमारे जनप्रतिनिधियों से सम्मानजनक व्यवहार करें । उनके जो प्रश्न हैं, उनकी जानकारी उनको दें, छिपाने की जरूरत नहीं है ।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पुलिस के अधिकारी के बारे में बोल रहे हैं कि विधायक से उन्होंने दुर्व्यवहार किया । गोल-गोल जवाब देने के बजाय
आपको उनसे यह पूछना चाहिये कि कौन अधिकारी ने दुर्व्यवहार किया है, उसको निलंबित करने की घोषणा कर दीजिए । माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर विधायकों के साथ पुलिस अफसर बदतमीजी करे, दुर्व्यवहार करे तो यह तो बहुत दर्दनाक और शर्मनाक विषय है । मंत्री जी, इसलिए हम इनकी ओर से खड़े होकर ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने इसमें यह बताया है कि छैः एस.आई.टी. गठित की गई, तो छैः एस.आई.टी. एक ही मुद्दे की जांच कर रही है कि छैः एस.आई.टी. एक मुद्दे के किन-किन बिन्दुओं की जांच कर रही है और छैः एस.आई.टी. के निष्कर्ष अलग-अलग हैं या एक ही है ?

श्री ताम्रध्वज साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, छैः एस.आई.टी. कोई अलग-अलग मुद्दे पर गठन नहीं हुआ है । मैंने पहले कहा कि पहले गठन हुआ, उसमें अधिकारी का ट्रांसफर हुआ तो दूसरे को जिम्मेदारी दी गई यानी छैः बार हुआ है । हत्या किसने की है, इसी की जांच के लिए वह जांच दल है और कोई अलग-अलग नहीं है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें लिखा है । आपसे एक आग्रह है कि उत्तर आ जाये । मैंने बहुत ही स्पेसिफिक कहा है कि छैः एस.आई.टी., मानलो अधिकारी का ट्रांसफर हो गया, एस.आई.टी. तो छैः ही मानी जायेगी, अधिकारी दूसरा आया माना जायेगा । एक ही माना जायेगा । एक ही काण्ड में छैः एस.आई.टी. एक ही मुद्दे में जांच की है कि अलग-अलग मुद्दे में जांच की है कि उनके निष्कर्ष अलग-अलग थे कि एक ही थे, मैंने यह पूछा है ? माननीय अध्यक्ष महोदय, अधिकारी बदले उसके बाद भी वह एक ही मानी जायेगी । छैः का छैः माना जायेगा, ऐसा कभी नहीं रहा है कि अधिकारी बदल जाये तो उसकी गिनती बदल जाये ?

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, माननीय शर्मा जी ।

श्री अजय चन्द्राकर :- उत्तर तो दिलवा दीजिए, माननीय अध्यक्ष महोदय ?

अध्यक्ष महोदय :- संतुष्ट हो जाईये ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी का अपने आप में विचित्र जवाब है कि एक हत्या के प्रकरण में छैः एस.आई.टी. गठन हुआ है ।

अध्यक्ष महोदय :- उसी बात को आप रिपीट कर रहे हैं ।

श्री शिवरतन शर्मा :- अध्यक्ष जी, यह सरकार एस.आई.टी. गठन करने वाली सरकार है । एस.आई.टी. का परिणाम क्या है । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि आपने कहा है कि छैः एस.आई.टी. गठन हुई है, किस एस.आई.टी. ने किसके नेतृत्व में जो एस.आई.टी. गठन थी, जिसमें अपराधियों को पकड़ा और पांच एस.आई.टी. जो शेष रह गई, उन्होंने क्या-क्या काम किया, इसकी जानकारी दे दीजिए ?

अध्यक्ष महोदय :- आपको विस्तृत जानकारी उपलब्ध करा दी जायेगी । श्री आशीष कुमार छाबड़ा ।

श्री शिवरतन शर्मा :- किसने पकड़ा, यह तो बता दें माननीय अध्यक्ष महोदय ?

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसको पूरा सदन जानना चाहता है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- यह जनता से बहुत ही संबंधित मामला है । इस विषय पर ...(व्यवधान)

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष जी, पूरी दुनिया में अमेरिका से लेकर छत्तीसगढ़ तक एक मामले में छैः एस.आई.टी. आज तक हुआ ही नहीं है । रिसर्च करवा लीजिए । हुआ ही नहीं है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- खोलवा लीजिए ।

श्री धर्मजीत सिंह :- छत्तीसढ़ बनने के बाद आज तक नहीं बनी है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- अधिकारी ने विधायक से दुर्व्यवहार किया है । (व्यवधान)

श्री धर्मजीत सिंह :- न्यूयार्क और वाशिंगटन से लेकर रायपुर और बलौदाबाजार तक कहीं भी छैः एस.आई.टी. का गठन नहीं हुआ है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- नहीं हुआ । इसलिए यह मामला सदन में प्रदेश के सामने आना चाहिये । (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- मंत्री जी का जवाब आ रहा है कि छैः एस.आई.टी...(व्यवधान)

श्री धर्मजीत सिंह :- आखिर इस तरह से छैः एस.आई.टी. के गठन का औचित्य क्या है अध्यक्ष जी ? जनता यह जानना चाहती है, विपक्ष यह जानना चाहता है, सदन यह जानना चाहता है, आप अपने तर्कों से उसे सिद्ध करिये ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, झीरम घाटी जैसे विषयों पर एक एस.आई.टी. काम कर रही है । इसमें छैः-छैः एस.आई.टी. है, प्रश्न के उत्तर में है ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी का जो जवाब आया कि अधिकारी बदल गये, कोई भी जांच कमेटी बनेगा तो अधिकारी बदलेगा तो नया थोड़ी हो जायेगा ? 6 अधिकारी बदल जाए, 07 अधिकारी बदल जाएं वह तो एक ही कहलायेगा ना? 06 एस.आई.टी. कैसे हुआ? मंत्री जी का जवाब नहीं आ रहा है। छः एस.आई.टी. कहा तो एक प्रकरण में छः एस.आई.टी. कैसे रहेगी? तो उसका जवाब आना चाहिए, जवाब नहीं आया है।

श्री ताम्रध्वज साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने स्पष्ट कहा है कि एस.आई.टी. का गठन हुआ, अधिकारी का स्थानांतरण हो गया तो दूसरी कमेटी बनाई गई। प्रकरण एक है और अज्ञात होने के कारण अपराधी कौन है सिर्फ उसी की जानकारी के लिए बनाई गई, उसी काम के लिए बनायी गयी। अब उसको हम छः बार लिख दिये हैं कि वह छः बार क्योंकि अध्यक्ष महोदय आदेश तो देना ही पड़ेगा। पहले जो अधिकारी हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, यह सीधे-सीधे सदन को गुमराह करने की बात हो रही है।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, फिर तो इसकी प्रताड़ना मिलनी चाहिए। यह तो और गलत उत्तर है। छः एस.आई.टी. स्वीकार किया तो फिर नंबर में कैसे होगा? जब विधानसभा में उत्तर आया है तो इसे छः एस.आई.टी. माना जायेगा। ये गुमराह किया जा रहा है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए।

श्री शिवरतन शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी यह जानकारी दे दें कि यह छः एस.आई.टी. के इंचार्ज कौन-कौन थे और ये एस.आई.टी. कब-कब गठित की गई?

श्री ताम्रध्वज साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो पहले ही बता दिया हूं कि यह कब-कब गठित की गई है।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, उत्तर में यह छः एस.आई.टी. लिखा हुआ है, छः एस.आई.टी. की बात कही गई है। या तो फिर विधानसभा को गुमराह किया जा रहा है, या तो विधानसभा का मजाक उड़ाया जा रहा है। छः एस.आई.टी. मतलब छः एस.आई.टी. होती है इसका और कोई दूसरा आशय नहीं है। अधिकारी बदल गए, ये बदल गए यह नहीं होगा। आपको ऐसा लिखना था कि अधिकारी बदल गए इसलिए ऐसा किया गया। प्रिंट होने के बाद उसे ऐसा नहीं कह सकते।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, छः एस.आई.टी. के इंचार्ज कौन-कौन थे और यह कब-कब गठित की गई, आप इसे बताईये? माननीय अध्यक्ष महोदय, हत्या के मामले को मजाक बना दिया गया है। उस संबंध में विधायक बात कर रहे हैं तो विधायक से दुर्व्यवहार किया जा रहा है। आप बताईये ना कि कौन-कौन इंचार्ज थे और यह एस.आई.टी. कब-कब गठित की गई?

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मानलो जैसे रायपुर का कलेक्टर बदल गया तो दूसरा कलेक्टर आ गया पर कलेक्टरेट तो वही रहता है ना। तो एस.आई.टी. की कमेटी बन गई उसमें जो

अप्रमाणित/प्रकाशन के लिये नहीं

उसका इंचार्ज अफसर है हट गया तो दूसरा आ जायेगा। ये छः, नौ, दस बनाने की कोई जरूरत नहीं है। भारत वर्ष सहित पूरी दुनिया में कहीं भी एक घटना के लिए छः एस.आई.टी. नहीं बनी है इसलिए हम आपसे आग्रह कर रहे हैं।

श्री ताम्रध्वज साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, तारीख सहित मैंने बता दिया है कि इसमें चार एस.आई.टी. बी.जे.पी. के कार्यकाल में गठित है और हम लोगों के आने के बाद मात्र एक गठित हुई है, चेंज हुआ है। तो चार आपने कैसे गठित किया आप बता दीजिए?

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सरकार, उस सरकार की बात नहीं है, छः एस.आई.टी. कब-कब गठित की गई, उनके जांच के बिंदु क्या तय किए गए?

श्री ताम्रध्वज साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें चार तो आपने गठित की है।

श्री बृहस्पत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, मूल प्रश्नकर्ता को प्रश्न करने नहीं दिया जा रहा है। मूल प्रश्नकर्ता को प्रश्न पूछने दिया जाए, ये हाईजेक न किया जाए। ये हाईजेक करना बंद करें।

श्री चन्द्रदेव प्रसाद राय :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक गरीब लड़की की आबरू लूट ली जाए और जघन्य हत्या कर दी जाए ये एक बहुत ही गंभीर विषय रहा है। मैं माननीय गृह मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि आपकी सरकार बनने के बाद क्योंकि ये पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल के समय की घटना है, आपने इसकी गंभीरतापूर्वक जांच कराई है, आपको मैं सदन के माध्यम से धन्यवाद देता हूं कि एक दलित लड़की को न्याय मिला है। पूर्ववर्ती सरकार के समय वह दलित लड़की दर-दर भटकती रही है, उसे कहीं न्याय नहीं मिला लेकिन आपने जांच कराई लेकिन जो बातें और हैं, शेष अगर कोई और मूल उसमें छिपा है उसे भी आप जांच करा दीजिए। मैं आपके पुलिस विभाग को धन्यवाद दूंगा, पुलिस प्रशासन को धन्यवाद दूंगा कि आपने जितनी भी जांच की है उसमें कहीं कोई विषय नहीं है।

अध्यक्ष महोदय :- अगला प्रश्न श्री आशीष कुमार छाबड़ा।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी से केवल इतना ही आग्रह है कि जो एस.आई.टी. का गठन हुआ, अब वह छः एस.आई.टी. हो गई, एक घटना है तो कृपया केवल इतना बता दें कि उसके जांच के बिन्दु क्या-क्या हैं और उसमें कहां तक परिणाम में पहुंचे हैं? मंत्री जी, इतना तो बता दें? जो छः एस.आई.टी. है तो उसके जांच के बिन्दु निर्धारित किए होंगे और जांच के क्या-क्या बिन्दु हैं, इसे मंत्री जी बतायेंगे?

श्री बृहस्पत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, आपने आशीष कुमार छाबड़ा का नाम पुकार दिया है, वह प्रश्न पूछेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- मैं देख रहा हूं ना, आप ही लोग व्यवस्था देने लग जाते हैं।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार से जवाब लिया जाता है। अब हम लोगों से ये है, जब ये फिर इधर आ जायेंगे तो हम लोग बोलेंगे। (हंसी) अभी तो वे उधर बैठे हैं। तो जब उधर बैठे हैं तो जवाब तो उन्हीं को देना पड़ेगा।

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष महोदय, मेरा तो स्पष्ट मत है। ये प्रश्नोत्तर (व्यवधान) विधानसभा को जो गुमराह किया गया है, उसका सवाल है।

अध्यक्ष महोदय :- मैं आपको जवाब अलग से दिला देता हूं।

श्री धरमलाल कौशिक :- अध्यक्ष महोदय, नहीं, अलग से मत दिलवाईये न। प्रश्न का जवाब तो यहीं आयेगा। आपसे चेंबर में अलग से मिल लेंगे और कक्ष में आपसे अलग से बात कर लेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी। उसमें कोई बिन्दु नहीं बदले हैं।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय मंत्री जी, जो 6 एस.आई.टी. गठन किये हैं, उसकी जांच के बिन्दु क्या-क्या थे ? कृपया इतना तो बता दीजिए।

गृहमंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) :- हत्यारा कौन है, यह जांच का बिन्दु है।

श्री शिवरतन शर्मा :- अभी तो आपने कहा कि हत्यारा पकड़ा गया।

श्री धरमलाल कौशिक :- अभी तो एस.आई.टी. गठन हुआ।

श्री शिवरतन शर्मा :- विधानसभा में स्पष्ट प्रश्न किये हैं। आपने 6 एस.आई.टी. गठित की।

श्री अजय चंद्राकर :- विधानसभा में आप बता रहे हो।

श्री शिवरतन शर्मा :- विधानसभा में आप बता रहे हो। इसके क्या-क्या बिन्दु तय किये थे, आप यह बता दो। कब-कब गठित की गई, यह बता दो। विधायक से दुर्व्यवहार हुआ, उस पर क्या कार्यवाही करोगे, यह बता दो। विधायक (व्यवधान) उस पर क्या कार्यवाही करोगे यह बता दो।

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष महोदय, यह विधानसभा की अवमानना का सवाल है, प्रश्न उत्तर आने का सवाल नहीं है। विधानसभा की अवमानना का सवाल है, जो प्रिंट है, उसका उत्तर आना चाहिए। इसमें कोई गोल-मोल नहीं होती। ये हम आपकी गरिमा के लिये लड़ रहे हैं, विधानसभा की गरिमा के लिये नहीं लड़ रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। पूरक प्रश्न में एक प्रश्न पूछे जाते हैं, आप 6-6 प्रश्न को उसमें पूछ रहे हैं।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह विधायक से दुर्व्यवहार का मामला है। विधायक से दुर्व्यवहार का मामला है।

श्री धरमलाल कौशिक :- नहीं-नहीं, प्रश्न का उत्तर आ जायेगा तो नहीं पूछेंगे न। एक घटना में 6 एस.आई.टी. है।

अप्रमाणित/असंशोधित के लिए नहीं

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- अध्यक्ष जी, इनके समय का घटना है, 4-4 एस.आई.टी. (व्यवधान) पहला एस.आई.टी का गठन कर रहे हैं तो आप लोगों को तकलीफ क्या है ?

अध्यक्ष महोदय :- फिर आप लोग घुमाने की कोशिश कर रहे हो। (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- हां जरूरत है तो स्थापित कर दो। (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- घटना किसी भी समय का हो। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- आप लोग बैठिये न।

श्री अमरजीत भगत :- 4-4 एस.आई.टी. अगर जांच नहीं कर पाई तो 6 कर अगर दो और कर दिया गया तो आप लोगों को तकलीफ क्यों हो रही है ?

श्री मोहन मरकाम :- माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य, माननीय मंत्री जी के उत्तर से संतुष्ट हैं। विपक्ष का कुछ मुद्दा नहीं है, माननीय सदस्य संतुष्ट हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय विधायक, चन्द्रदेव प्रसाद राय के साथ पुलिस अधिकारियों ने दुर्व्यवहार किया, इसकी शिकायत सदन में की। माननीय मुख्यमंत्री जी उस दुर्व्यवहार पर अधिकारी के खिलाफ क्या कार्यवाही की घोषणा करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय :- देखिये, इस प्रश्न के बारे में मैं अलग से माननीय मंत्री जी से जानकारी लूंगा। आप लोग शांतिपूर्वक विराजे रहिये। मैं भी जानना चाहता हूं कि एक ही किसी भी प्रकरण में क्या 6-6 एस.आई.टी गठित हो सकते हैं ? (मेजों की थपथपाहट)

श्री शिवरतन शर्मा :- विधायक के दुर्व्यवहार का मामला है।

श्री विनोद सेवनलाल चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय....।

अध्यक्ष महोदय :- बैठो, आपका प्रश्न आ गया है।

<u>जनपद पंचायत बेरला के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के विरूद्ध अवैध वसूली की प्राप्त शिकायत पर कार्यवाही</u>

3. (*क्र. 476) श्री आशीष कुमार छाबड़ा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या वर्ष 2019 से 03.02.2020 जनपद पंचायत बेरला के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के विरूद्ध अवैध वसूली की शिकायत सरपंच व सचिवों द्वारा की गई थी ? यदि हां, तो संबंधित अधिकारी पर क्या कार्यवाही की गई ?

पंचायत मंत्री (श्री टी. एस. सिंहदेव) : जी हां. जनपद पंचायत बेरला के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री शिशिर शर्मा के विरूद्ध नरवा, गरूवा, घुरवा और बाड़ी के नाम राशि रु. 200.00 का बीज देकर रुपये 2000.00 वसूलने तथा मतदान केन्द्र का राशि रु. 1500.00 नहीं देने सरपंच/सचिवों द्वारा की

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

गई शिकायत की जांच श्री बी.आर.मोरे, परियोजना अधिकारी, जिला पंचायत बेमेतरा से कराई गई. जांच प्रतिवेदन के अवलोकन पश्चात् छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम खण्ड दो भाग 03 नियम 10 की कंडिका (04) के तहत श्री शिशिर शर्मा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी बेरला की एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने का प्रस्ताव अनुशंसा सहित कार्यालय कलेक्टर (विकास) बेमेतरा के पत्र क्र./5542/जिं.पं./स्थापना/2019 बेमेतरा दिनांक 18.11.2019 द्वारा आयुक्त, दुर्ग संभाग, दुर्ग छ.ग. को प्रेषित किया गया है.

श्री आशीष कुमार छाबड़ा (बेमेतरा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने आपके माध्यम से जो माननीय मंत्री जी से सवाल पूछा था। बेरला में पदस्थ जनपद के सी.ई.ओ. ने सरकार की महत्वपूर्ण योजना नरवा, गरवा, घुरूवा, बाड़ी के तहत 200 रूपये बीज को दो हजार रूपये की वसूली सरपंच सचिवों के माध्यम से की गई थी। (शेम-शेम की आवाज) साथ ही साथ पोलिंग बूथ के 1500 रूपये भी जो मतदान के समय मतदान केन्द्र में आते हैं, वह सी.ई.ओ. के द्वारा संबंधित पंचायत को नहीं दिया गया था, उसमें जांच भी हुई और जांच के द्वारा अधिकारी ने उसको दोषी भी पाया गया। माननीय मंत्री जी से मुझे पूरा विश्वास है कि उस पर कार्यवाही करेंगे और साथ ही साथ एक और निवेदन मैं मंत्री जी से करना चाहूंगा कि इसके पूरे कार्यकाल की यह तो एक छोटा सा मुद्दा है। जब से बेरला जनपद में पदस्थ हैं, तब से आज तक इसके पूरे कार्यकाल की अगर जांच की जाये तो बहुत सारे भ्रष्टाचार की और जानकारियां वहां से प्राप्त हो पाएगी।

पंचायत मंत्री (श्री टी.एस. सिंहदेव) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जिस बात को उठाया है ये प्रमाणित भी हुआ है। प्रथम दृष्टया व्यक्ति दोषी भी पाये गये हैं, इनका तबादला भी हुआ था। किन्तु माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार उनको पुन: वहां रहने का अवसर मिला है। इस प्रकरण में भी जांच भी हुई है, कार्यवाही भी हुई है और भी कार्यवाही लंबित है। मैं संतोषजनक यह भी सदन में कहना चाहता हूं कि और भी अगर आवश्यक होगी वह भी कार्यवाही होगी।

श्री अजीत जोगी :- निलंबित कर दीजिए न, मंत्री जी, उसको निलंबित कर दीजिए।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- जितने प्रकरण शिकायत के इनके संबंध के हैं, अगर सदस्य ने चाहा है।

श्री अजीत जोगी :- जब इतना गंभीर है तो निलंबित कर दीजिए।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- उचित कार्यवाही होगी मैं इसका आश्वासन देता हूं।

श्री धर्मजीत सिंह :- जोगी जी, यह बोल रहे हैं कि ट्रांसफर में स्टे है, निलंबन में कोई स्टे नहीं है, विधानसभा में सस्पेंड कर दीजिए।

श्री अजय चंद्राकर :- क्या आपको निलंबित करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। यह स्पष्ट कीजिए।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- आदरणीय जोगी जी की भी मंशा और सदस्य की मंशा मुझे लगता है कि आज ही आपको पता चल जायेगा, जरूर उसकी पूर्ति होगी।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अजय चंद्राकर :- ओ के ।

श्री आशीष कुमार छाबड़ा :- बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- श्री कुंवर सिंह निषाद।

<u>गुण्डरदेही विधान सभा क्षेत्र की PMGSY सड़कों का संधारण</u>

4. (*क्र. 87) श्री कुंवर सिंह निषाद : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र गुण्डरदेही अंतर्गत PMGSY की कितनी सड़क है ? (ख) प्रश्नांक "क" अनुसार कितनी सड़क जर्जर अवस्था में हैं ? तथा इनके रिपेयरिंग की क्या समयावधि है? (ग) जर्जर सड़कों की रिपेयरिंग की क्या योजना है ?

पंचायत मंत्री (श्री टी. एस. सिंहदेव) : (क) विधानसभा क्षेत्र गुण्डरदेही अंतर्गत PMGSY की कुल 81 सड़कें है. (ख) प्रश्नांक "क" अनुसार गुण्डरदेही विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कोई भी सड़क जर्जर स्थिति में नहीं है. सड़क निर्माण पूर्णता उपरांत 05 वर्ष तक नियमित संधारण अनुबंधित ठेकेदार द्वारा किया जाता है, तत्पश्चात् बजट उपलब्धता के अनुसार प्राथमिकता क्रम में नवीनीकरण का कार्य किया जाता है. (ग) प्रश्नांक "ख" अनुसार कोई भी सड़क जर्जर नही है. निर्मित 19 सड़कों की नियमित संधारण की 05 वर्ष की अवधि समाप्त हो चुकी है. नियमित संधारण की 05 वर्ष अवधि पूर्ण 19 सड़कों में से 07 सड़कें PMGSY-III में स्वीकृत है. शेष 12 सड़कों की संधारण/मरम्मत का कार्य बजट उपलब्धता के अनुसार प्राथमिकता के आधार पर किया जाना संभव होगा.

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय पंचायत मंत्री जी से मैंने निवेदन किया था कि गुण्डरदेही विधानसभा में कितने सड़क हैं जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से संचालित हैं। मुझे 81 जवाब आया है लेकिन उल्लेखित केवल 19 सड़कों का हुआ है। इसमें 7 सड़कों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और 12 में निर्माण कार्य प्रगति पर है, ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन लगातार व्यवस्तता और दौरे के बाद मैंने देखा है कि जो स्थिति 62 सड़कों की है, माननीय पंचायत मंत्री जी को जो अधिकारी बता नहीं पाये कि ये सड़क चलने लायक नहीं है, लेकिन उसमें लिखा है कि सड़क की हालत बिल्कुल खराब नहीं है, जर्जर नहीं है। यदि आपको अधिकारीगण ने गलत जानकारी दी है तो मैं चाहता हूँ कि उस अधिकारी पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, जिन्होंने आपको पूरी जानकारी नहीं दी है और मैं कहना चाहूंगा..।

अध्यक्ष महोदय :- आप प्वाईंटेड प्रश्न करिये।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जी। पिछले सप्ताह मैं भुरकाभाठ से हडगहनघिना मार्ग पर गया था तो मैंने वहां प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अधिकारी से बात की थी।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

मैंने स्पष्ट कहा है कि मुझे इनोवा कार में 3 किलोमीटर की सड़क में जाने में 10 मिनट का समय लगा है तो सोचिए कि जो पैदल, साईकिल, मोटरसाईकिल से चल रहे हैं उसको वहां जाने में कितनी देर लगेगी ?

अध्यक्ष महोदय :- वह जल्दी पहुंचेंगे। आप हिसाब लगाईये।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- नहीं। मैं कहानी सुना रहा हूँ तो इसीलिए सुना रहा हूँ क्योंकि मैंने पिछले सदन में भी यही बातें रखी थीं। मैंने हडगहन से घिना, भुरकाभाठ मार्ग के विषय में माननीय मंत्री जी के जहन लायी थी। 35 सालों से वह सड़क निर्माण नहीं हुई। आज भी अधिकारी के द्वारा उसको यह बताया जा रहा है कि सड़क की हालत जर्जर नहीं है। इसमें मुझे पूरी कार्यवाही चाहिए। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करता हूँ कि ये सड़कें कब तक बन जाएगी, मुझे आश्वस्त करें।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, संदर्भित विधान सभा में 81 सड़कें जो PMGSY की हैं उसकी हम लोगों ने जानकारी दी है। इनमें जैसा हम सब जानते हैं कि इनके निर्माण और रखरखाव की 3 श्रेणियां होती हैं। एक 5 साल तक निर्माण की सड़कें कार्य पूर्ण होने के बाद, जिसका संधारण संबंधित कांट्रेक्टर के माध्यम से होता है। दूसरी श्रेणी 5 साल से 10 साल की अवधि की सड़कें, जिनका संधारण राज्य सरकार के बजट और जो उपलब्ध राशि करायी जाती है, उसके माध्यम से हो पाता है। तीसरा 10 साल से अधिक समय की सड़कें, जिनका फिर संधारण जो PMGSY फेस-3 के नाम से कहा जा रहा है केन्द्र सरकार से पुनः अनुमति, स्वीकृति लेकर और उन सड़कों का उन्नयन, चौड़ीकरण होता है। ये तीन श्रेणी की सड़कें हैं। माननीय सदस्य ने जो जानना चाहा कि 19 सड़कों का ही उल्लेख क्यों हुआ। उसका कारण केवल यह है कि 5 साल से ऊपर की सड़कों की जवाबदारी जो राज्य सरकार की बनती है उसके बारे में हम लोगों ने जानकारी दी है। शेष 62 सड़कों में से और जानकारी सड़कवार ले लूंगा, मैं एक-एक सड़क की जानकारी नहीं बता पाऊंगा। आपसे जानकारी ले लूंगा। अगर कोई भी सड़क ऐसी होगी, जिसमें संधारण की आवश्यकता है फण्डस् उपलब्ध होंगे। 5 सालों के अंदर फण्ड्स की आवश्यकता नहीं है, कॉन्ट्रेक्टर को संधारण करना है या उनकी जो अनुबंधित राशि रहती है उसके माध्यम से करा लिया जाता है। मैं आपसे वह 5 साल की सड़कों का कहीं भी जानकारी लेकर करा दिया जायेगा, अविलंब करवा देंगे।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय विधायक जी आपका प्रश्न बड़ा विस्तृत है। आप माननीय मंत्री जी के पास कमरे में चले जाएं और पूरी जानकारी ले लें।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- जी। पापरा से पिरीद मार्ग 45 सालों से लोग उस मार्ग के निर्माण के लिए तरस रहे हैं । मैं पापरा से पिरीद मार्ग केवल एक मार्ग का बता रहा हूँ। 45 साल हो गये। बहुप्रतिक्षित मांग है। मुझे आज तक वह पता नहीं है कि शासन की योजना में क्यों शामिल नहीं है।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री टी.एस.सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम सब जान रहे होंगे या जानना चाहिए कि PMGSY का अब नई सड़क लेने का प्रावधान खत्म हो गया है। वह लॉक हो गया तो अगर वह PMGSY की सड़क है, जिसको आप 45 सालों का कह रहे हैं तो उसमें अवश्य काम करेंगे और अगर वह PMGSY के घोषित नेटवर्क में नहीं है तो फिर पी.डब्ल्यू.डी. के माध्यम से पता करके लिख दूंगा और आपको बता भी दूंगा।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- जी।

श्री अजय चन्द्राकर :- इस वर्ष आपके पास संधारण के लिए कितना पैसा है और कितनी सड़कों में संधारण के लिए राशि लग गई, ये बता सकते हैं।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वह बजट में आ जाएगा। बाकी में आपको बता दूंगा।

<u>प्रदेश के शासकीय मेडिकल कॉलेज में 0-1 साल के बच्चों की मृत्यु</u>

5. (*क्र. 418) श्री अरूण वोरा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश के शासकीय मेडिकल कॉलेज रायपुर, राजनांदगांव, बिलासपुर, रायगढ़, अंबिकापुर में वर्ष 2017, 2018 एवं 2019 में शून्य से 1 वर्ष तक के कुल कितने बच्चों की मृत्यु हुई है? इन मृत्यु का मुख्य कारण क्या है ? (ख) इन शासकीय मेडिकल कॉलेज में शिशु रोग विभाग में कुल कितने असिस्टेंट प्रोफेसर एवं प्रोफेसर के पद स्वीकृत हैं ? एवं वर्तमान में कितने पद रिक्त हैं ?

पंचायत मंत्री (श्री टी. एस. सिंहदेव) : (क) प्रदेश के शासकीय मेडिकल कॉलेज रायपुर, राजनांदगांव, बिलासपुर, रायगढ़, अम्बिकापुर में वर्ष 2017, 18 एवं 2019 में शून्य से 1 वर्ष तक के क्रमशः 2531, 2646 एवं 2527 बच्चों की मृत्यु हुई है. इन मृत्यु का मुख्य कारण प्रसवकालीन श्वास अवरोध (Birth Asphyxia), संक्रमण (Sepsis), निमोनिया, एक्यूट इनसेफलिटिस सिंड्रोम, एनेमिया (Anaemia), इत्यादि है. (ख) इन शासकीय मेडिकल कॉलेज में शिशु रोग विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के 15 एवं प्रोफेसर के 5 पद स्वीकृत हैं. स्वीकृत पद के विरूद्ध वर्तमान में असिस्टेंट प्रोफेसर 4 एवं प्रोफेसर के 2 पद रिक्त है.

श्री अरूण वोरा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि प्रदेश में शासकीय मेडीकल कॉलेजों में वर्ष 2017-18, और 2019 में शून्य से एक वर्ष तक बच्चों के संदर्भ में मेडीकल कॉलेजवार जानकारी देने का कष्ट करेंगे।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने ये संवेदनशील प्रश्न उठाया है और आपने मेडीकल कॉलेजवार पूछा है तो मैं मेडीकल कॉलेजवार जानकारी दे देता हूँ। भीमराव अम्बेडकर अस्पताल रायपुर में 2647 प्रकरण वर्ष 2019 के दर्ज हुए थे। बिलासपुर 3152, राजनांदगांव 3,214, रायगढ़ 2,806, अंबिकापुर 4155, जगलदपुर 3,469 और डी.के.एस. में 416 सुपर

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

स्पेशियालिटी । वर्ष 2018 में क्रमश: 2870, 2291, 3843, 2549, 3628, 2934, 73, ये डी.के.एस. चालू ही हुआ था। वर्ष 2017 में क्रमश: 2449, 2421, 3006, 2398, 3965, 2720, डी.के.एस. प्रारंभ नहीं हुआ था, इस कारण से शून्य है। इतने रजिस्टर हुए थे।

श्री अरूण वोरा :- मैंने 0-1 साल के बच्चों की भी मृत्यु की जानकारी मांगी थी।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- इसमें बच्चों की जो मृत्यु हुई है, वर्ष 2010 में 3095, वर्ष 2018 में 3389, वर्ष 2019 में 3310 बच्चों की मृत्यु हुई है। भले ही ये आंकड़ा थोड़ा सा कम ऐसा दिख रहा है, लेकिन बच्चों की मृत्यु एक संवेदनशील विषय है, अगर इसमें कहीं भी कमी होगी तो अवश्य इसमें हम लोग ध्यान देंगे। अगर आप क्रमश: चाहेंगे तो मैं आपको जानकारी भी दे दूंगा कि प्रत्येक अस्पताल में कितनी मृत्यु हुई है।

श्री अरूण वोरा :- इसके साथ में शून्य से लेकर के 1 माह के बच्चों की मृत्यु हुई है।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- ये मैंने 1 साल तक की ही जानकारी बताई है।

श्री अरूण वोरा :- 1 साल और 1 माह तक की?

श्री टी.एस.सिंहदेव :- हॉ जन्म से 1 साल तक।

श्री अरूण वोरा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता था कि शून्य से 1 माह तक के कितने बच्चों की मृत्यु हुई है?

श्री टी.एस.सिंहदेव :- मैं जानकारी उपलब्ध करा दूंगा।

श्री अरूण वोरा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वर्ष 2017, 2018 और 2019 में शिशु मृत्यु दर कितनी थी?

श्री टी.एस.सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2017 में 18.24, वर्ष 2018 में 18.63 और वर्ष 2019 में 16.66 प्रतिशत थी। यह आपको थोड़ा कम होता हुआ दिख रहा है, उस हद तक संतोष किया जा सकता है, लेकिन ये शून्य प्रतिशत के आसपास होना चाहिए, ये हम लोगों का प्रयास है।

श्री अरूण वोरा :- क्या इस बारे में कुछ कार्यवाही की गई है?

श्री टी.एस.सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हर तरह से व्यवस्था बनाकर बच्चों को समय से सुविधा मिल सके, ये प्रयास किया जा रहा है। अगर हम देखेंगे तो अस्पताल में जन्में बच्चों की मृत्यु दर कम पाई जायेगी, अस्पताल में बाहर से लाए हुए बच्चों की मृत्यु दर और प्रतिशत ज्यादा दिखेगा। दुर्भाग्य से कारण यह बनता है कि जब बच्चा गंभीर हो जाता है, तब दूरस्थ इलाकों के लोग जब बच्चों को अस्पतालों में लाते हैं तो कई बार देरी भी हो जाती है और स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। यह और जागरूकता हो कि अगर आप महसूस कर रहे हैं कि बच्चों की थोड़ी सी भी सामान्य से ज्यादा स्थिति खराब है तो ऐसे अस्पतालों में जहां ये सुविधायें उपलब्ध हैं, वहां तत्काल ले जायें।

अप्रमाणित/असंशोधन के लिए नहीं

श्री अरूण वोरा :- माननीय मंत्री जी मेडिकल कॉलेजों में रिक्त पदों पर भर्ती कब तक की जायेगी?

श्री टी.एस.सिंहदेव :- यह जानकारी हम लोगों ने 4 और 2 की दी है, हम लोगों ने 24X7 खुला भी रखा है। जैसे ही उपलब्ध हो जाते हैं, हम भर्ती कर देंगे।

<u>रायपुर संभाग में पर्यटन केन्द्र हेतु स्वीकृत राशि</u>

6. (*क्र. 258) श्री धनेन्द्र साहू : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि रायपुर संभाग में किन-किन स्थानों को पर्यटन केन्द्र के रूप में घोषित किया गया है ? तथा वर्ष 2015-16 से 2018-19 तक कौन-कौन से पर्यटन केन्द्र हेतु कितनी-कितनी राशि किन-किन कार्यों हेतु स्वीकृत की गई है ?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : रायपुर संभाग में चिंहित किये गय पर्यटन स्थलों की सूची †[2] संलग्न प्रपत्र "अ" पर संधारित है. वर्ष 2015-16 से 2018-19 तक चिन्हांकित पर्यटन केन्द्रों के लिए किए गए कार्यों हेतु स्वीकृत की गई राशि † संलग्न प्रपत्र "ब" पर संधारित है.

श्री धनेन्द्र साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से अनुपूरक प्रश्न के रूप में यह जानना चाहूंगा कि राजिम और चंपारण दोनों पर्यटक स्थल हैं, जहां पर इस प्रदेश में प्रतिवर्ष पर्यटकों की संख्या सर्वाधिक होती है। राजिम और चंपारण में प्रदेश के स्थानीय पर्यटक, पूरे देश से पर्यटक एवं विदेशों से भी काफी बड़ी संख्या में एन.आर.आई. लोग आते हैं। आपने मेरे प्रश्न की उल्लेखित अवधि में एक भी रुपये का कार्य स्वीकृत नहीं होने की जानकारी दी है और न ही पर्यटन विभाग के द्वारा अभी तक वहां कोई भी विकास के कार्यक्रम नहीं किया गया है। मैं अनुरोध भी करूंगा और जानना भी चाहूंगा कि क्या आप वहां के पर्यटन विकास के लिए कोई योजना बनायेंगे? पर्यटन सुविधाओं के लिए वहां पर किसी तरह से विशेषकर चंपारण में मास्टर प्लान बना करके उसको विकसित करने की योजना क्या विचाराधीन है?

श्री ताम्रध्वज साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ के जो पर्यटन स्थल हैं, उनके विकास के लिए योजनायें बनाई जा रही हैं और काफी जगहों पर बनाई जा चुकी हैं, कुछ जगह हम शुरू कर दिये हैं। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है, मैं चंपारण के विषय में वहां भेज करके क्या-क्या आवश्यकतायें हैं, हमारे पास वर्तमान में चिन्हांकित करके का क्या-क्या है, और माननीय सदस्य जी से जानकारी ले करके उस पर प्रोजेक्ट तैयार करके जरूर करना चाहेंगे।

[2] † परिशिष्ट- "दो"

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री धनेन्द्र साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि वहां पर सन् 2002 में पर्यटक सुविधा केन्द्र प्रांरभ किया गया था और उसको बंद कर दिया गया है। वहां 18 सालों से जो कर्मचारी कार्यरत थे, उनको भी किन कारणों से बंद कर दिया है, क्या उसको पुन: प्रारंभ करेंगे ? जो कर्मचारी 18 साल से काम कर रहे थे, क्या उनको फिर यथावत रखेंगे ?

श्री ताम्रध्वज साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्लेसमेंट एजेंसी के द्वारा जो कर्मचारी समय-समय पर आवश्यकतानुसार रखे जाते हैं और जब वह काम होता है तो हटाये भी जाते हैं एक-एक प्रक्रिया है, मैं यह दिखवा लूंगा कि वे कर्मचारी किस स्तर के थे, क्या वे प्लेसमेंट एजेंसी के थे या डेली बेचेस के क्या थे यह मैं दिखवा लूंगा ।

श्री धनेंद्र साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जब से पर्यटक केंद्र प्रारंभ हुआ है तब से ये शुरू से काम कर रहे थे और यह सीधा पर्यटन विभाग के द्वारा संचालित हो रहा था ।

श्री ताम्रध्वज साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दिखवा लूंगा और आवश्यक कार्यवाही जरूर करेंगे ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा इसी संबंध में एक छोटा सा प्रश्न है । माननीय मंत्री जी ने प्रश्न के जवाब में दामाखेड़ा स्थित कबीर सागर के गहरीकरण हेतु साढ़े 12 लाख रूपये की स्वीकृति का दिया है । मैं आपकी जानकारी में ला देता हूं कि इसमें स्वीकृत राशि 25 लाख हुई थी और साढ़े 12 लाख जारी हुई है । काम 25 लाख का हो चुका है और पंचायत का भुगतान पिछले 2 वर्ष से रूका हुआ है । मैंने व्यक्तिगत रूप से आपसे निवेदन किया था कि इसको निकलवा दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा ।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक । श्री रजनीश कुमार सिंह ।

<u>प्रदेश में पदस्थ सहायक स्वा. चिकित्सा अधिकारी</u>

7. (*क्र. 361) श्री रजनीश कुमार सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में कुल कितने सहायक स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी (आरएमए) पदस्थ हैं ? (ख) इनमें कितने सहायक स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी नियमित हैं एवं कितने संविदा पर हैं ?

पंचायत मंत्री (श्री टी. एस. सिंहदेव) : (क) प्रदेश में कुल 1186 ग्रामीण चिकित्सा सहायक (आरएमए) पदस्थ है. (ख) इनमें से 613 ग्रामीण चिकित्सा सहायक नियमित एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत 573 ग्रामीण चिकित्सा सहायक संविदा आधार पर कार्यरत हैं.

श्री रजनीश कुमार सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से मैंने यह जानना चाहा था कि आरएमए के पद पर कितने संविदा और कितने नियमित हैं तो उनका जवाब आया है । माननीय

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि वर्ष 2010 से जब ये काम कर रहे हैं तो इनका पदनाम, सहायक चिकित्सा अधिकारी होता था लेकिन अभी जनवरी में इनका पदनाम बदलकर आरएमए (रूरल मेडिकल असिस्टेंट) कर दिया गया है तो आखिर इसकी क्या आवश्यकता है ? इसमें एक दूसरा आदेश और जारी हुआ है कि अब ये अपने नाम के सामने डॉक्टर शब्द का उपयोग नहीं कर सकेंगे ।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य यह जान रहे होंगे कि एक पाठ्यक्रम 3 साल का है और एम.बी.बी.एस. का पाठ्यक्रम 5-साढ़े 5 साल का है तो दोनों पाठ्यक्रमों में अगर हम एक ही पदनाम रखने की व्यवस्था रखते हैं तो दोनों कैडर में एक तो यह बात आती है कि भई वह भी डाक्टर और मैं भी डाक्टर । मैं भी मेडिकल ऑफिसर वह भी मेडिकल ऑफिसर इस प्रकार की बातें और आई.एम.ए. के माध्यम से कोर्ट तक में यह बात गई और कोर्ट में भी इसके बाबत् जवाब देना पड़ा कि यह एक जैसा नाम दोनों का कैसा है बल्कि अन्य सवाल भी कोर्ट के माध्यम से पूछे गए कि यह पद आप समाप्त कर रहे हैं और आर.एम.ए. की जगह आप रेगुलर एम.बी.बी.एस. डॉक्टर्स भर्ती करेंगे इत्यादि । अंततः यह निर्णय शासन ने लिया कि स्पष्टता रहे, कैडर में अलग-अलग अर्हता के लोगों के पदनाम में भी अंतर होना चाहिए इसलिए 3 वर्ष के पाठ्यक्रम के जो हमारे सदस्य हैं उनको रूरल मेडिकल असिस्टेंट के रूप में पदनाम दिया गया और जो एम.बी.बी.एस. हैं उनको मेडिकल ऑफिसर के रूप में पदनाम दिया गया बाकी इसके अलावा कोई ऐसी बात नहीं है और माननीय सदस्य यह भी जान रहे होंगे कि अब वह 3 साल का पाठ्यक्रम फिलहाल बंद हो चुका है और नियमित होने के लिये भी आपने जो लिखा है, जो संविदा में हैं वह एन.एच.एम. के माध्यम हैं। जो पद रिक्तियां हमको दिख रही हैं वह आरक्षण के चलते जो पद रहते हैं, चूंकि हमको उस वर्ग के लोग नहीं मिले और पाठ्यक्रम अब बंद हो चुका है इस कारण से हमें वह रिक्तियां भी दिख रही हैं । फिलहाल जो संविदा में हैं वह एन.एच.एम. के माध्यम से हैं और उसमें रेगुलराईजेशन का कोई प्रावधान नहीं है । राज्य के बजट से यदि कभी ऐसी अनुमति मिलेगी तो उनको रेगुलर किया जा सकेगा ।

श्री रजनीश कुमार सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि बता रहे हैं कि इसमें नियमित करने में दिक्कत है । चूंकि एक ही साथ उन सब लोगों ने काम शुरू किया था उनका पद नहीं होने के कारण नहीं हो पा रहा है, इसमें वेतन विसंगति बहुत है । आधा लगभग जो नियमित हैं उनसे जो आधा संविदा डॉक्टर हैं उनको मिल रहा है तो यदि आप नियमित नहीं कर रहे हैं तो चूंकि कम से कम समान पद पर काम कर रहे हैं तो समान वेतन देने का कर दीजिये, समान वेतन देने का तो कर ही सकते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी जब नेता प्रतिपक्ष थे तो उन्होंने उनके प्रति बहुत सहानुभूति के साथ पत्र भी लिखा था, उस पत्र की प्रति भी है तो चूंकि आप उस पद में हैं तो उनको रेगुलर करने में

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

फिलहाल यदि कोई दिक्कत है तो उनके समान वेतन की घोषणा कर दीजिये तो यही उनके लिये बहुत हो जाएगा ।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम सब यह जान रहे हैं कि रेगुलर पदों में और संविदा में अंतर है, सभी विभागों में अंतर है किंतु यदि कहीं कोई ऐसी गुंजाईश होगी कि कुछ बढ़ाया जा सकता है, एन.एच.एम. के क्या नार्म्स हैं ? केंद्र सरकार से भी अनुमति लगेगी या हम कर सकते हैं तो मेरा प्रयास रहेगा कि एक बराबर न भी हो तो कुछ अगर बढ़ सके इसके लिये मैं अपनी ओर से जरूर प्रयास करूंगा ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय, सरकार प्रयास नहीं करती, निर्णय करती है । आप निर्णय कीजिए और उसकी घोषणा कीजिए । प्रयास वगैरह शब्द, दूसरे लोगों के होते हैं, मंत्री के नहीं होते ।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- आप ही से तो सीखा हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय बैठ जाइए । आज के नेता प्रतिपक्ष कौशिक जी, पूर्व नेता प्रतिपक्ष से कुछ सवाल करना चाहते हैं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- आज के नहीं, पूरे कार्यकाल के हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- आज के, मतलब अभी के ।

श्री शिवरतन शर्मा :- कल अगर अदला-बदली हो तो स्वीकार है ।

श्री धरमलाल कौशिक :- अध्यक्ष महोदय, आप जब नेता प्रतिपक्ष पुकारते हैं तो, माननीय मंत्री जी यह भूल जाते हैं कि वे मंत्री हैं, और वे खड़े हो जाते हैं (हंसी)। माननीय मंत्री जी, प्रदेश के कुछ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में एमबीबीएस डॉक्टर हैं और कुछ जगह आरएमए हैं । अभी रजनीश सिंह जी पूछ रहे थे कि वे डॉक्टर क्यों नहीं लिख सकते, तो कहा गया कि चूंकि उनका पाठ्यक्रम 3 वर्षों का है और एमबीबीएस डॉक्टर पांच साल के कोर्स वाले हैं । उनकी अर्हता अलग-अलग है । लेकिन मेरे ख्याल से सभी जगह पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एक ही श्रेणी का है । चकरभाठा में हमारा हाईकोर्ट है । वहां का अस्पताल आरएमए के भरोसे है । इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में एमबीबीएस डॉक्टर की पदस्थापना कब तक कर देंगे ।

अध्यक्ष महोदय :- अच्छा सवाल है आपका ।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- जैसे ही मिलते हैं ।

श्री धरमलाल कौशिक :- अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मंत्री जी का प्रथम बजट भाषण सुना था और उसके पहले जब वे नेता प्रतिपक्ष थे तब भी सुना था । उस समय उन्होंने कहा था कि आप लोग कर नहीं पा रहे हो, इतने पद हैं और इतने खाली हैं । मुझे बहुत उम्मीद थी कि राजा साहब मंत्री बने हैं तो निश्चित रूप से प्रयास करेंगे और सफलता मिलेगी लेकिन आपको अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है । दूसरा बजट भी आ ही रहा है, मेरा यह कहना है कि केवल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में आप कम से

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

कम एमबीबीएस डॉक्टर की पदस्थापना हो जाए और यदि इसको इस बजट सत्र के अंतर्गत ही आप कर लेंगे तो मैं कहूंगा कि यह आपकी उपलब्धि है । इसलिए आप आश्वस्त करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा ।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- अध्यक्ष महोदय, यह भी कहना उचित नहीं होगा कि कुछ भी नहीं कर पाए । जब नया शासन आया उस समय 899 पद रिक्त थे, जहां तक मेरी जानकारी है उनमें से साढ़े तीन सौ-चार सौ पद भरे जा चुके हैं । नए डॉक्टर्स भर्ती हो चुके हैं और मेडिकल कॉलेजेस से अनुबंधित डॉक्टर्स जैसे आ रहे हैं, हम लोग भरते चलेंगे तो मुझे उम्मीद है कि मेडिकल ऑफिसर्स का हो जाएगा, विशेषज्ञों की दिक्कत है ।

<u>राजनांदगांव में निर्माणाधीन दिग्विजय स्टेडियम में दर्शक दीर्घा में बैठक व्यवस्था</u>

8. (*क्र. 121) श्री दलेश्वर साहू : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि राजनांदगांव में निर्माणाधीन दिग्विजय स्टेडियम में दर्शक दीर्घा में बैठक व्यवस्था हेतु किन-किन एजेंट से फर्नीचर व चेयर की खरीदी की गयी हैं ? खरीदी हेतु कब-कब निविदा व टेण्डर जारी किये गये हैं ? किन एजेंसियों को कितनी राशि जारी की गयी है ? एजेंसीवार जानकारी देवें ?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : जानकारी †[3] संलग्न परिशिष्ट में दी गयी है.

श्री दलेश्वर साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न निर्माणाधीन दिग्विजय स्टेडियम राजनांदगांव के दर्शक दीर्घा की बैठक व्यवस्था से संबंधित था । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि दो तरीके से खरीददारी की गई है । एक तो ओपन टेंडर से और दूसरा जेम के माध्यम से । मेरा पहला प्रश्न जेम से संबंधित है । जेम के माध्यम से खरीदी की गई है क्या जेम के नियमों का पालन करते हुए तीन एजेंसियों से तुलनात्मक रेट लिस्ट ली गई है । ई-बिडिंग की प्रक्रिया अपनाई गई है, क्रय समिति का गठन कर अनुमोदन लिया गया है या किन उच्च अधिकारियों से अनुमोदन प्राप्त है । जेम से खरीदी करने के संबंध में ये 4 प्रमुख बिंदु हैं । ये चारों प्रक्रियाएं अपनाई गई हैं या नहीं, मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं ।

श्री ताम्रध्वज साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जेम से जो खरीदी की गई है, उसकी पूरी प्रक्रिया का पालन किया गया है । ऑन लाईन जो सामान खरीदा जाता है, वह ऑनलाईन डाला जाता है । ऑनलाईन रेट विक्रेता या सप्लायर भरता है और सबसे जो लोवेस्ट रहता है, उसको ऑर्डर दिया जाता है, तो पूरी प्रक्रिया का पालन किया गया है ।

---

[3]† परिशिष्ट ''तीन''

अप्रकाशित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री दलेश्वर साहू :- मेरा दूसरा प्रश्न है कि 13.07.2018 को ओपन टेंडर 165.69 लाख है और दूसरा लगभग-लगभग 76 लाख है । 76 लाख की तो जेम से खरीदी की गई और जो फिटिंग काम, यू.व्ही., फ्रेम सामग्री सहित । आपने उत्तर में स्पष्ट लिखा है कि दिग्विजय स्टेडियम राजनांदगांव में पीपीसीपी चेयर का फिटिंग्स कार्य यू.व्ही. फ्रेम सामग्री, लेबर एवं अन्य फिटिंग चार्ज सहित । 76 लाख की चेयर और जितने की चेयर नहीं है उससे ज्यादा 1 करोड़ 65 लाख फिटिंग चार्ज में खर्च किया गया । इसमें कोई विरोधाभास है तो स्पष्ट कर दीजिएगा मंत्री जी ।

श्री ताम्रध्वज साहू :- अध्यक्ष महोदय, किसी भी प्रकार का विरोधाभास नहीं है। कुछ कंपनियां होती हैं जो केवल सप्लाई का काम करती हैं, कुछ फिटिंग सहित सप्लाई करती हैं । यह केवल फिटिंग का नहीं है, यह मैंने स्पष्ट लिखा है । चेयर का फिटिंग कार्य, यू.व्ही.फ्रेम, सामग्री लेबर सहित । इसमें क्या-क्या चेयर आया है उसकी डिटेल मैं माननीय सदस्य को दे दूंगा ।

श्री दलेश्वर साहू :- थैंक यू ।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय अजीत जोगी।

<u>जनपद पंचायत फिंगेश्वर में ग्राम पंचायतों के निर्माण कार्यों का मूल्यांकन पश्चात राशि की कटौती</u>

9. (*क्र. 232) श्री अजीत जोगी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जनपद पंचायत फिंगेश्वर जिला गरियाबंद में ग्राम पंचायतों द्वारा कराये गये विभिन्न निर्माण कार्यों का मूल्यांकन सत्यापन होने के पश्चात भी राशि में कटौती करने का प्रकरण सामने आया है ? (ख) यदि हां, तो इस प्रकरण में शासन द्वारा क्या कार्यवाही की है ? (ग) इस प्रकार के प्रकरणों को रोकने के लिये शासन स्तर पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पंचायत मंत्री (श्री टी. एस. सिंहदेव) : (क) जी हां. जनपद पंचायत फिंगेश्वर, जिला गरियाबंद में ग्राम पंचायतों द्वारा कराये गये विभिन्न निर्माण कार्यों का मूल्यांकन सत्यापन होने के पश्चात् भी राशि में कटौती करने का प्रकरण सामने आया है. (ख) 1. समय-समय पर समस्त तकनीकी अमलों को अनिवार्य रूप से स्वीकृत प्राक्कलन अनुसार निर्माण कार्य कराये जाने के निर्देश दिये गये. अनेक निर्माण कार्यों में व्यक्तिशः कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया. 2. स्वीकृत प्राक्कलन से आधिक्य के प्रकरणों में पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है, प्राप्त होने पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जावेगी. (ग) स्वीकृत प्राक्कलन एवं ड्राइंग डिजाइन अनुसार ही कार्य कराये जाने के संबंध में तकनीकी अमलों को पत्र जारी किये जाने के साथ प्रत्येक बैठकों में भी इस संबंध में निर्देश दिये गये. सुधार परिलक्षित नहीं होने पर दिनांक 13.12.2018 को समस्त तकनीकी अमले की विशेष कार्यशाला आयोजित की जाकर मानक/स्वीकृत प्राक्कलन अनुसार ही कार्य कराये जाने के सक्त निर्देश दिये गये.

अप्रमाणित/प्रकाशन के लिये नहीं

मानक प्राक्कलन/स्वीकृत प्राक्कलन में विचलन/ड्राइंग डिजाईन में बगैर समक्ष स्वीकृति के परिवर्तन किये जाने के कारण उप अभियंताओं एवं अनुविभागीय अधिकारी ग्रा. यां. सेवा को 14 कारण बताओ सूचना पत्र, 02 चेतावनी पत्र तथा 01 उप अभियंता एवं 01 अनुविभागीय अधिकारी, ग्रा.यां.सेवा की 01-01 वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से रोके जाने की कार्यवाही की गई है.

श्री अजीत जोगी :- धन्यवाद अध्यक्ष जी। फिंगेश्वर जनपद में जो हुआ है, वह भारत में कहीं भी नहीं हुआ। छत्तीसगढ़ में नहीं पर भारत में कहीं नहीं हुआ। सरपंच काम कराता है। सब-इंजीनियर उसका मूल्यांकन करता है, उसके बाद एस.डी.ओ. उसका सत्यापन करता है और कम्प्लीशन सर्टिफिकेट के लिए जिला पंचायत भेजा जाता है। जिला-पंचायत के स्तर पर कोई कटौती कहीं नहीं होती। जो भी कम मूल्यांकन होना है, जो इंजीनियर ट्रेंड हैं, सब इंजीनियर वह करेगा। उसके ऊपर एस.डी.ओ. है, पर फिंगेश्वर में ऐसा हुआ है कि सरपंचों की राशि करोड़ों रूपये की राशि और मैं यह स्पष्ट आरोप लगा रहा हूं कि जिस सरपंच ने उस लेखाधिकारी को पैसा नहीं दिया, उसका हजारों रूपया काट दिया और जिसने उसको घूस दी, उसका एक पैसा नहीं काटा। लेखाधिकारी को कार्य का पैसा काटने का अधिकार नहीं है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या जिला-पंचायत अधिकारी गरियाबंद में पदस्थ लेखाधिकारी को ये विशेष अधिकार दिया गया है कि सब-इंजीनियर और एस.डी.ओ. के द्वारा मूल्यांकन करने बाद वह उस मूल्यांकन की राशि को घटाकर सरपंच पर जुर्माना लगा दे और उससे राशि वसूल करे। क्या ऐसा कोई अधिकार है ?

श्री टी.एस. सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय सदस्य ने जिस बात को उठाया है, वह बिल्कुल सही है और जो आपका कथन है कि इस तरह से राशि रोकी गई है, यह भी सही है। ये गरियाबंद के दोषी लेखाधिकारी सुबीर भट्टाचार्य जी का नाम भी आया है। इनको अधिकार नहीं है कि एक्जीक्यूटिव चैनल से जो नाम काम के लिए मूल्यांकन होकर जा रहा है, उसमें किसी प्रकार की कटौती करे। स्थिति यह बन रही है कि फिल्ड में हम लोगों ने हर जगह देखा कि स्टैण्डर्ड प्राक्कलन के हिसाब से काम होता है। मान लें कि 3 मीटर बाई 100 मीटर का हमने सी.सी. रोड सैंक्शन किया। मौके पर कहीं भी उसमें किसी चौड़ाई का अंतर चौक-चौराहे आ गये तो वहां गांव वालों का दवाब होता है कि पूरे चौक-चौराहे को ही कांक्रीट कर दिया जाए। इसमें अनुमति लेकर अगर उसमें कोई परिवर्तन स्टैण्डर्ड स्वीकृत प्राक्कलन के अतिरिक्त होता है तो उसके पेमेंट का भी भुगतान नहीं होना चाहिए, किन्तु यदि बिना अनुमति के जो स्टैण्डर्ड प्राक्कलन है, उसमें यदि कोई कोई परिवर्तन होता है तो जो संबंधित सब-इंजीनियर्स इत्यादि हैं, वे दोषी हैं तो उन पर कार्रवाई होती है और इसमें भी कार्रवाई हुई होगी। मैंने अपनी तरफ से विभाग से बात भी की है। डायरेक्शन भी दिये हैं कि भविष्य में इसे सुनिश्चित किया जाए कि उसकी चौड़ाई कितनी है ? मौके के हिसाब से कहीं कोई अपवाद के रूप में हमेशा तो नहीं। नहीं तो अराजकता हो जायेगी। अपवाद के रूप में कहीं ऐसी स्थिति बनती है कि कहीं 3 मीटर से सवा 3

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

मीटर करने की आवश्यकता हो तो अनुमति लेकर किया जाए। किन्तु किसी भी लेखाधिकारी को यह अधिकार नहीं है कि जब प्राक्कलन पेमेंट के लिए भेजा जा सकता हे तो वह रोकें। इस प्रकरण में प्राक्कलन के हिसाब से 100 की जगह 105 मीटर, 110 मीटर लंबाई दिखी होगी । Square मीटर एरिया सेम हो किन्तु लंबाई बढ़ी हुई दिख रही है और उन्होंने इसे रोका बावजूद इसके कि उनको रोकने का अधिकार नहीं था, इस बाबत् भी स्पष्ट डायरेक्शन सभी जिला पंचायतों में पुन: चले जायेंगे कि कोई भी ऐसा प्रकरण रोकने का अधिकार ऐसे वित्तीय अधिकारी को नहीं है।

श्री अजीत जोगी :- अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने तो आरोप स्वीकार कर लिया कि उसको अधिकार नहीं था। आपने जो कहा कि हर प्रकरण में जहां रिवाइज इस्टीमेट की जरूरत थी। फिंगेश्वर के सारे सरपंच मुझ से मिले। एक भी अपवाद नहीं, सारे मेरे पास आये। मुझे सबने दिखाया कि हमारा सब इंजीनियर ने सत्यापन किया, एस.डी.ओ. ने सत्यापन किया और उन्हीं में से 10 ने कहा कि हमने 5-5 हजार, 10-10 हजार रूपये लेखाधिकारी को दिया, तो उसने हमारी राशि नहीं काटी। बाकी ने नहीं दिया तो उनकी राशि काट दी गई। तो यह जघन्य अपराध है। मैं विधान सभा के फ्लोर पर लेखाधिकारी द्वारा पैसा लेने का आरोप, जो मुझे सरपंचों ने बताया, वह मैं आपके सामने रख रहा हूं। यह इतना जघन्य अपराध है कि वह पैसा लेता है तो राशि नहीं काटता है और पैसा नहीं लेता है राशि काट देता है, जो कि अधिकार उसको है ही नहीं। तो आप ऐसे लेखाधिकारी को सस्पेण्ड तो कर दें। उसके ऊपर डिपार्टमेंटल इन्क्वारी तो चालू करें, जिससे पूरे प्रदेश में एक उदाहरण प्रस्तुत हो सके।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- अध्यक्ष महोदय, अवश्य डिपार्टमेंटल इन्क्वारी होगी।

अध्यक्ष महोदय :- मेरा निवेदन है, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे अधिकारी को विशेष पुरस्कार स्वरूप यहीं निलंबित कर दिया जाये, तो ज्यादा बेहतर होगा।

श्री अजीत जोगी:- अध्यक्ष जी, धन्यवाद, धन्यवाद।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- उनको सस्पेण्ड करने की घोषणा करता हूं।

श्री अजीत जोगी:- धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- श्री संतराम नेताम।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके निर्देश के बाद माननीय सिंहदेव साहब को परमिशन के लिए कहीं सिर हिलानी पड़ी, जब उधर इशारा मिला तो घोषणा हुई।

श्री अजीत जोगी:- नहीं, बहुत-बहुत धन्यवाद। मंत्री जी ने मेरा अनुरोध स्वीकार किया। माननीय अध्यक्ष महोदय ने मेरा अनुरोध स्वीकार किया। दोनों को बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- अगर टीम काम करती है तो टीम में मिलकर काम करना चाहिए। मैं उसमें रिस्पेक्ट करता हूं कि मैं अकेले काम नहीं कर रहा हूं। इधर वाले हम एक ही हैं।

अप्रमाणित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री शिवरतन शर्मा :- नहीं-नहीं, आप उधर देखे, उधर से जब इशारा हुआ तब माननीय आपने घोषणा की। हम लोगों ने इस बात को देखा था।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप इधर का मानो।

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- उधर की सरकार में तो कार्रवाई नहीं हो रहा था, आप लोगों के समय में तो ये भी नहीं होता था।

श्री शिवरतन शर्मा :- आज यह सिद्ध हो गया कि इस सरकार को कौन चला रहा है ?

श्री अजय चन्द्राकर :- बहुत सुन्दर।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- एक सहमति भी कोई चीज होती है, मैं उसमें विश्वास करता हूं।

श्री अजीत जोगी:- धन्यवाद। मंत्री जी को विशेष धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- अनावश्यक आरोप लगाने की जरूरत नहीं है। उधर पूरी कुर्सी खाली है।

श्री अजीत जोगी:- अध्यक्ष जी, आपको विशेष धन्यवाद।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, संतराम जी को प्रश्न करने की भी जरूरत नहीं है। सारा कुछ पुस्तकालय में है। उनको जाकर पढ़ लेना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये देखते हैं।

श्री संतराम नेताम :- पहले तो आप रह चुके हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप उत्तर पढ़ लीजिये, आपकी सरकार का सारा कुछ पुस्तकालय में है।

श्री संतराम नेताम :- वह मेरे पास आ गया है।

धमतरी जिला में संचालित अस्पतालों हेतु दवाईयों का क्रय

10. (*क्र. 13) श्री सन्तराम नेताम : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2017-18 से 2019-20 में 31 दिसम्बर, 2019 तक धमतरी जिले में संचालित अस्पतालों के लिए कौन-कौन सी दवाई क्रय की गयी ? क्रय की गयी दवाईयों के लिए शासन द्वारा कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया गया ? वर्षवार अलग-अलग जानकारी देवें ? (ख) दवाईयों की क्रय समिति में कौन-कौन सदस्य थे? समिति के सदस्यों के नाम सहित जानकारी देवें ? क्रय एजेंसी किसे बनाया गया ? (ग) दवाई क्रय हेतु किन-किन फर्मों के द्वारा निविदा फार्म भरा गया था ? किस-किस फर्म को दवाईयां उपलब्ध कराने आदेशित किया गया ?

पंचायत मंत्री (श्री टी. एस. सिंहदेव) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"अ" अनुसार. (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"ब" अनुसार. (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"स" अनुसार.

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री संतराम नेताम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में दवाईयों के सम्बन्ध में मांग-पत्र आया था तो क्या दवाईयों के क्रय हेतु छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस कार्पोरेशन से अनुमति ली गई ? यदि हां तो कब और कितनी मात्रा में दवाई क्रय करने की अनुमति ली गई ?

श्री टी.एस. सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के प्रश्न के सन्दर्भ में मैं और भी थोड़ी विस्तृत जानकारी देना चाह रहा हूं कि इसमें अभी तक जो प्रक्रिया चलती रही है, वह इन्डेंट के आधार पर खरीदी की चलती रही है। स्वास्थ्य विभाग की जो इकाईयां हैं, सी.जी.एम.एस.सी. को अपने साल भर का रिक्वायरमेंट भेजती हैं और उसके हिसाब से खरीदी होती थी। यदि सी.जी.एम.एस.सी. के पास दवाईयां नहीं होती थी तो लोकल खरीदी होती थी। उनको एन.ओ.सी. और परचेसिंग आर्डर इत्यादि उपलब्ध करा दिये जाते थे। यह थोड़ा आकड़ों से भी दिख रहा होगा। हम लोग जो व्यवस्था कर रहे हैं, वह इस बात का सुनिश्चित करने के लिए कर रहे हैं कि जिला स्तर पर, अन्य स्तरों पर भी ऐसी कोई छूट नहीं होनी चाहिए कि जब जो चाहे जितनी भी दवाई खरीद लें। एक नियमित प्रक्रिया के तहत खरीदी होनी चाहिए। आखिर आपको साल में कितनी दवाईयों की आवश्यकता है। यह आपको इन्डेंट के माध्यम से सी.जी.एम.एस.सी. को उपलब्ध कराना चाहिए। अपवाद के रूप में दवाईयों का स्टाक कम हो जाता है तो कुछ समय के लिए परचेसिंग आर्डर कितने समय के लिए आपको दे दिया गया ? 1 दिन के लिए, 50 दिन के लिए, 6 महीने के लिए, इसमें सीमा लाकर हफ्ते से 10 दिन तक ही विंडो दिया जा रहा है कि आप उसमें खरीदी कर लें। तो पहले जो हुआ वह आकड़ें आपके सामने हैं। इसमें दिख भी रहा होगा कि पहले जो खरीदी हो रही थी, जिस व्यवस्था के तहत भी हो रही थी, उसमें सन् 2017-18 में 39 लाख रूपये के एवज में 30 लाख और कुछ हजार की खरीदी हुई। सन् 2018-19 में 23 लाख के एवज में साढ़े 6 लाख की खरीदी, 11 लाख के एवज में 10 लाख की खरीदी हुई । तो हम लोग इस प्रकार से व्यवस्था बनाने में लगे हुए हैं । यह किसी भी ईकाई के पास कोई अनियंत्रित छूट नहीं होनी चाहिए कि आप कितनी भी दवाई ले लें । अगर सी.जी.एम.एस.सी. है तो परचेसिंग सी.जी.एम.एस.सी. के माध्यम से ही होनी चाहिए ।

श्री संतराम नेताम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम जो दवाई क्रय करते हैं, इसकी गुणवत्ता और मात्रा का भौतिक सत्यापन आप किसके माध्यम से कराते हैं ?

श्री टी. एस. सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें चिह्नांकित लैब हैं और जो क्वालिटी सर्टिफिकेशन होता है, वह दवाइयों को उपयोग में लाने के पहले उन लेबोरेटरी से जब रिपोर्ट आती है कि गुणवत्तापूर्ण दवाइयां हैं, बैच नम्बर इत्यादि रैण्डम सैम्पलिंग से भेजे जाते हैं, उसके बाद दवाइयां उपयोग में ली जाती हैं ।

अप्रकाशित/असंशोधित के लिए नहीं

श्री संतराम नेताम :- अध्यक्ष महोदय, मेरा अंतिम प्रश्न है । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिला धमतरी के नगरी बेलर सिहावा में अधिकांश शिकायत प्राप्त हो रही है कि जब मरीज अस्पताल में भर्ती होता है तो वहां दवाइयों का स्टॉक नहीं होने के कारण वहां के डॉक्टर बाहर के मेडिकल से दवाई लाने के लिए पर्ची लिखते हैं । मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि यह प्रक्रिया बंद हो और हमारे मरीजों के परिजनों को बाहर से दवाई न खरीदना पड़े । इसके लिए आप कोई सुविधा उपलबध कराएंगे क्या ?

अध्यक्ष महोदय :- अच्छा सुझाव है । श्री धर्मजीत सिंह ।

श्रीमती रश्मि आशिष सिंह :- अध्यक्ष महोदय, मैं दवा खरीदी से संबंधित एक जानकारी सदन के सामने कहना चाहती हूं कि कलकत्ता से नसबंदी कांड की रिपोर्ट आ गई है, नसबंदी कांड में इस्तेमाल की हुई दवाइयां जो थी, उसकी रिपोर्ट के संबंध में सदन में कोई घोषणा चाहूंगी ।

अध्यक्ष महोदय :- रश्मि जी, ये धमतरी जिले का प्रश्न है, उसको वही रहने दीजिए ।

श्रीमती रश्मि आशिष सिंह :- अध्यक्ष महोदय, तखतपुर विधान सभा से संबंधित है इसलिए मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहती हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- ये धमतरी का प्रश्न है ।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- अध्यक्ष महोदय, चूंकि इस प्रश्न में नगरी सिहावा का नाम आया है इसलिए मैं यह बताना चाहती हूं कि वहां डॉक्टरों का पूरा अभाव है ।

अध्यक्ष महोदय :- समय देख लीजिए कि कितना बचा है ?

श्री संतराम नेताम :- अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी इसका उत्तर बताएंगे या नहीं, यह बहुत गंभीर प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी ने गंभीर उत्तर दिया है ।

श्री संतराम नेताम :- मंत्री जी गंभीर उत्तर नहीं दे रहे हैं, केवल इसकी जांच करा देंगे क्या ?

अध्यक्ष महोदय :- ऐसा हो ही नहीं सकता कि टी.एस. सिंहदेव गंभीर उत्तर न दें ।

श्रीमती रश्मि आशिष सिंह :- अध्यक्ष महोदय, नसबंदी कांड वाली दवाई में जहर की पुष्टि हो गई है । मैं सदन में घोषणा चाहती हूं ।

श्री संतराम नेताम :- पूरा उत्तर नहीं आया है।

अध्यक्ष महोदय :- उन्होंने विस्तृत उत्तर दिया है, गंभीरतापूर्वक उत्तर दिया है।

श्री टी. एस. सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक सवाल के बाद चूंकि...

अध्यक्ष महोदय :- मैं बोल रहा हूं कि आप गंभीरता से उत्तर देते हैं, विस्तृत उत्तर देते हैं । आपको कोई आरोप नहीं लगा सकता । धन्यवाद । धर्मजीत जी ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

एक्सप्रेस वे निर्माण में अनियमितता की जांच

11. (*क्र. 468) श्री धर्मजीत सिंह : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायपुर राजधानी के एक्सप्रेस वे (हाईवे) (रेलवे स्टेशन से शदाणी दरबार) के निर्माण में अनियमितता की जांच किस स्तर के अधिकारी/समिति से कराई गई ? कब ? (ख) कंडिका "क" की जांच में किन-किन को दोषी पाया गया उनके विरूद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई ? (ग) क्या ये सही है कि एक्सप्रेस वे को नए सिरे से बनाए जाने का निर्देश दिया गया है ? यदि हां, तो कब तक प्रस्तावित कार्य पूर्ण किया जाएगा ?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : (क) मुख्य तकनीकी परीक्षक (सतर्कता) नवा रायपुर अटल नगर छत्तीसगढ़ से जांच करायी गयी है. जांच दिनांक 13.08.2019 से 31.12.2019 तक की गई. (ख) कार्यवाही प्रचलन में है. (ग) वर्तमान में एक्सप्रेस वे का कुछ भाग क्षतिग्रस्त हुआ है, जिसका सुधार कार्य प्रगति पर है. पूर्णता तिथि बताया जाना संभव नहीं है.

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, राजधानी रायपुर के एक्सप्रेस वे हाईवे रेल्वे स्टेशन से शदाणी दरबार, जिसकी लंबाई लगभग 15 किलोमीटर है और जिसकी लागत 350 करोड़ रूपए की है । उसमें जो भ्रष्टाचार हुआ है, जो अनियमितता हुई है, उन भ्रष्टाचारियों को सरकार के द्वारा बचाने का प्रयास हो रहा है, उसके संदर्भ में मैंने माननीय मंत्री जी से प्रश्न पूछा है । माननीय मंत्री जी ने मेरे प्रश्न के उत्तर में बताया है कि मुख्य तकनीकी परीक्षक (सतर्कता) के द्वारा चार महीने में जांच कराई गई और मैंने पूछा कि इसमें क्या कार्यवाही की गई ? तो मेरे प्रश्न **ख** के जवाब में मंत्री जी ने कहा है कि कार्यवाही प्रचलन में है । मंत्री जी, आपने यह नई भाषा और नई जवाब की खोज की है, मैं पूछना चाहता हूं कि 6 महीने में कौन सी कार्यवाही प्रचलन में है और प्रचलन क्या है ? इसको आप जरा पहले मुझे समझा दीजिए ।

श्री ताम्रध्वज साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जांच के विषय में जानना चाहा है । दिनांक 13.8.19 को मुख्य तकनीकी परीक्षक से जांच हेतु लोक निर्माण विभाग द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग को पत्र लिखा गया । दिनांक 21.8.19 को सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मुख्य तकनीकी परीक्षक (सी.टी.ई.) को जांच के निर्देश दिए गए । दिनांक 31.12.19 को सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया ।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से कुछ प्रश्न पूछ रहा हूं, वे जवाब कुछ दे रहे हैं । तकनीकी वाला तो मैं भी जान रहा हूं । पहली बात तो मैं आपका बता दूं कि मैंने इसी प्रश्न को शीतकालीन सत्र में भी पूछा था, जिसका जवाब मेरे पास है । इसमें आपने बताया है कि तकनीकी परीक्षक ने 12 बिन्दुओं पर आपकी पूरी खामियां बता दी हैं कि वह घटिया निर्माण हुआ है, बेतरतीब निर्माण हुआ है, जनता के पैसे का खुले आम लूट खसोट हुआ है । यह इस जांच समिति की

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

रिपोर्ट में यहां पर उपस्थित है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपका विभाग और आपने स्वयं 6 महीने में किसी अधिकारी को दोषी ठहराकर उसे दंडित नहीं किया है तो क्यों नहीं किया है, आप अधिकारियों को निलंबित नहीं कर पा रहे हैं, ठेकेदार को निलंबित नहीं कर पा रहे हैं ? भला हो छत्तीसगढ़ की शांत जनता का, अगर किसी दूसरे प्रदेश में राजधानी का 14 किलोमीटर का हाईवे रूकता, आप कहीं पर भी एक बैरियर टांग देते हैं और मना कर देते हैं कि मत जाओ और जनता मान लेती है । करोड़ो रूपये खर्च करने के बाद आपके अधिकारियों ने घटिया निर्माण किया, बंदरबांट हुआ, करोड़ों रूपये का खेल हुआ और इतना शक्तिशाली ठेकेदार और अधिकारी हैं कि आप कार्यवाही भी करने से डर रहे हैं ? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि प्रचलन से मुझे मतलब नहीं है । किन-किन अधिकारियों को आपने निलंबित किया, क्या-क्या कार्यवाही की है, यहां पर इस सदन में जनता को बताईये ? अभी तक नहीं हुआ है तो उसका कारण बताईये ?

श्री ताम्रध्वज साहू :- सम्माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो जानना चाहा है, जांच का निष्कर्ष, ठेकेदार और कंसलटेंट पर जो-जो कार्यवाही हुई है, मैं बता देता हूँ । अध्यक्ष जी, जांच का निष्कर्ष आया, पांचों फ्लाईओव्हर के दोनों तरफ 13 स्थानों का नमूना लिया गया, उसमें कंम्पेक्शन की कमी पाई, मिट्टी को लेयर दर लेयर डालते हैं, उनको नहीं किये, खराब था । आर.ई. वॉल का पेनल जो दीवार था, उसमें ब्लीजिंग पाई गई यानी वह झुक गया था । उसके बाद लंबाई में 24 स्थान पर नमूना लिया गया, क्वालिटी और मोटाई में कमी पाई गई । ठेकेदार के लिए कार्यवाही आपने कहा, ठेकेदार को पत्र दिया गया, ठेकेदार को हम लोग इसलिए नहीं हटा रहे हैं कि उससे दोबारा पूरा काम करा रहे हैं । ठेकेदार को हटायेंगे तो हमको नया पैसा देकर करना होगा, इसलिए पूरा काम जितनी खराबी है, उनसे करा रहे हैं । कंसलटेंट के विरूद्ध जो कार्यवाही है, उसकी गलती पाई गई, क्योंकि कंसलटेंट का काम होता है, दोनों को देखना । उन्होंने नहीं किया, गलत किया, इसलिए उसको 12.02.2020 को सस्पेंड किया, 18.02.2020 को उसको निरस्त करने के लिए दिया और 1 करोड़ 18 लाख का उनको वसूली के लिए कंसलटेंट से नोटिस जारी किया । ठेकेदार और कंसलटेंट की बात मैंने आपको बता दिया । जांच के ऊपरांत जो अधिकारी हैं, जो उस समय थे, उनके लिए कार्यवाही प्रचलन में है कि क्या उनके ऊपर कार्यवाही किया जाये ।

श्री धर्मजीत सिंह :- इन्हीं अधिकारियों के कारण तो सड़क की स्थिति खराब हुई है । आप 20-20 लाख महीने कंसलटेंट को दिये, आप कंसलटेंट को पैसा क्यों दिये, जब वहां पर ध्यान नहीं दिया ? आपके जो अधिकारी हैं, श्रीमान मैं उनका नाम बताऊंगा ना, एक अधिकारी हैं आदरणीय एस.के.जाधव, ये जल संसाधन विभाग के ई.ई. हैं, इनको आपने एस.ई. बना दिया, एक सुभाष चन्द्र आर्या हैं, सिंचाई विभाग के एस.डी.ओ. हैं, इनको आपने ई.ई. बना दिया, एक जितेन्द्र सिंह है, नगरीय प्रशासन के उपयंत्री हैं, इसमें आपने उनको एस.डी.ओ. बना दिया । एक विवेक सिन्हा है, आर.डी.ए. के उपयंत्री हैं, उनको

अप्रमाणित/असंशोधित के लिए नहीं

आपने वहां पर काम दे दिया । इस तरीके से जो कभी नहीं जानते कि आर.ई. वॉल क्या होता है, उसको इतना बड़ा फ्लाईओव्हर बनाने भेज दिये ? आप कहां-कहां से इंजिनियर खोजकर लाये हैं, आप उनको अंतरिक्ष यॉन से इसरो भेज देंगे ? अध्यक्ष महोदय, इस तरीके की कार्यवाही गलत है । यह गरीब जनता का पैसा है और गरीब जनता के पैसे में सारे अधिकारियों को निलंबित करने की आप घोषणा यहां पर करिये, माननीय अध्यक्ष महोदय । मैं मांग कर रहा हूँ, पूरे प्रदेश की जनता देख रही है, बहुत शर्म आती है कि रायपुर में इतना बड़ा फ्लाईओव्हर बना है और जनता उस पर चल नहीं पा रही है । आप उनको निलंबित करने की घोषणा कर दीजिए । यहीं करिये, अभी ।

अध्यक्ष महोदय :- इनका प्रश्न आ जाने दीजिए ना । उसका भी लेंगे, साथ में ।

श्री ताम्रध्वज साहू :- माननीय अध्यक्ष जी, जो उस समय संबंधित अधिकारी-कर्मचारी थे, जैसा कि मैंने कहा कि कार्यवाही प्रचलन में है....।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप ठीक से बोलियेगा, इसमें आगे और प्रश्न है । इसलिए जो बोलेंगे, वह रिकार्ड में रहेगा ।

श्री अजीत जोगी :- टाईम हो गया ।

श्री ताम्रध्वज साहू :- सम्माननीय अध्यक्ष जी, जो हम लोगों ने जांच कराया है, उनसे जानकारी ली, जांच रिपोर्ट को देखा, सभी चीजों को देखने के बाद ठेकेदार के लिए, कंसलटेंट के लिए, सब के लिए कार्यवाही हुई, जो उस समय छैः अधिकारी-कर्मचारी थे, उनका नाम मैं नहीं लूंगा, अलग-अलग विभाग के थे, जैसा कि माननीय ने उल्लेख किया, मैं उनको सस्पेंड करने की घोषणा करता हूँ, छैः अधिकारियों को । उसके बाद फिर और आगे जो कार्यवाही होगी, हम लोग करेंगे ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्नकाल समाप्त ।

(प्रश्नकाल समाप्त)

अशोधित/असंशोधन के लिये नहीं

समय :

12:00 बजे **पत्रों का पटल पर रखा जाना**

(i) अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर का सप्तम वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-2019 तथा,

(ii) बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-2019

संसदीय कार्य मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की धारा 47 की अपेक्षानुसार-

(i) अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर का सप्तम वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-2019 तथा,

(ii) बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-2019 पटल पर रखता हूं।

पृच्छा

श्री बृजमोहन अग्रवाल (रायपुर नगर (दक्षिण)) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कल हम लोगों ने धान के मुद्दे को उठाया था और धान के मुद्दे पर सरकार चर्चा करने को तैयार नहीं है, घोषणा करने को तैयार नहीं है।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- धान के मुद्दे को उठाकर भाग गए थे।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज लाखों किसान सड़कों पर बैठे हुए हैं, धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं। उनको टोकन दिया गया है लेकिन उनका धान नहीं लिया जा रहा है और पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। ओले गिर रहे हैं, पानी गिर रहा है किसान सड़कों पर बैठे हुए हैं।

डॉ. रमन सिंह (राजनांदगांव) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नेशनल हाईवे में 10-10 किलोमीटर तक चक्काजाम हो रहा है, पूरी सड़क रूकी हुई है। हजारों किसान ऐसे हैं जिनका एक भी क्विंटल धान नहीं खरीदा गया है और वह सारे किसान उद्वेलित हैं। 12800 से ज्यादा किसानों को 9 लाख क्विंटल धान खरीदी का टोकन मिल चुका है। टोकन मिलने के बाद भी खरीदी के आदेश नहीं हो रहे हैं। जिनके पास टोकन है वह टोकन लिये घूम रहे हैं। ऐसे हजारों टोकन हमारे पास उपलब्ध हैं जिनका टोकन मिलने के बाद आज तक धान नहीं खरीदा गया। मुझे समझ में नहीं आया कि 15 साल तक हम लोगों ने धान खरीदी की व्यवस्था को ठीक किया, आज पहली बार यह देखने को मिल रहा है कि किसान सड़क पर हैं और आत्महत्या के लिए अनुमति मांग रहे हैं। इससे बड़े लज्जा की बात क्या हो सकती है कि ऐसी सरकार कि किसान इच्छामृत्यु की अनुमति मांगने को मजबूर हो रहे हैं? (शेम-शेम की आवाज) इसके लिए हम लोगों ने कहा था कि जब तक इसकी घोषणा नहीं होगी तब तक इस विधानसभा में

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

बाकी काम करने का मतलब क्या है? आज लाखों किसान भटक रहे हैं और यदि उनके धान नहीं खरीदे गये तो वह कर्ज में डूब जायेंगे। आत्महत्या करने के सिवाय उनके पास कोई रास्ता नहीं रहेगा। इससे गंभीर विषय आज विधानसभा में या छत्तीसगढ़ में नहीं है कि किसान अपनी इच्छामृत्यु का आवेदन देने को मजबूर हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, अन्नदाता लाखों-करोड़ों लोगों के लिए अनाज पैदा करता है, वह सबसे ज्यादा दुखी है। 07 दिन, 07 रात हो गये, 134 घंटे का समय बीत गया। आज तक ऐसा आंदोलन नहीं देखा। किसान नेशनल हाईवे में बैठा हुआ है, खाना बना रहा है, चक्काजाम किया हुआ है उससे बात करने कोई अधिकारी नहीं जा रहा है। कलेक्टर आ सकता है, एस.डी.एस. आ सकता है, तहसीलदार आ सकता है लेकिन राजस्व का कोई अधिकारी उनका दुख-दर्द पूछने नहीं जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, ये अजीब बात है। अपने हक के लिए लड़ने वाले किसानों को केशकाल में दौड़ा-दौड़ा कर लाईट बंद करके मारा जा रहा है। इस विषय को लेकर हम लोगों ने कहा है कि जब तक स्पष्ट घोषणा नहीं होगी, तब तक हम किसानों की मांग के लिए लगातार आंदोलित हैं।

समय :
12:03 बजे **(सभापति महोदय (श्री सत्यनारायण शर्मा) पीठासीन हुए)**

श्री शिवरतन शर्मा (भाटापारा) :- माननीय सभापति महोदय, 134 घंटे से लोग धरने में बैठे हुए हैं, भरी बरसात में धरने में बैठे हुए हैं, न तो सरकार धान खरीद रही है, न तो सरकार किसी प्रकार का आश्वासन दे रही है, खाली नौटंकी कर रही है।

श्री नारायण चंदेल (जांजगीर-चांपा) :- माननीय सभापति महोदय, आसंदी से सरकार को निर्देशित किया जाए, किसानों की समस्या का निदान होना चाहिए। किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हो रहा है, किसानों की धान खरीदी नहीं हुई, माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में आकर बयान दें कि वह समय बढ़ायें और जिन किसानों का पंजीयन हुआ है, टोकन मिला है उनके धान की खरीदी हो।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, भरी बरसात में किसान धरने में बैठे हैं, 134 घंटे से बैठे हुए हैं। 1 लाख 34 हजार किसानों का धान नहीं खरीदा गया है। आप यह बताईये कि उन किसानों का धान सरकार खरीदेगी या नहीं खरीदेगी? किसानों के ऊपर लाठीचार्ज किया जा रहा है।

सभापति महोदय :- इस विषय पर स्थगन प्रस्ताव पर कल चर्चा हो चुकी है, अब इस विषय पर चर्चा नहीं की जा सकती।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय सभापति महोदय, किसानों के संबंध में सरकार का बयान आना चाहिए। किसानों को दौड़ा-दौड़ा कर मारा जा रहा है।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- माननीय सभापति महोदय, जिन किसानों को टोकन मिला है, वह सोसायटी के सामने धान को रखे हुए हैं और धान को रखने के बाद वहां पर जो बचे हुए हैं

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

कोई अधिकारी आकर उनको पूछने वाला नहीं है, पूरे प्रदेश में तमाशा बनाकर रखे हैं। पानी, बरसात के मौसम में धान खराब हो रहा है, किसान परेशान है और उसके बाद उनको कोई पूछने को तैयार नहीं है और इसकी चर्चा यहां नहीं होगी तो कहां पर होगी? माननीय सभापति महोदय, आपने टोकन जारी किया है, हमने कोई टोकन जारी नहीं किया है, सरकार के आदेश पर टोकन जारी हुआ है। टोकन जारी होने के बाद में यदि किसान का धान न खरीदे। यहां पर चर्चा नहीं होगी तो कहां पर होगी। यहां यदि घोषणा नहीं करेंगे तो कहां पर होगी। इसलिए हम आपसे मांग करते हैं कि मुख्यमंत्री जी उसकी घोषणा करें और व्यवस्था करके जिनको धान का टोकन मिला है, उस टोकन से धान की खरीदी करें। (व्यवधान)

श्री अमरजीत भगत :- सभापति महोदय, विपक्ष केवल दिखावा करती है। स्थगन लगा करके चर्चा से भागती है। विपक्ष केवल इस पर राजनीति करती है। (व्यवधान) ये केवल किसानों के नाम पर राजनीति करती है। (व्यवधान)

सभापति महोदय :- इस पर पर्याप्त चर्चा हो चुकी है, अब इसमें कोई चर्चा नहीं होगी। (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- किसानों का धान इस सरकार ने नहीं खरीदा है। (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- सभापति महोदय, कल स्थगन में...। (व्यवधान)

श्री नारायण चंदेल :- कृषि मंत्री जी जवाब दें कि किसानों का धान क्यों नहीं खरीदा ? (व्यवधान)

डॉ. (श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव :- स्थगन लगा करके भाग क्यों गये ? (व्यवधान)

श्री अमरजीत भगत :- किसानों के नाम पर आप लोग केवल राजनीति करते हैं। (व्यवधान)

(पक्ष-प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा परस्पर विरोधी नारे लगाये गये।)

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय, किसान धान लेकर सोयायटी में खड़े हैं। उनकी धान की खरीदी की घोषणा होनी चाहिए। (व्यवधान) ये सरासर किसानों के प्रति अन्याय है। (व्यवधान)

डॉ. (श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव :- कल स्थगन लगाकर भाग क्यों गये ? (व्यवधान)

सभापति महोदय :- सदन की कार्यवाही 5 मिनट के लिये स्थगित की जाती है।

(12.07 बजे से 12.16 बजे तक कार्यवाही स्थगित रही)

समय :
12: 16 बजे

(सभापति महोदय (श्री सत्यनारायण शर्मा) पीठासीन हुए)

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, पूरे प्रदेश का किसान उद्वेलित है।

अशोधित/असंशोधन के लिये नहीं

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, आपकी कृपा किसानों के ऊपर बंद है, आप वहां बैठकर सरकार को निर्देशित करें कि जिन किसानों को गोबर मिल गया, उन किसानों का धान खरीदें।

श्री नारायण चंदेल :- आसंदी से निर्देश दें।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप आसंदी से निर्देश कर सकते हैं। ऐसा कई बार निर्देश सरकार को जारी हुआ है और सरकार ने माना है।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया):- माननीय हमारे पूर्व मंत्री जी बोल रहे हैं कि धान नहीं खरीद रहे हैं। ये तो खुद धान बेच चुके हैं। इनके बेटे का भी धान बिक गया है। पहले गरीब किसानों का धान बिकवाना था। डॉ. साहब आप भी धान बेच चुके हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, इस प्रदेश में समाचार पत्रों में आ रहा है कि रोज किसान परेशान हैं। उनका धान नहीं बिक पा रहा है। उनको टोकन दिया है। टोकन में भी धान नहीं खरीदा जा रहा है। (व्यवधान)

सभापति महोदय :- माननीय बृजमोहन जी आपकी बात आ गई। पहले भी आप ये दिखा चुके हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अभी कितना धान बचा है। इस सरकार को लज्जा नहीं आ रही है। किसान 7 दिनों से सड़कों पर बैठे हैं।

डॉ. शिवकुमार डहरिया:- पहले आपको धान बिकवाना था।

सभापति महोदय :- आप लोग स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से चर्चा कर चुके हैं। अब इसमें चर्चा नहीं हो सकती। (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, परंतु किसानों को राहत देने के लिए एक शब्द भी नहीं बोलते।

श्री अजय चन्द्राकर :-अतिलोकप्रिय खाद्य मंत्री । आपके बारे में अभी लगातार 3 दिन तक चर्चा होगी।

सभापति महोदय :- आप सभी की बात आ चुकी है। कल स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से आपको जितना कहना था, कह दिया है। अब इस विषय पर दुबारा चर्चा नहीं हो सकती। माननीय कृषि मंत्री जी आप वक्तव्य दें।

श्री नारायण चंदेल :- सरकार का उत्तर नहीं आया। मुख्यमंत्री जी ने घोषणा नहीं की।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी का वक्तव्य सदन में होता है, परंतु किसानों को राहत देने के लिए एक शब्द भी नहीं बोलते।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, ऐसा अवसर कई बार हाऊस में आया है। जब स्थगन के विषय में मुख्यमंत्री ने वक्तव्य दिया है और कार्यवाही भी हुई है। ये किसानों का विषय है।

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

सभापति महोदय :- इस विषय में चर्चा हो चुकी है। अब इसमें चर्चा न करें। माननीय कृषि मंत्री जी आप वक्तव्य दें। (व्यवधान)

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- जब आप लोग स्थगन लाते हैं तो वक्तव्य सुनने का नैतिक साहस भी रखिये।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ के 20 सालों के इतिहास में किसान 134 घण्टे तक धरने पर नहीं बैठे हैं। (व्यवधान)

श्री अमरजीत भगत :- जब आप लोग स्थगन लाते हैं तो वक्तव्य सुनने का नैतिक साहस भी रखिये।(व्यवधान)

सभापति महोदय :- देखिए। माननीय कृषि मंत्री जी का वक्तव्य आ रहा है। मैंने माननीय कृषि मंत्री जी को पुकारा है। आप लोग बैठिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, केवल एक लाईन का जवाब है कि हम धान खरीदेंगे। (व्यवधान)

सभापति महोदय :- आप सब लोग बैठिए। (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय, किसान को टोकन जारी करने के बाद भी धान की खरीदी नहीं हो रही है। जब धान की खरीदी नहीं करना था तो टोकन का वितरण क्यों किया ? और यदि टोकन का वितरण किया गया है तो इसमें निश्चित रूप से उनके धान की खरीदी होनी चाहिए और आसंदी से ये निर्देश जारी हो कि मुख्यमंत्री जी घोषणा करें कि जिनको टोकन जारी किया गया है उनके धान की खरीदी की जाये।

सभापति महोदय :- शासन के वक्तव्य में सभी बातें हैं। माननीय कृषि मंत्री जी वक्तव्य दें। माननीय कृषि मंत्री जी का वक्तव्य सुनें। आप लोग बैठे।

श्री नारायण चंदेल :- कृषि मंत्री जी गोल-गोल जवाब देते हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- पूरा धांधली बात करथे।

सभापति महोदय :- आप लोग बैठ जाएं।

श्री अमरजीत भगत :- आन्दोलकारी मन के खाना बनवात-बनवात डॉक्टर साहब थक गे हे। कितना दिन खाना बनवाए?

अप्रकाशित/प्रकाशन के लिये नहीं

समय :

12:20 बजे

वक्तव्य

प्रदेश के बहुतायत क्षेत्रों में असामयिक वर्षा और कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि होना।

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- माननीय सभापति महोदय, प्रदेश के बहुतायत क्षेत्रों में दिनांक 23.02.2020 और 24.02.2020 को असामयिक वर्षा और कुछ स्थानों पर ओला वृष्टि हुई है। कोरिया, सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर, जशपुर, बेमेतरा, कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव एवं रायपुर इत्यादि जिले विशेष रूप से फसल प्रभावित हुए हैं। इस असामयिक वर्षा से गेहूं, दलहन, तिलहन और उद्यागिनी फसलों को जगह-जगह पर भारी क्षति होने की सूचना प्राप्त हुई है।

श्री शिवरतन शर्मा :- इसमें तो ध्यानाकर्षण लगा हुआ है।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- माननीय सभापति महोदय, इसमें ध्यानाकर्षण लगा हुआ है। इसमें वक्तव्य की जरूरत नहीं है।

सभापति महोदय :- देखिये, सदन की कार्यवाही चलाने में सहयोग करें।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय, इस विषय में ध्यानाकर्षण लगा हुआ है, उस पर माननीय मंत्री जी घोषणा करेंगे। .. (व्यवधान)..

श्री अजय चन्द्राकर :- हम जिस विषय पर अपनी बात रखना चाहते हैं, उस पर वक्तव्य आये।

श्री नारायण चंदेल :- कृषि मंत्री जी पढ़ क्या रहे हैं? .. (व्यवधान)..

श्री धरमलाल कौशिक :- हमारा अभी ध्यानाकर्षण है। माननीय सभापति महोदय, हमने कोई बात नहीं किया है। हम इसके विरोध में सभा से बहिर्गमन करते हैं।

समय :

12:21 बजे

बहिर्गमन

शासन के वक्तव्य के विरोध में।

(नेता प्रतिपक्ष श्री धरमलाल कौशिक के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा शासन के वक्तव्य के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया।)

वक्तव्य (क्रमश:)

श्री रविन्द्र चौबे :- मैं विधानसभा के माध्यम से प्रदेश के किसानों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि सरकार उनके साथ है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी जिलों के जिलाध्यक्षों को राजस्व पुस्तक

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

परिपत्र की धारा 6 (4) के तहत फसल क्षति वाले किसानों को राहत प्रदाय करने के निर्देश दिए हैं। राजस्व पुस्तक परिपत्र के तहत राहत सभी उन पात्र किसानों को दी जाएगी जिनके फसलों को ओला वृष्टि से क्षति हुई है।

साथ ही प्रभावित क्षेत्रों में प्रधानमंत्री फसल बीमा के तहत अधिसूचित जोखिमों के सर्वेक्षण तथा क्षति आंकलन कर बीमित किसानों को क्षतिपूर्ति प्रदान किया जाना है। संबंधित क्षेत्रीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि बीमा अधिकारियों के साथ सर्वे का कार्य तत्काल पूर्ण करें। सर्व उपरांत क्षति का आंकलन एवं क्षति के दावों का त्वरित निराकरण किया जावेगा। कृषि विभाग के सभी क्षेत्रीय अमले को फील्ड में जाकर उपरोक्तानुसार सर्वे कार्य हेतु निर्देश दिये जा चुके हैं।

सभापति महोदय :- अब मैं ध्यानाकर्षण की सूचनायें लूंगा। माननीय धरमलाल कौशिक जी।

श्री बृजमोहन अग्रवाल (रायपुर नगर दक्षिण) :- माननीय सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि जिस विषय में स्थगन, ध्यानाकर्षण लगे हुए हैं और आज ही ध्यानाकर्षण पर चर्चा है, उस विषय पर सरकार का वक्तव्य आना, ये बहुत खेदजनक है। आपको इसके ऊपर में निर्देश देना था कि आप ध्यानाकर्षण में अपनी बात को कह देंगे। हम चाहते हैं कि ये सरकार जवाब दे कि किसानों का जो धान नहीं खरीदा गया है, किसान आंदोलन कर रहे हैं।

सभापति महोदय :- देखिये, इस पर चर्चा नहीं हो सकती, मैं व्यवस्था दे चुका हूं। आप लोगों ने कल स्थगन के माध्यम से पर्याप्त चर्चा कर ली है। अब इस पर चर्चा नहीं हो सकती।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति जी, हम चर्चा नहीं, बात कर रह हैं। सरकार नियमों का उलंघन कर रही है, सरकार के हिसाब से सदन थोड़ी चलेगा।

सभापति महोदय :- देखिये, माननीय मंत्री जी का वक्तव्य भी आ गया, मैंने ध्यानाकर्षण की सूचना पढ़ने के लिए माननीय धरमलाल कौशिक जी का नाम पुकारा है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- जब ध्यानाकर्षण है तो वक्तव्य की जरूरत क्या है ?

सभापति महोदय :- और चर्चा होने दीजिए न, क्या दिक्कत है ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- उसकी जरूरत क्या है ?

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय, जब ध्यानाकर्षण है और ध्यानाकर्षण में माननीय मंत्री जी को जवाब देना है तो वक्तव्य की आवश्यकता क्या है?

सभापति महोदय :- मंत्री जी जवाब भी देंगे।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय, वक्तव्य की आवश्कयता नहीं है। यह नियम के विपरित है। यदि इस विषय में कोई चर्चा नहीं है, मंत्री जी से स्वाभाविक रूप से मांग करते, उसमें वह वक्तव्य देते। अभी ध्यानाकर्षण इसी विषय पर है तो वक्तव्य देने की आवश्यकता नहीं है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- हम लोग मांग कर रहे हैं कि धान खरीदी के ऊपर में वक्तव्य आये।

अप्रमाणित/असंशोधित के लिए नहीं

सभापति महोदय :- यदि वक्तव्य आ गया है तो इसमें दिक्कत क्या है ?

श्री धरमलाल कौशिक :- यह नियम के विपरीत है।

सभापति महोदय :- कोई नियम के विपरीत नहीं है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- यह नियम के विपरीत है।

श्री शिवरतन शर्मा :- जिस विषय में आज ध्यानाकर्षण में चर्चा होनी है, उस विषय पर वक्तव्य कैसे देंगे ? .. (व्यवधान)..

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- सभापति जी, आप बताईये कि कौन से नियम के विपरीत है ? .. (व्यवधान)..

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- माननीय सभापति महोदय, सरकार जवाब दे रही है तो विपक्ष जवाब सुनने के लिए तैयार नहीं हैं।

सभापति महोदय :- देखिये, माननीय मंत्री जी ने असामयिक वर्षा पर वक्तव्य दिया है। कोई नियमों के विपरीत नहीं है। माननीय धरमलाल कौशिक जी अपनी ध्यानाकर्षण की सूचना पढ़ें।

श्री धरमलाल कौशिक :- हमारा भी ध्यानाकर्षण तो बेमौसम बारिश में है।

सभापति महोदय :- आप ध्यानाकर्षण की सूचना पढ़िये।

श्री धरमलाल कौशिक :- मैं पढ़ूंगा न, लेकिन माननीय मंत्री जी ये वक्तव्य वापस लें।

श्री अमरजीत भगत :- इस मुद्दे पर विपक्ष केवल राजनीति कर रहा है, गंभीर नहीं है।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- अगर गंभीर हैं तो यह घोषणा कर दें कि 1 लाख 34 हजार किसानों का धान खरीदेंगे।

समय :

12:24 बजे **(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास मंहत) पीठासीन हुए।)**

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि हमारे नियमों में इस बात का उल्लेख है कि एक विषय पर जिस पर कोई चर्चा किसी बात पर होने वाली है, उस पर दोबारा बातचीत नहीं हो सकती, जब माननीय नेता प्रतिपक्ष का उसी विषय पर ध्यानाकर्षण लगा हुआ है तो उसी विषय पर मंत्री जी को वक्तव्य देने की अनुमति आपने कैसे दिया ? कौन से नियमों के अंतर्गत अनुमति दी ? ये नियम के विरूद्ध है।

नगरीय प्रशसन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- नियमों में पूरा प्रावधान है। आप नियम पढ़कर आया करो।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- सरकार अपनी मर्जी से विधानसभा को चलाना चाहती है, जब हम वक्तव्य की मांग कर रहे हैं कि धान खरीदी पर वक्तव्य दें, हम चाह रहे हैं कि धान खरीदी पर घोषणा

अप्रकाशित/प्रकाशन के लिये नहीं

करें, हम चाहते हैं कि टोकन दिये गये हैं, उसके ऊपर में वक्तव्य आये, हम चाहते हैं किसानों के धरने पर वक्तव्य आये, उस पर सरकार वक्तव्य नहीं दे रही है।

श्री अमरजीत भगत :- हम पहली बार देख रहे हैं कि सरकार जवाब देती है और विपक्ष भागती है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- यह किसानों के आंदोलन का 80 पेजों में समाधि पत्र में छपा है, सरकार इसका जवाब नहीं दे रही है। आज भी 134 घंटे से किसान धरने पर बैठे हैं, उसका सरकार जवाब नहीं दे रही है। किसानों को टोकन जारी हुए हैं, उनका धान नहीं खरीदा जा रहा है, उसका जवाब नहीं दे रहे हैं, मुख्यमंत्री जी विधानसभा में वक्तव्य देते हैं परंतु किसानों को राहत देने की कोई बात नहीं करते । (व्यवधान) आपको इसके ऊपर सरकार को निर्देश देना चाहिए कि किसानों की धान खरीदी पर सरकार का वक्तव्य आना चाहिए, ओलावृष्टि पर तो ध्यानाकर्षण में चर्चा होगी, हमने स्थगन दिया है उस पर चर्चा हो जाएगी । आपका निर्देश आना चाहिए । (व्यवधान)

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी को आसंदी से निर्देश हो जाए, वे घोषणा कर दें । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, मंत्री जी बताईए । (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप आज की कार्यसूची देख लीजिये जिस विषय पर वक्तव्य आया वह ध्यानाकर्षण में लगा हुआ है । हमारे उठाये गये विषय को जबर्दस्ती विषयांतरित करने के लिए माननीय मंत्री जी ने वक्तव्य दिया, हम दो दिन से भाग नहीं रहे हैं बल्कि वक्तव्य की मांग कर रहे हैं कि आप धान खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे । (व्यवधान) मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इस प्रदेश में कई बार ऐसे अवसर आये हैं जब सरकार का मत आसंदी से पूछा गया है । मैं आपसे आग्रह करता हूं कि यह सरकार विश्वास खो चुकी है, किसानों का मत खो चुकी है, आप यह निर्देश दे सकते हैं कि आप इस विषय में क्या कहना चाहते हैं? (व्यवधान) वे धान खरीदी पर बोलें हम सुनने के लिये बैठे हैं, आपसे आग्रह है आसंदी से उनको निर्देशित हो जाये । (व्यवधान)

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- हो गया न, अब सुन तो लीजिए ।

श्री मोहन मरकाम :- अब आपको और क्या बतायेंगे, ग्रामीण जनता पहले ही बता चुकी है ।

अध्यक्ष महोदय :- मरकाम जी बैठिए । (व्यवधान)

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जितने बात कर रहे हैं यह सब अपना-अपना धान बेच चुके हैं, ये किसानों के मामले में राजनीति कर रहे हैं । (व्यवधान)

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विषय पर जो पूरा आदरणीय अजय जी से लेकर संयुक्त विपक्ष उद्वेलित हो रहा है ।

श्री अजय चंद्राकर :- जनता उद्वेलित है, 7 जगह चक्काजाम है। (व्यवधान)

अशासकीय/प्रकाशन के लिये नहीं

नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- जनता कहीं उद्वेलित नहीं है । छत्तीसगढ़ की जनता खुश है । (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- सत्य बोलिए । (व्यवधान)

श्री मोहन मरकाम :- आपके कार्यकर्ता लोग जनता को भड़का रहे हैं । (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय कृषि मंत्री जी, आज पूरे समाचार-पत्रों में आपका हाफ पेज का विज्ञापन छपा है और उस विज्ञापन में स्पष्ट हो गया कि 1 लाख 34 हजार किसानों का धान आपने नहीं खरीदा है, यह आज के विज्ञापन से आपने स्वयं ने स्पष्ट कर दिया है । हजारों की संख्या में किसान टोकन लेकर घूम रहे हैं । हमने आपसे एक लाईन का उत्तर मांगा है कि आप किसानों का धान खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे ?

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी बात तो हो जाए ।

अध्यक्ष महोदय :- पहले मंत्री जी को सुनिए ।

श्री शिवरतन शर्मा :- आप किसानों का धान खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे यह बताईएगा, आप सदन को गुमराह करने का प्रयास क्यों करते हैं ?

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आंदोलनकारियों का खाना बनवाते-बनवाते डॉ. रमन सिंह साहब परेशान हो गए हैं । (हंसी)

डॉ. रमन सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी गंभीर विषय को यहां मजाक का विषय बनाना । (शेम-शेम की आवाज) 172 घंटे तक वहां बारिश हो रही है, सड़क पर किसान बैठे हैं और यहां मजाक उड़ाया जा रहा है । (व्यवधान)

श्री अमरजीत भगत :- आप लोग अगर जनता के हितैषी हैं, किसान के हितैषी हैं तो चर्चा में भाग लेना चाहिए, जवाब सुनना चाहिए । (व्यवधान)

डॉ. रमन सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ के किसानों के लिये कभी दलाल शब्द का उपयोग नहीं किया गया । (व्यवधान)

श्री अमरजीत भगत :- हम तो पहली बार देख रहे हैं कि सरकार जवाब दे रही है और लोग भाग रहे हैं । (व्यवधान)

डॉ. रमन सिंह :- कभी कोचिया शब्द उपयोग नहीं किया, आज किसान पोस्टर और बैनर लेकर खड़ा है कि मैं दलाल नहीं हूं, मैं कोचिया नहीं हूं, किसानों को दलाल और कोचिया कहने वाले लज्जा महसूस करो । उनकी पीड़ा समझो । (व्यवधान)

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ लोगों को तो रोजी भी दिया जा रहा है, धरना-प्रर्दशन करने वालों को रोटी के साथ रोजी भी दिया जा रहा है । (व्यवधान)

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

डॉ. रमन सिंह :- आर.बी.सी. 6-4 में वक्तव्य देकर माननीय कृषि मंत्री जी ने अपनी संवेदनशीलता दिखायी । (व्यवधान)

श्री सत्यनारायण शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, किसानों के दलाल होते हैं। पूरे बाजार में किसानों की फसल को दलाल लोग बेचते हैं, अब यह बेच रहे हैं इसमें अंतर क्या है ?

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय शर्मा जी एक नयी परिभाषा दे रहे हैं ।

डॉ. रमन सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका निर्देश हो जाये, आपका आदेश हो जाये इस विषय में कि धान खरीदना चाहते हैं, टोकन दिये हैं तो उनका धान खरीदेंगे, हां और नहीं में जवाब आ जाये । हम एक लाईन की बात चाहते हैं, इससे आगे कोई चर्चा और बातचीत नहीं इससे महत्वपूर्ण चर्चा कुछ और नहीं है । (व्यवधान)

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, किसानों का पूरा धान खरीद लिया गया है, किसी का नहीं बचा है । (व्यवधान)

डॉ. रमन सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरा छत्तीसगढ़ देख रहा है । एक लाईन का वक्तव्य आ जाये, किसका इंतजार कर रहे हैं, इस विषय पर बात होनी चाहिए ।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार के मेरे पास जो आंकड़ें हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- अभी ध्यानाकर्षण चल रहा है, आप कृपया बैठ जायें ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोगों का ध्यानाकर्षण-स्थगन इस विषय पर लगे हैं ओलावृष्टि पर और उस विषय पर माननीय मंत्री जी चूंकि एक तो आपने ध्यानाकर्षण स्वीकार किया जिस पर आप चर्चा करवा रहे हैं उसमें माननीय मंत्री जी का वक्तव्य आना यह आश्चर्यजनक है । जिस विषय पर हम वक्तव्य चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार किसान 7 दिनों से धरने पर बैठे हैं, ओला में, बारिश में प्रदर्शन कर रहे हैं । किसानों को टोकन दिया गया है लेकिन उनका धान नहीं खरीदा गया है इसके ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी का वक्तव्य आये लेकिन उस पर वक्तव्य नहीं आ रहा है, हम चाहते हैं कि उस पर आप निर्देश दें कि उस पर वक्तव्य आ जाये । कल मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में वक्तव्य दिया परंतु इसके बारे में एक शब्द भी नहीं कहा । चूंकि पूरे प्रदेश का किसान परेशान है इसलिए सरकार समाचार पत्रों में बड़े-बड़े विज्ञापन छपवा रही है । इस सरकार की बात अब जनता नहीं सुन रही है । छत्तीसगढ़ के किसान परेशान हैं । धरने पर हैं, आंदोलन कर रहे हैं, भूखे-प्यासे बरसात में, ओले में धरना दे रहे हैं, उस पर चर्चा होनी चाहिए । आप निर्देशित करें कि उस पर वक्तव्य आए ।

श्री मोहन मरकाम :- ग्रामीण जनता ने आपका क्या हश्र किया है, आपको नहीं पता क्या ? अध्यक्ष जी आज ये घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष महोदय, आपने सबकी बात सुन ली, दो मिनट हमारी भी सुन लीजिए । दो अलग-अलग बिंदु उठा रहे हैं, कल स्थगन की चर्चा थी, आपने चर्चा क्यों नहीं की ?

श्री मोहन मरकाम :- भागे, भागे ।

श्री शिवरतन शर्मा :- चर्चा की । हमने एक लाईन में जवाब चाहा कि आप धान खरीदेंगे या नहीं ।

श्री रविन्द्र चौबे :- एक मिनट, हर लाईन में प्रतिउत्तर नहीं, कुछ बातें सुन तो लीजिए । हर लाईन का उत्तर आप बाद में भी दे देना । अध्यक्ष महोदय, आपने स्थगन ग्राह्य किया, हम तो तत्काल चर्चा चाहते थे, अब उत्तर हम क्या देंगे, यह तो सरकार तय करेगी । दूसरी बात आदरणीय बृजमोहन जी कह रहे हैं कि आपने ध्यानाकर्षण में, आदरणीय नेता प्रतिपक्ष का मामला है, आप स्टेटमेंट कैसे दे सकते हैं? स्टेटमेंट समग्र है, आपने केवल आर.बी.सी. का ध्यानाकर्षण उठाया है, उसमें इन्श्योरेंस का एक शब्द नहीं लिखा गया है । हमने जो स्टेटमेंट दिया, उसमें सब कुछ शामिल है । आप क्यों आपत्ति करते हैं, हम किसानों की बात ही कह रहे हैं । तीसरी बात, अगर आप स्थगन से भाग गए तो कोई आपत्ति नहीं है, यह आपका अधिकार है, आप किस मुद्दे पर चर्चा करना चाहते हैं, किस मुद्दे पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं यह आपके विवेक पर निर्भर करता है । लेकिन सरकार हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं (मेजो की थपथपाहट)

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय मंत्री जी का यह कहना कि हम स्थगन देकर भाग गए, हम तो आपका जवाब आज भी चाहते हैं । (व्यवधान) सरकार अपने वायदे से भाग रही है, आपने टोकन जारी किया है तो उनका धान खरीदिये ना । (व्यवधान)

डॉ. (श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव :- धान खरीदा जा चुका है । (व्यवधान)

श्री रविन्द्र चौबे :- सरकार 80 लाख मीट्रिक टन धान खरीद चुकी है ।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, जब कोई सूचना ही नहीं है तो ये किस विषय पर बोल रहे हैं ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, माननीय कृषि मंत्री जी का यह आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद है । किसानों का धान खरीदने से यह सरकार भाग रही है । टोकन इन्होंने जारी किया, अब धान खरीदने से यह सरकार भाग रही है । हम तो यह पूछना चाहते हैं कि आप खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे यह बता दीजिए (व्यवधान)

(सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा नारेबाजी की गई)

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, शांति से बैठिये, आप लोग बैठ जाइए ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- सरकार को विज्ञापन छपवाना पड़ता है । जिस सरकार को विधान सभा के चलते हुए विज्ञापन छपवाना पड़े, उस सरकार से ज्यादा शर्मनाक स्थिति और किसी की नहीं हो

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

सकती । उस सरकार को डूब मरने के अलावा कोई चारा नहीं है । ये सदन चल रहा है विज्ञापन क्यों छपवा रहे हो भइया, सदन में जवाब दो ना, क्यों विज्ञापन छपवा रहे हो । (व्यवधान)

श्री अमरजीत भगत :- अध्यक्ष महोदय, इनमें नेता प्रतिपक्ष कौन है, यह पता ही नहीं चल रहा है ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, श्री धरमलाल जी कौशिक ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, शून्यकाल खत्म हो गया क्या, आपने ध्यानाकर्षण ले लिया ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, अपना ध्यानाकर्षण बृजमोहन जी को दे दीजिए ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, हमारे अन्य विषय भी हैं ।

श्री धरमलाल कौशिक :- शून्यकाल के बाद कर लेते हैं । (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, शून्यकाल में हमारा अधिकार है ।

अध्यक्ष महोदय :- शून्यकाल तो अभी आपने उठाया है ना ।

श्री अजय चन्द्राकर :- नहीं-नहीं, मैंने बोला कहां है?

अध्यक्ष महोदय :- अभी चलिए। अगली बार उठा लीजिएगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- आपके संरक्षण में ही तो कोई विषय आता है।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- शून्यकाल हो गया है।

श्री मोहन मरकाम :- शून्यकाल खत्म हो गया है। ध्यानाकर्षण आ गया है।

श्री अजय चन्द्राकर :- यह हमेशा परंपरा बन जायेगी कि शून्यकाल नहीं होगा और ध्यानाकर्षण सीधे शुरू हो जायेगा।

श्री मोहन मरकाम :- आपने भाग क्यों नहीं लिया?

श्री अजय चन्द्राकर :- मैंने माननीय कृषि मंत्री जी के विरूद्ध एक विशेषाधिकार भंग का प्रस्ताव दिया है।

अध्यक्ष महोदय :- इसे बाद में भी बोल सकते हैं। चलिए बोलिए। आपको विशेष अनुमति दी जाती है। आप बोलिए, आपको अधिकार है।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, विधान सभा नोटिफिकेशन हो चुका है। विधान सभा की प्रक्रिया में वित्तीय कार्य सबसे गोपनीय होता है। किसानों के मामले जब उद्वेलित हुए तो जिम्मेदार संसदीय कार्य मंत्री जोकि इन सारी प्रक्रियाओं को जानते हैं, उन्होंने पेपर में यह कहा कि हमने किसानों के लिए 5 हजार करोड़ रूपये का प्रावधान अंतर राशि में किया है। इससे शासन की गोपनीयता भंग हुई।

अप्रमाणित/प्रकाशन के लिये नहीं

उसके पद और गोपनीयता की जो शपथ ली है, वह भंग हुई है और मैं चाहता हूं कि यह एक उदाहरण मत बने..।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- मुख्यमंत्री जी ने इस बात को विधान सभा में घोषणा कर दिया था। तब ये कहां थे?

श्री अजय चन्द्राकर :- और इसलिए इस विशेषाधिकार भंग के विषय में आप तत्काल चर्चा करवाएं ताकि ऐसे उदाहरण मत बने। इससे विधान सभा की गरिमा कम होती है। आखिर विधान सभा सत्र किसलिए है? चर्चा किसलिए होती है? बजट किसलिए आता है ? यह गोपनीयता क्यों रखी जाती है?

श्री अमरजीत भगत :- इसमें तो माननीय मुख्यमंत्री जी का पहले ही घोषणा हो चुका है। इसमें विशेषाधिकार तो लागू नहीं होता है।

अध्यक्ष महोदय :- आप लोग प्लीज बैठ जाएं। आप लोग बार-बार खड़े क्यों होते हैं? आप लोग माननीय मंत्री जी हैं। अब ऐसा नहीं है।

श्री शिवरतन शर्मा :- अध्यक्ष जी, मैने विशेषाधिकार भंग की सूचना दी है। प्रदेश के एक वरिष्ठ मंत्री एक विषय पर धरने में सम्मिलित होने गये, जिस विषय पर सुप्रीम कोर्ट का decision आया और उसके विरोध में धरना आयोजित था और उस धरने में प्रदेश के माननीय गृह मंत्री जी सम्मिलित होने गये। उनके खिलाफ मैंने विशेषाधिकार हनन की सूचना दी है।

अध्यक्ष महोदय :- आप दोनों के विशेषाधिकार विचाराधीन हैं। धरमलाल कौशिक जी।

श्री शिवरतन शर्मा :- हम यह चाहते हैं कि आप इसमें चर्चा करा लें।

श्री अजय चन्द्राकर :- एक बार विशेषाधिकार में चर्चा हो।

अध्यक्ष महोदय :- कभी होगी। कौशिक जी।

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष जी, इस आसंदी को अधिकार है कि प्रीविलेज जब भी आये और आप कब चर्चा कराना चाहेंगे, लेकिन बेहद जिम्मेदार विद्वान सदस्य ने किसानों को अगर अतिरिक्त राशि के संदर्भ में...।

श्री अजय चन्द्राकर :- यह किसानों का विषय नहीं है। यह प्रक्रिया का विषय है। ये फिर गोल-गोल बात कर रहे हैं। फिर गोल-गोल बात हो रही है। यह प्रकिया का विषय है। किसानों का विषय नहीं है।

(माननीय सदस्य श्री शिवरतन शर्मा और श्री अजय चन्द्राकर की ओर इशारा करते हुए)

अध्यक्ष महोदय :- आप दोनों की हंसी छिपाये नहीं छिप रही है। आप दोनों धरमलाल जी को बात करने दीजिए।

श्री शिवरतन शर्मा :- क्या है? संसदीय कार्य मंत्री जी इस बात को घुमाने का प्रयास करते हैं। किसानों की इतनी चिंता है तो किसानों का धान खरीदो।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री रविन्द्र चौबे :- मैं सीधा बोल देता हूं।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप इतने हितैषी हैं तो किसानों का धान खरीद लीजिए।

श्री शिवरतन शर्मा :- किसानों का धान खरीद लो न।

श्री रविन्द्र चौबे :- मैं सीधा बोल देता हूं। अध्यक्ष जी, यह हमारे छत्तीसगढ़ के विधान सभा की एक अच्छी परंपरा भी होगी। आप इसी सत्र में आदरणीय अजय जी का जो प्रीविलेज है, उसमें चर्चा कराइए। हमने क्या कहा और वे क्या चाहते हैं, वह सदन के सामने आ जायेगा।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है। कौशिक जी।

समय:

12.48 बजे

ध्यानाकर्षण सूचना

(1) बेमौसम बारिश से फसलों को नुकसान होना

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक), सर्वश्री डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी, श्री रजनीश कुमार सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी ध्यानाकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है :-

बेमौसम बारिश के कारण प्रदेश में कृषि फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। प्रदेश के कई क्षेत्रों में अलसी, चना, मसूर, तिवरा व गेहूं अनेक तिलहन व दलहन फसल लगाई जाती है तथा प्रदेश के अनेक कृषकों का आर्थिक आधार उक्त फसलें हैं। विगत दो माह में प्रदेश में बेमौसम बारिश के कारण फसलों का भारी नुकसान हुआ है, मगर कृषि व राजस्व विभाग की लापरवाही के कारण आज पर्यन्त किसानों के द्वारा लगाई गयी व खराब हुई फसलों का कोई सर्वे नहीं किया गया है और न ही कोई मुआवजा का प्रकरण बनाया गया है। प्रदेश के कई किसानों की पूरी की पूरी फसल खराब हो गई है, जिससे उसके सामने भविष्य की चिंता खड़ी हो गई है। मगर सरकार द्वारा कोई भी आर्थिक सहायता न तो किसानों को दी जा रही है और न ही इस हेतु कोई प्रयास किया जा रहा है। इससे किसानों में भारी रोष व्याप्त है।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी।

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ध्यानाकर्षण सूचना का मेरा वक्तव्य यह है कि यह सही है कि..।

श्री अजय चन्द्राकर :- जय सिंह जी, आप यह बताइए कि दिल्ली में आपकी जैसी 55 सीट है, वहां आप जाकर सरकार बनवा सकते हैं क्या?

श्री जयसिंह अग्रवाल :- भैया, मैं कुछ भी कर सकता हूं। (हंसी) अगर मुझे मुखिया का आदेश हो जाये और हमारी पार्टी का आदेश हो जाये तो 55 क्या 45 सीट की सरकार बनवा दूंगा। कोरबा में भी बनाकर बताया, यह आपको अच्छे से मालूम है। (मेजों की थपथपाहट) जहां पूरे भारतीय जनता पार्टी के

असंशोधित/मुद्रण के लिये नहीं

प्रदेश और देश के नेता लगे हुए थे, मैंने वहां सरकार बनवा दी तो आप सोच लीजिए कि क्या कर सकता हूं?

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- इसीलिए तो आपकी क्षमता का मूल्यांकन होगा।

श्री शिवरतन शर्मा :- जय सिंह जी, आपके मुखिया कौन हैं? मुझे यह बता दीजिए। सामने वाले या बाजू वाले।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- देखिये, हमारे विधायक दल के नेता कौन होता है, आपको मालूम है। आप सीनियर हैं, इसको सब जानते हैं और ये हमारे संरक्षक हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप उसके लिए हम लोगों को प्रशिक्षण दीजिये।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- अगर आप प्रशिक्षण लेंगे तो मैं आपको बिलकुल दूंगा।

श्री धर्मजीत सिंह :- जयसिंह जी भूटान के राजा हैं, कोरबा के।

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) :- यह सही है कि प्रदेश में समय-समय पर बेमौसम बारिश हुई है। यह कहना सही नहीं है कि इससे किसानों की फसलों को भरी नुकसान पहुंचा है। यह दो दिन पहले के हिसाब से है न, मैं आपको डिटेल बता देता हूं।

श्री अजय चन्द्राकर :- हम लोग भी दो दिन पहले का प्रश्न करेंगे।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- हां ठीक है। यह कहना भी सही नहीं है कि कृषि व राजस्व विभाग की लापरवाही के कारण किसानों के द्वारा लगाई गई व खराब हुई फसलों का सर्वे नहीं किया गया है और न ही कोई मुआवजा का प्रकरण बनाया गया है। राज्य शासन द्वारा सभी जिला कलेक्टरों को पत्र दिनांक 24.10.2019, पत्र दिनांक 08.11.2019, पत्र दिनांक 10.02.2020, पत्र दिनांक 24.02.2020 द्वारा बेमौसम बरसात से हो रही फसल क्षति का सर्वे करने हेतु जिला स्तर पर समिति गठित कर समिति में राजस्व, कृषि, उद्यानिकी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अधिकारियों के साथ-साथ पंचायत प्रतिनिधियों को भी सम्मिलित करते हुए फसल क्षति का आंकलन करने हेतु निर्देशित किया गया है। उक्त निर्देश के आधार पर सभी जिला कलेक्टरों द्वारा बेमौसम बरसात से हुई फसल क्षति का सर्वे कराया गया है।

राज्य शासन द्वारा प्रभावित हितग्राहियों को तत्काल आर्थिक अनुदान सहायता उपलब्ध कराने हेतु माह अप्रैल 2019 एवं कलेक्टरों के समय-समय पर मांग अनुसार रूपये 1 अरब 52 करोड़ 9 लाख 43 हजार का आवंटन जिला कलेक्टरों को उपलब्ध कराया गया है।

बेमौसम बरसात से हुई फसल क्षति का आंकलन कृषि एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा किया गया है। विगत दो माह में बेमौसम बारिश से फसल क्षति नहीं हुई है। राज्य शासन द्वारा निर्देशित किया गया है कि फसल क्षति होने पर राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 में निहित प्रावधान अनुसार 33 प्रतिशत से अधिक फसल क्षति होने पर असिंचित क्षेत्र के लिए रूपये 6,800/-प्रति

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

हैक्टेयर एवं सिंचित क्षेत्र के लिए रूपये 13,500/- प्रति हैक्टेयर तथा बोआई क्षेत्र के आधार पर कम से कम रूपये 1,000/- आर्थिक अनुदान सहायता दिये जाने की कार्रवाई करें।

कृषि विभाग द्वारा क्रियान्वित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अन्तर्गत प्रभावित बीमित कृषकों द्वारा निर्धारित समय सीमा 72 घण्टे के अंदर सूचना प्रेषित करने पर बीमा कम्पनी द्वारा क्षति का मूल्यांकनकर्ता के माध्यम से सर्वे कर क्षति का आंकलन किया जाता है। मौसम रबी वर्ष 2019-20 में योजना फसल गेहूँ सिंचित, गेहूँ असिंचित, चना, अलसी एवं राई-सरसो अधिसूचित की गई है। पत्र दिनांक 10.01.2020, पत्र दिनांक 10.02.2020 एवं पत्र दिनांक 24.02.2020 द्वारा बीमा कम्पनियों को सर्वे एवं दावा भुगतान हेतु निर्देश जारी किये गये हैं। बीमा कम्पनी से प्राप्त जानकारी अनुसार जनवरी एवं फरवरी में हुई ओलावृष्टि एवं असामयिक वर्षा से क्षति सम्बन्धी सर्वे बीमा कम्पनी द्वारा किया जा रहा है। तद्पश्चात क्षति के आंकलन के आधार पर पात्र कृषकों को दावा भुगतान की कार्रवाई की जावेगी।

इसी प्रकार उद्यानिकी विभाग द्वारा संचालित पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना अन्तर्गत बेमौसम वर्षा से अधिसूचित उद्यानिकी फसलों को हुई क्षति की क्षतिपूर्ति हेतु बीमा दावा राशि का भुगतान बीमा कम्पनी के माध्यम से किया जाता है। उक्त मुआवजें के भुगतान हेतु विभाग द्वारा सर्वे कार्य नहीं कराया जाता। अपितु राज्य के 688 राजस्व निरीक्षक मण्डल में स्थापित स्वचलित मौसम केन्द्रों से प्राप्त वास्तविक मौसमी आकड़ों की तुलना बीमा दावा राशि की गणना हेतु तैयार टर्मशीट में उल्लेखित आकड़ों से कर प्राप्त विचलन के आधार पर बीमा दावा राशि की गणना कर भुगतान किया जाता है। विगत दो माह में हुए बेमौसम वर्षा से उद्यानिकी फसलों को हुई क्षति की क्षतिपूर्ति अधिसूचित उद्यानिकी फसलों की आवरण अवधि के समाप्ति उपरान्त नियमानुसार बीमा कृषकों को किया जावे।

भारत सरकार राष्ट्रीय मौसम पूर्वानुमान केन्द्र नई दिल्ली से समय-समय पर बेमौसम बरसात एवं ओलावृष्टि होने की चेतावनी जारी की जाती है। इस सम्बन्ध में राज्य शासन द्वारा तत्काल सभी जिला कलेक्टरों को आवश्यक कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया जाता है। विगत दो माह में बेमौसम बारिश से हुई क्षति का आंकलन कराये जाने पर कृषकों की फसल क्षति 33 प्रतिशत से कम होने से आर्थिक अनुदान सहायता का प्रावधान न होने के कारण फसल क्षति के अन्तर्गत सहायता नहीं दी गई है। अत: प्रदेश के किसानों में किसी प्रकार का रोष व्याप्त नहीं है।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने मंत्री जी का जवाब सुन लिया । अक्टूबर, नवम्बर, दिसम्बर, जनवरी, फरवरी में ऐसा कोई महीना नहीं है, जिसमें बारिश नहीं हुई है । इस बारिश के कारण धान की फसल का नुकसान हुआ है, कटाई के बाद में नुकसान हुआ है, उसमें बीमा कम्पनी के द्वारा क्या सर्वे किया गया है ? हमें नहीं मालूम, हम मंत्री जी से उसको जानना चाहते हैं । धान का जो नुकसान हुआ है मतलब सोसायटी तक, बिना तौल कराए नुकसान हुआ है, जो राशि किसानों को मिलनी चाहिए । मंत्री जी पहले धान के बारे में बता दें, उसके बाद मैं रबी के बारे में पूछना चाहता

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

हूं कि बीमा कम्पनी के द्वारा क्या सर्वे किया गया, उसमें अनुमानित कितना नुकसान हुआ, उसकी भरपाई के लिए कितने किसानों को राशि दी गई है, दी जाएगी या नहीं दी जाएगी ?

श्री जयसिंह अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, मैंने बताया कि 33 प्रतिशत से कम नुकसान होने पर भुगतान नहीं किया जाता, उसमें कोई राशि नहीं दी जाती । जो समय-समय पर सर्वे हुआ है, उसके मुताबिक नहीं हुआ है और अभी दो दिन में बारिश हुई है या जो भी ओलावृष्टि हुई है, उसका आंकलन करने के लिए, सर्वे करने के लिए आदेश किया जा चुका है और समय-समय पर कलेक्टरों को जो निर्देश जारी किए गए हैं, मैंने उसकी तिथि भी आपको बतायी है तो अभी जो सर्वे किया जा रहा है, उसमें जो भी नुकसान होगा, उसका भुगतान किया जाएगा । कलेक्टरों के पास जानकारी है ।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले तो सर्वे की बात है । अब ये बता दीजिए कि जब 33 प्रतिशत नुकसान होगा तो सर्वे कौन-कौन से जिला में किया गया, किस-किस अधिकारी के द्वारा सर्वे किया गया और कहां कितना नुकसान पाया गया है, जिलेवाईस आप जानकारी दे दें । मुझे जो जानकारी है कि उससे ज्यादा नुकसान हुआ है तो जिलेवाईस जानकारी पहले आप धान के बारे में दे दें कि सर्वे वाली टीम में कौन-कौन थे, किस-किस जिले में कितना नुकसान हुआ ?

श्री जयसिंह अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, आपको जिलावाईस वर्षा की जानकारी दे दूं ?

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने कहा कि बेमौसम बारिश होने के कारण किसानों के फसलों का नुकसान हुआ है । मंत्री जी, आपने कहा कि बीमा कम्पनी भुगतान करेगी तो बीमा कम्पनी भुगतान करेगी तो पहले उसका सर्वे होगा और यदि सर्वे में 33 प्रतिशत से ऊपर नुकसान पाया जाएगा, तब उनको भुगतान होगा तो 33 प्रतिशत से नीचे जहां नुकसान हुआ है, 33 प्रतिशत से ऊपर नुकसान हुआ है, वहां एक बार जिलेवार सर्वे की टीम में कौन-कौन थे, सर्वे में कौन गए और उसमें कितनी क्षति का आंकलन किया गया ?

श्री जयसिंह अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, जो सर्वे टीम बनाई गई है, उसके बारे में मैंने आपको बताया ।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सर्वे टीम तो आप राजस्व के बारे में बता रहे हैं कि आपके राजस्व के कौन-कौन से अधिकारी जाएंगे । आपने बीमा के बारे में उल्लेख किया..

श्री जयसिंह अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, सभी विभागों के अधिकारी रहेंगे, केवल राजस्व के अधिकारी नहीं हैं ।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप बता दीजिए कि कितना आंकलन आया, जिले के हिसाब से बता दीजिए । यदि सर्वे हुआ है तो जिले के हिसाब से आंकलन आ जाए ।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, अभी उसमें जिलों से जानकारी निरंक है और जहां तक बारिश की बात है तो किस जिले में कितनी बारिश हुई, उसके बारे में आपको जानकारी दे सकता हूं ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बारिश हुई, उसकी जानकारी आप कैसे देंगे ? मैं यह थोड़ी पूछ रहा हूं कि कितनी बारिश हुई । फसल की कितनी क्षति हुई है, फसल का कितना नुकसान हुआ है, सर्वे उसका होगा । आप बारिश का सर्वे थोड़ी देंगे ।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, मैंने बताया कि पिछले दो महीने में 33 प्रतिशत से अधिक क्षति नहीं हुई है । आपने दो महीने की जानकारी पूछी ।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो यही जानना चाहता हूं कि आप उसकी जिलेवाईस जानकारी दे दीजिए ।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, जिलेवाईस जानकारी मैं आपको डिटेल में उपलब्ध करा दूंगा, आपको पूरा डिटेल दे दूंगा ।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बाद में देंगे ?

श्री जयसिंह अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, हां, अलग से दे दूंगा ।

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी आपको विस्तृत जानकारी अलग से दे देंगे।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसको मैं ऐसे ही चुपचाप रख देता हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- हां, रख दीजिए ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल (रायपुर नगर दक्षिण) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आर.बी.सी. 6 (4) में इस बात का प्रावधान है कि अलग ओलावृष्टि से, अतिवृष्टि से या पाला पड़ने से फसलों को नुकसान होता है तो आर.बी.सी. 6 (4) में पैसा दिया जाता है और यह भी इस प्रदेश में उदाहरण है कि दो-तीन दिन के अंदर में उसका भुगतान किया गया है । आपको शायद जानकारी नहीं है कि पिछले 4-5 महीनों से लगातार सरगुजा और बाकी स्थानों में उसका भुगतान भी किया गया है, परन्तु आप जानकारी ले लें और पिछले दो-तीन दिनों में ओला गिरा है, बरसात हुई है, उसका भुगतान आर.बी.सी. 6 (4) किसानों को कब तक हो जाएगा, कितने दिनों में हो जाएगा, इसकी जानकारी दे दें ।

अध्यक्ष महोदय :- ओलावृष्टि अभी हुई है ।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, उसका सर्वे किया जा रहा है ।

अध्यक्ष महोदय :- ओला तो अभी गिर रहा है, मंत्री जी ओला की जानकारी देंगे । अभी आपने बारिश की जानकारी पूछी है, बारिश की जानकारी के अनुसार उनके पास कोई भी 33 प्रतिशत से ज्यादा नुकसान के जिले में नहीं है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछा रहा हूं कि ओला पानी से फसल का जो नुकसान हुआ है, उसकी आर.बी.सी. 6 (4) में भुगतान कब तक हो जाएगा ? उसकी समय-सीमा बता दें ।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी जो सर्वे किया जा रहा है...

अप्रमाणित/असंशोधित के लिये नहीं

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- कितने दिनों में ?

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बता रहा हूं । 10 दिनों के अंदर बीमा प्रकरण बनेगा और 15 दिनों के अंदर उसका भुगतान कर दिया जाएगा ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बीमा नहीं पूछ रहा हूं, आर.बी.सी. 6 (4) क्या है ? मेरा यह कहना है कि माननीय मंत्री जी, आप सभी कलेक्टरों को यह निर्देश जारी कर दें कि अगले 7 दिनों में सर्वे होकर किसानों को भुगतान हो जाना चाहिए क्योंकि बहुत बुरी हालत है । किसानों की चने की खड़ी फसल सो गई है, गेहूँ की फसल सो गयी है, जो हमारे किसानों की हार्टिकल्चर की जितनी फसल थी, वह फसल खराब हो गयी है । किसानों की हालत बहुत ज्यादा खराब है, पिछले सात दिनों से जो बारिश हो रही है, ओले गिर रहे हैं, अधिकारी और कर्मचारी उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, पूर्व उदाहरण है । हमारी सरकार के समय में तीन दिनों के अंदर में किसानों का भुगतान किया गया है । सरकार सात दिनों के अंदर सर्वे कराकर उनको भुगतान करने का निर्देश जारी करें । इस बात का आपसे आग्रह है ।

अध्यक्ष महोदय :- डॉ.साहब का भी सुन लीजिए, फिर एक साथ उत्तर देना ।

डॉ.रमन सिंह :- मंत्री जी, आप बीमा की राशि और आर.बी.सी. 6(4) को लेकर थोड़ा कन्फयूज हो रहे हैं । मैं बड़ा स्पष्ट प्रश्न करना चाहता हूँ, बोड़ला, कवर्धा, लोहारा, साजा, बेरला, छुईखदान, ऐसे 10 विकासखण्ड जहां से चने की फसल पूरी तरह से बरबाद हो चुकी है । कृषि मंत्री जी सामने बैठे हैं । वह मेंरे सामने गवाह है । पूरी की पूरी फसल खराब हो गयी, आज तक राजस्व का अधिकारी और कृषि विभाग का अधिकारी, ज्वाईंट सर्वे जो होता है, आर.बी.सी. 6 (4) मेन्युअल आप बहुत अच्छे से जानते हैं, कोई टीम जाकर सर्वे नहीं किया है, कवर्धा के किसान, बोड़ला के किसान, लोहारा के किसान, बेमेतरा के किसान, आकर रो रहे हैं, कोई देखने नहीं आया है, कोई आकलन नहीं हुआ है, अध्यक्ष महोदय इसका भुगतान तत्काल होता है । बीमा की पालिसी एक अलग है, आर.बी.सी. 6 (4) में तत्काल एक सप्ताह के अंदर उनको राहत राशि दी जाती है, ताकि वह फसल को फिर से जीवित कर सके ।आज तक 20 दिन, 25 दिन होने के बाद भी, दो बार मार पड़ा, एक बार बारिश का और दूसरी बात ओले का, इसके लिए कब शीघ्र से शीघ्र कार्यवाही करेंगे, स्पेसिफिक ब्लॉक का नाम मैंने पूछा है, उसके बारे में जानकारी दे दें ?

श्री जयसिंह अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, जो-जो ब्लॉक आपने बताया है, मैं उसको फिर से दिखवा लेता हूँ । लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ....।

डॉ.रमन सिंह :- दिखवा लेंगे नहीं भई....

अध्यक्ष महोदय :- माननीय डॉ.रमन सिंह जी, आप बहुत अनुभवी आदमी हैं, आप उनको सुझाव दे दीजिए, उसके अनुसार वह कार्यवाही करेंगे । आप प्रश्न मत पूछिये ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

डॉ.रमन सिंह :- प्रश्न भी करते हैं, सुझाव भी ये देते हैं अध्यक्ष महोदय । आपने बिल्कुल सही कहा है ।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- सुझाव मानते हैं, क्यों नहीं मानेंगे ?

डॉ.रमन सिंह :- मंत्री जी, आपकी मंशा ठीक है । आप करना भी चाहते हैं। इसके क्रियान्वयन के लिए मानिटरिंग अभी तक हो नहीं रहा है । कलेक्टर धान खरीदी में उलझा हुआ है । राजस्व का मामला है । आज तक किसान के रबी फसल को देखने के लिए कोई खेत में नहीं गया है । सरगुजा में दो-दो फीट के ओले गिर रहे हैं, इतना बड़ा नुकसान फल पर हुआ है, खड़ी फसल पर हुआ है । यह इमरजेंसी का समय है, आपातकाल का समय है, आप कम से कम यह कह दें कि तीन दिनों के अंदर शत-प्रतिशत सर्वे करके एक रिर्पोट विधान सभा में प्रस्तुत कर देंगे । अध्यक्ष जी, मैं बस इतना ही चाहता हूँ ।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- रबी फसल और ओलावृष्टि से जो भी प्रभावित हैं, 15 दिनों के अंदर उसका सर्वे करके 6 (4) के तहत उसका भुगतान कर दिया जायेगा ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष जी, रायपुर शहर के चारों तरफ बाड़ियां हैं, पूरा दुर्ग जिला, रायपुर जिला, उनकी बाड़ियां पूरी तरह समाप्त हो गई है, किसानों के सामने रोने की स्थिति आ गई है । माननीय मंत्री जी, हमारा यह कहना है कि आर.बी.सी. 6 (4) में पैसों की कमी नहीं होती है ।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- 152 करोड़ रूपया है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- हजारों करोड़ रूपया सरकार के पास पेंडिंग रहता है । कलेक्टरों को स्टैंडिंग निर्देश दीजिए कि अगर ऐसी विपत्ति आती है तो सात दिनों के अंदर में सर्वे कराके किसानों को भुगतान कर दें । यह स्टैंडिंग आदेश-निर्देश होना चाहिये । तब फसल जीवित बच सकती है । आप यह निर्देश जारी कर दें, यह आपको सुझाव है कि सात दिनों में सर्वे होकर भुगतान हो जाये ।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, हमने समय पर निर्देश जारी किये हैं और कड़ा निर्देश जारी कर देंगे ।

डॉ.रमन सिंह :- अध्यक्ष महोदय, चौबे जी सबसे ज्यादा अनुभवी सदस्य हैं । कृषि मंत्री हैं । आप बैठे-बैठे उनको निर्देश दे रहे थे । आप उनको खड़े होकर बोलते कि इसको एक सप्ताह में कर लिया जायेगा, उसके भरोसे सब का हो जायेगा ।

अध्यक्ष महोदय :- डॉ.साहब को आप पर ज्यादा भरोसा है ।

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- निश्चित रूप से, निश्चित रूप से, निश्चित रूप से, आदरणीय डॉ.साहब का हम लोग पूरे प्रदेश में सम्मान करते हैं । केवल आपकी चिन्ता नहीं है, प्रदेश के किसानों की हम लोग भी चिंता कर रहे हैं । माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं सभी कलेक्टरों को निर्देश जारी कर दिये हैं । यह तो सप्ताह भर पहले बारिश की बात हो रही है । कल तक ओलावृष्टि हुई है, जैसा

अप्रमाणित/प्रकाशन के लिए नहीं

डॉ.साहब ने उल्लेख किया, सबसे ज्यादा नुकसान तो कवर्धा और मेरे साजा में ही हुआ है । अजय चंद्राकर जी, अब एकाध दिन तें चल दे होबे, तें गांव त जाबे नई करस।

श्री ताम्रध्वज साहू :- जाही भी तो घर में, एको दिन खेत गे हस?

श्री अजय चन्द्राकर :- रोज। रोज। जे दिन कुरूद में रथों ते दिन। अभी पानी ल देख ले कहत हों।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय डॉक्टर साहब ने उम्मीद की, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल ही अधिकारियों को, कलेक्टरों को निर्देश दिया है इसीलिए मैंने जो सो-मोटो स्टेटमेंट दिया है उसमें कहा कि न केवल आर.बी.सी. के तहत बल्कि हमने अपने कृषि विभाग के फील्ड के सारे अधिकारियों/कर्मचारियों को कहा है कि तीन दिन के अंदर जितनी भी ओलावृष्टि हुई है राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ उसका सर्वे करें। जैसा कि मंत्री जी ने जवाब दिया, बृजमोहन भैय्या कह रहे थे कि आर.बी.सी. में हजारों करोड़ रहते हैं लेकिन 152 करोड़ रूपये हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, 152 करोड़ रूपये जारी किया है, लेकिन उसमें पैसा तो बहुत ज्यादा है। सरकार के पास जो फंड है उस आपदा प्रबंधन फंड में पैसा स्थायी रूप से रहता है और जितना पैसा और चाहिए वह मिल जाता है। मंत्री जी, यह बता रहे हैं कि 152 करोड़ रूपये जारी किया है।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा कि आर.बी.सी. के लिए 152 करोड़ रूपये जारी किया है और हमने कृषि विभाग के सारे अधिकारियों को निर्देश दिया हुआ है, बीमा की सारी कंपनियां जहां-जहां भी हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर के फील्ड अफसर के साथ जल्दी सर्वे करेंगे और किसानों के साथ हम खड़े हैं, उनको पूरा मुआवजा और बीमे का भुगतान करेंगे।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- बीमे का पैसा किसानों को तुरंत नहीं मिलता है। बीमे का पैसा तीन महीने बाद मिलेगा परंतु आर.बी.सी. का पैसा तुरंत मिलेगा। चूंकि आर.बी.सी. 6(4) का पैसा तुरंत मिलता है, इसलिए हमारा इसी बात का आग्रह है।

अध्यक्ष महोदय :- इस ध्यानाकर्षण में दो नाम और हैं आप लोग एक-एक प्रश्न कर लीजिए और मोहले जी से स्पेशल प्रश्न कराऊंगा।

श्री शिवरतन शर्मा :- मुंगेली में बहुत नुकसान हुआ है।

अध्यक्ष महोदय :- बोला न उनको स्पेशल बुलाउंगा।

श्री धरम लाल कौशिक :- ये नहीं उठायेंगे तो मुंगेली के लोग उनको मारेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- हम उनको उठायेंगे।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- इस उम्र में उनका उठाना जरूरी है।

अध्यक्ष महोदय :- हॉ, मोहले जी का उठना भी जरूरी है।(हंसी)

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बेमौसम से फसलों को जो नुकसान हुआ है उसके लिए आपने कलेक्टरों को चार पत्र लिखे हैं। पहला पत्र 24 अक्टूबर, दूसरा 8 नवंबर, तीसरा 10 फरवरी को और चौथा पत्र 24 फरवरी को है लेकिन इन पत्रों के आधार पर क्या आपका जिला प्रशासन सक्रिय हुआ और क्या उसने सर्वे करके आंकड़े प्रस्तुत किए? अगर प्रस्तुत किए तो उसकी जानकारी दे दीजिए? मेरा दूसरा प्रश्न कि इन्होंने जो 152 करोड़ रूपये का तात्कालिक मुआवजा उपलब्ध कराया है इस पैसे का उपयोग जो आपका विभाग है वह सर्वे करके तत्काल जिन किसानों की फसल बर्बाद हुई है तो क्या उन्हें भुगतान किया गया? आपने जो 152 करोड़ रूपये दिये इन पैसों से किसी किसान को तत्काल भुगतान किया गया?

श्री जयसिंह अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, मैंने बताया कि सर्वे रिपोर्ट में जो आया कि 33 प्रतिशत से कम नुकसान हुआ तो उसका भुगतान कैसे करेंगे और अभी जो दो दिन में हुआ है उसका सर्वे करने का आदेश कर दिये हैं, आपकी बागवानी और सब्जी-भाजी का जो नुकसान हुआ है उसका भी सर्वे करने का आदेश कर दिये हैं। कल भी हमने पत्र लिखा है, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बयान आप पढ़े होंगे, माननीय कृषि मंत्री जी का बयान भी आप पढ़े होंगे।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये 33 प्रतिशत का जो मापदंड है कि 33 प्रतिशत नुकसान होगा तो बीमा कंपनी भुगतान करेगी।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, 33 प्रतिशत तक में भुगतान का प्रावधान नहीं है, 33 प्रतिशत से ज्यादा नुकसान होगा तो देंगे।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यहीं से उठता है कि जो हमारे जिला प्रशासन की समितियां हैं जिन्हें आपने सर्वे के लिए बनाया हुआ है क्या उनके मापदंड में यह आ रहा है क्या?

अध्यक्ष महोदय :- नहीं आ रहा है।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, आपको अगर किसी जगह ऐसा लगता है कि 33 प्रतिशत से ज्यादा नुकसान हुआ था तो आप बता दीजिए, हम उसकी दोबारा जांच करा देंगे।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या उनको तत्काल भुगतान कर देंगे जिनकी फसल खराब हुई है और कब तक कर देंगे यह बता दीजिए?

श्री जयसिंह अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, मैंने बताया न कि उसका भुगतान कराया जायेगा।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कब तक कम्प्लीट हो जायेगा?

श्री जयसिंह अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, 10 दिन के अंदर।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 10 दिन के अंदर तो इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

अप्रकाशन/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री बृहस्पत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, जिन किसानों का बीमा नहीं हुआ है उनका क्या करेंगे?

श्री रजनीश कुमार सिंह (बेलतरा) :- अध्यक्ष महोदय, जो 152 करोड़ रूपये जारी हुआ है उसमें लिखा है कि समय-सय पर कलेक्टरों की मांग पर। तो यदि अभी सर्वे नहीं हुआ है और बाकी कार्रवाई नहीं हुई है तो इसे किस आधार पर जारी किया गया है क्योंकि इसमें यह लिख भी रहे हैं? और दूसरा इसमें प्रधानमंत्री फसल बीमा का 72 घंटे के अंदर सूचित करने पर मूल्यांकन किया जाता है । किसान को यह मालूम नहीं रहता है कि उसको तीन दिन के अंदर में अपना फसल नुकसान हुआ है, उसको कहां जाकर बताये, किसके पास उसका सर्वे कराएं। इसलिए इसको राजस्व विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों के द्वारा जिनका फसल बीमा अभी रबी की फसल में हुआ है, उनके लिये भी आवश्यक है कि उनको यह जानकारी होनी चाहिए कि कहां जाकर बताएं नहीं तो कई बार उनके पास समय नहीं रहता बाद में जाते हैं तो बाद में बोल दिया जाता है कि आपने यह नहीं किया।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, आपका बहुत अच्छा सुझाव है। मैं आपको समय दे रहा हूं। सीनियर मोस्ट आदमी, मोहले जी, सबका सुझाव ले लीजिए फिर बताइएगा।

श्री पुन्नूलाल मोहले (मुंगेली) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं 152 करोड़ रूपये..।

अध्यक्ष महोदय :- सब लोग सुझाव दे रहे हैं।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- सुझाव ही दे रहा हूं, पहले बताऊंगा तभी तो सुझाव होगा। 152 करोड़ रूपये राशि का भुगतान अभी तक कहां-कहां हुआ है, एक ? दूसरा, बीमा कंपनी, बीमा करती है तो एक वर्ष के लिये करती है कि 3 वर्ष के लिये करती है, पहले मैं जानना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, आप क्या जानना चाहते हैं ?

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा और प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय :- और है।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- बीमा कंपनी, जहां तक एक फसल का बीमा होता है, राशि लेते हैं, पर तीन वर्ष का एवरेज निकालकर ही बीमा का राशि देते हैं, इस पर मंत्री जी क्या जवाब देंगे, मैं जानना चाहता हूं ? मतलब, 1 वर्ष का दिलायेंगे या तीन वर्ष का एवरेज निकालकर देते हैं।

अध्यक्ष महोदय :- बिल्कुल ठीक है। माननीय चंद्रा जी।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा (जैजेपुर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, शीतकालीन सत्र में मैंने एक प्रश्न किया था, इसी 6(4) में, जैजेपुर विधानसभा में बरसात में धान की जो फसल क्षति हुई है, कितना मुआवजा दिया गया और माननीय मंत्री जी का जवाब आया था कि 600 किसानों के लिए 22 लाख रूपये की स्वीकृति दी गयी है। माननीय मंत्री महोदय, वह राशि आज तक किसानों को नहीं मिला है। 6 (4) की राशि है, आपके एक सप्ताह में मिल जाना चाहिए लेकिन आज तक नहीं मिला है। आपके

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

कलेक्टर को मैं 10 पत्र लिख चुका हूं, एस.डी.एम. को लिख चुका हूं, तहसीलदार को लिख चुका हूं। मैं आपसे आश्वासन चाहता हूं। क्या वह राशि आप दिलवायेंगे ?

अध्यक्ष महोदय :- हां, बिल्कुल दिलवायेंगे।

श्री बृहस्पत सिंह (रामानुजगंज) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कल सुबह की बात है। हमारे क्षेत्र में 15-20 गांवों में बहुत ज्यादा ओला गिरा है। एक भी फसल नहीं बचे हैं, माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि जिनका बीमा हुआ है, उनका भुगतान करायेंगे, जिनका खाता गुम है, उनका भी करायेंगे, बहुत सारे जो शासकीय भूमि में भी बसकर बेचारे जो खेती करके घर मकान बनाकर वर्षों से जीवन यापन कर रहे हैं और बीमा भी नहीं करायें हैं या खाते हैं तो बीमा भी नहीं है, उनको भी क्या आप सर्वे कराकर राहत देंगे ?

अध्यक्ष महोदय :- कृषि मंत्री जी, इसके लिए क्या प्रावधान है, एक मिनट ? कोई प्रावधान है तो आप बता दीजिए।

श्री बृहस्पत सिंह :- जो बीमा नहीं कराएं हैं।

अध्यक्ष महोदय :- हां, बता रहे हैं।

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- माननीय अध्यक्ष जी, जो बीमा नहीं कराएं हैं, उसको बीमा का लाभ तो नहीं मिलेगा लेकिन जिनके बारे में ये तय कर रहे हैं, उनको आर.बी.सी. 6(4) का लाख मिलेगा।

अध्यक्ष महोदय :- धन्यवाद। आप, मोहले जी का स्पेशल उत्तर दे दीजिए।

श्री रविन्द्र चौबे :- का ममा तोर का बचे हे। (हंसी)

श्री पुन्नूलाल मोहले :- मोर तो पूरा बाचे हे। (हंसी)

अध्यक्ष महोदय :- सत्यनारायण शर्मा जी।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी से पूछना चाहता हूं बीमे का राशि..।

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) :- तीन साल में पहली फसल लगती है, फसल के लिए फसल बीमा होता है, जो नुकसान होता है, उसका भुगतान किया जाता है।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- तीन वर्ष के लिए..।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- बताया न फसल के लिये होता है। तीन वर्ष के लिये कैसे बीमा होगा ? आप अगर करायें होंगे तो बात अलग है। एक फसल का बीमा एक ही साल के लिये होता है।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- एक वर्ष के लिये होता है पर तीन वर्ष का एवरेज निकालकर भुगतान किया जाता है।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- ठीक है।

अध्यक्ष महोदय :- जी-जी। सत्यनारायण शर्मा जी।

अप्रमाणित/असंशोधित के लिए नहीं

समय :

01:03 बजे

ध्यानाकर्षण सूचना

(2) प्रदेश में सी वीड जेल और एक्सट्रैक्स खरीदी में अनियमितता की जाना।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, मेरी ध्यान आकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है :- वर्ष 2014-15 से लेकर 2017-18 के बीच सील वीड जेल और एक्सट्रैक्स खरीदी में गंभीर अनियमितता हुई। किसानों को खाद व केमिकल्स की बिक्री किये जाने के पहले कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों अथवा विशेषज्ञों से परीक्षण कराया जाता है और खेती के लिए फायदेमंद खाद, बीज, केमिकल्स की खरीदी की अनुमति विभाग के द्वारा दी जाती है, किन्तु उपरोक्त अवधि में 21 जिलों में पदस्थ जिला अधिकारियों ने बिना विभागीय अनुशंसा के कंपनी को लाभ पहुंचाने के लिए उक्त खरीदी पर निजी कंपनी को करोड़ों का लाभ पहुंचाया। इस संबंध में मेरे द्वारा किये गये पत्राचार के बाद जांच कर दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही प्रारंभ की गई, किन्तु आज तक उनके विरूद्ध कार्यवाही पूरी नहीं हो सकी है, बल्कि दोषी अधिकारियों में कुछ की पदोन्नति हो गई और कुछ सेवानिवृत्त हो गये। विभाग की कार्य-प्रणाली एवं अधिकारियों के द्वारा किये गये नियम विपरीत कार्यों से कंपनियों को करोड़ों का लाभ दिया गया। जांच उपरांत कार्यवाही में विलंब कर अधिकारियों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। विभाग के इस रवैये से कृषकों में रोष व्याप्त है।

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि वर्ष 2014-15 से लेकर 2017-18 के बीच कृषि एवं उद्यानिकी विभाग के जिला अधिकारियों द्वारा सी बीड जेल और एक्सट्रैक्ट खरीदी की गई है। आदान सामग्री के खरीदी से संबंधी शिकायत प्राप्त होने पर संचालनालय कृषि एवं संचालनालय उद्यानिकी स्तर पर प्रकरण की जांच के निर्देश दिये गये हैं। सी वीड जेल एवं एक्सट्रैक्ट खरीदी में भंडार एवं क्रय नियम का अनुपालन न होने पर प्रथम दृष्ट्या तथ्यों के आधार पर कृषि विभाग के 29 अधिकारियों को कारण बताओ सूचना जारी की गई है। संचालनालय उद्यानिकी में प्रकरण की जांच कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

विभाग द्वारा प्रकरण के संज्ञान में आने पर त्वरित कार्यवाही करते हुए प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच करवाई गई एवं जांच में प्राप्त निष्कर्षों के अनुरूप संबंधितों से नियमानुसार पक्ष प्राप्त करने की कार्यवाही की गई है। इस तरह जांच में विलंब करने संबंधी कथन तथ्यात्मक नहीं है। यह सही है कि प्रकरण में संलिप्त कुछ अधिकारियों की पदोन्नति एवं सेवानिवृत्त हो गये हैं। किन्तु उक्त कार्यवाहियां प्रकरण के संज्ञान में आने के पूर्व शासन द्वारा निर्धारित राज्य सेवा नियमों के अध्याधीन की गई है।

अप्रमाणित/प्रकाशन के लिये नहीं

चूंकि प्रकरण में संलिप्त अधिकारियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करते हुए कारण बताओ सूचना जारी की गई है तथा अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रक्रिया में है और संचालनालय उद्यानिकी स्तर पर प्रकरण की जांच प्रक्रियाधीन है। विभाग द्वारा किसी भी अधिकारी को बचाने का प्रयास नहीं किया जा रहा है, प्रक्रिया का पालन नहीं करने वाले दोषी अधिकारियों को यथाशीघ्र दंडित किया जाएगा। अत: कृषकों में रोष व्याप्त होने संबंधी कथन सही नहीं है।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे कृषि मंत्री जी बहुत सक्षम मंत्री हैं। 15 महीने बीत गये। आपने अभी तक कोई सक्षम कार्यवाही नहीं की। आपके रहते गड़बड़ियां क्यों हो रही है? माननीय मंत्री जी, मैं जानना चाहता हूँ कि..।

श्री अजय चन्द्राकर :- तो भी आप सक्षम मानते हैं? ये बताईये न ?

श्री सत्यनारायण शर्मा :- ये आपके कार्यकाल की गड़बड़ी है।

श्री अजय चन्द्राकर :- दुनिया की रहे। आप सक्षम मानते हैं? ये बताईये न ?

श्री सत्यनारायण शर्मा :- ये आपके कार्यकाल की गड़बड़ी है। बृजमोहन जी आप सुन लीजिए। आपके कार्यकाल की गड़बड़ी है। आपकी सरकार में कितना भ्रष्टाचार हुआ है, शायद कभी नहीं हुआ। कमीशनखोरी हुई है, भ्रष्टाचार हुआ है। आपने एक कंपनी को लाभ पहुंचाया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि वह कौन-कौन अधिकारी है, आपने 29 अधिकारियों का जिक्र किया है। कौन-कौन अधिकारी हैं आप इन पर कब तक कार्यवाही पूरी कर लेंगे ?

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या सभी अधिकारियों के नाम पढ़ूं या आपको दे दूं।

अध्यक्ष महोदय :- आप दे दीजिएगा।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा आप दीजिए। लेकिन सुन लेंगे तो ज्यादा अच्छा है और आप चाहें तो मुझे दे दें।

अध्यक्ष महोदय :- ये बहुत लम्बा है। अलग से दे दीजिएगा।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हां । आप मुझे दे दीजिएगा।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आपने सत्तू भईया को मंत्री तो बनाया नहीं और उनका काम यही पूछने का ही काम बचा है।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- आपको और क्या करना है ? आपको क्या है। आपका काम है वही रमन सिंह को बत्ती देना है। आप देते रहिए। (हंसी)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- हम चाहते हैं कि आप फिर से बत्ती देना शुरू करिये। आप ठीक से बत्ती नहीं दे रहे हैं।

अप्रकाशित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री सत्यनारायण शर्मा :- हम आपको भी देंगे और उनको भी देंगे।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आप ठीक से बत्ती नहीं दे रहे हैं।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम बत्ती नहीं बत्ता भी देंगे।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आप उधर ठीक से बत्ती दें और ऐसा है कि बत्ती नहीं दे पा रहे हो तो आप सिंह साहब से मिलिए आपको वे दवाई दे देंगे।(हंसी)

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मामला सचमुच बहुत गंभीर है। मैं किस कार्यकाल का नहीं कहूंगा। आपने सन् तो कहा है कि वर्ष 2014-15 का है विदित है कि कब का प्रकरण है और मैंने कहा कि 29 जिला स्तर के अधिकारी एग्रीकल्चर विभाग के हैं और हर्टीकल्चर विभाग के 9 अधिकारियों के खिलाफ प्रारंभिक तौर पर ये मामला आया है, लेकिन पिछली बार विधान सभा में जब माननीय वरिष्ठ सदस्य ने प्रश्न उठाया था तब भी मैंने कहा था कि जांच की जायेगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और सारे अधिकारियों से जवाब लेना, सोकॉज नोटिस देना, जवाब आने के बाद उसका परीक्षण करना। अब 29 डी.डी.ए. के खिलाफ कार्यवाही करेंगे तो विभाग में आप समझ रहे हैं तो क्रमश: हर्टीकल्चर विभाग के जांच अधिकारी जांच कर रहे हैं उनके जांच के जवाब कुछ लोगों के आ गये है, कुछ लोगों के जवाब शेष हैं। पूरे जवाब आ जाएंगे तो आप जैसा चाहते हैं दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, मैंने अपने उत्तर में कहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बात और है ये बीज निगम में आर.सी. किया जाता है। कुछ का हुआ है कुछ का नहीं हुआ है। अब आर.सी. करने की तकनीकी समिति होती है आपने कहा कि विश्वविद्यालयों द्वारा जो रिकमण्डेशन होता है उसके बाद ही होना चाहिए। उसकी तकनीकी समिति में विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि होते हैं और तकनीकी प्रतिनिधि होते हैं तब आर.सी. होता है, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसे अधिकारी भी हैं कि इनमें बगैर आर.सी. किये हुए भी खरीदी की गई है। सबके खिलाफ कार्यवाही करेंगे। लेकिन प्रथमत: जिन अधिकारियों ने बगैर आर.सी. किये हुए इन सामग्रियों का क्रय किया है, उनके खिलाफ हम निलंबन की भी कार्यवाही करेंगे, उनके खिलाफ एफ.आई.आर. भी करेंगे।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने एफ.आई.आर. करने का आश्वासन दे दिया है, वह कंपनी का नाम बता दीजिए जिनको करोड़ों का फायदा पहुंचा है?

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत सारी कंपनियॉ हैं, मैं उनको जानकारी दे दूंगा। पिछली विधानसभा में चर्चा में सारी बातें आ गई थीं, लेकिन ये कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी, ये मैं आश्वस्त करना चाहता हूं।

समय :

1:11 बजे

नियम 267-क के अंतर्गत विषय

अशासकीय/प्रकाशन के लिए नहीं

अध्यक्ष महोदय :- निम्नलिखित सदस्यों की शून्यकाल की सूचनायें सदन में पढ़ी हुई मानी जायेंगी तथा इनके उत्तर के लिए संबंधित विभागों को भेजा जायेगा:-

1. श्री सत्यानारायण शर्मा
2. श्री नारायण चंदेल
3. श्री कुंवर सिंह निषाद
4. श्री सौरभ सिंह
5. श्री दलेश्वर साहू

समय :
1:12 बजे

<u>माननीय राज्यपाल महोदया के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा</u>

<u>"माननीय राज्यपाल महोदया ने जो अभिभाषण दिया उसके लिए छत्तीसगढ़ विधानसभा के इस सत्र में समवेत् सदस्यगण अत्यन्त कृतज्ञ हैं।"</u>

अध्यक्ष महोदय :- माननीय राज्यपाल महोदया के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा होगी। अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन पर चर्चा की शुरूआत माननीय धनेन्द्र साहू जी करेंगे।

श्री धनेन्द्र साहू (अभनपुर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपाल महोदया जी ने छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र की शुरूआत में ही जो उन्होंने संबोधन दिया। इस विधानसभा की गरिमा और परंपरा पर।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत आपत्तिजनक है। ये राज्यपाल जी के सम्मान में कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव है और कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव में पूरी अधिकारी दीर्घा खाली पड़ी हुई है। अधिकारी दीर्घा पूरी भरी रहनी चाहिए तब तो अभिभाषण के ऊपर में जो सदस्य बोलेंगे, उसके ऊपर में कार्यवाही होना, एक्शन होना, ये दुर्भाग्यजनक है, मैंने पिछले सत्र में भी आपको आगाह किया था कि सदन की गरिमा बनाए रखनी चाहिए और जब तक पूरे अधिकारी नहीं आते हैं तब तक आपको स्थगित करनी चाहिए। क्योंकि सदन की गरिमा सर्वोच्च है। सदन की गरिमा के प्रति अधिकारीगण और ये सरकार पूरी तरह लापरवाह है। ये उचित नहीं है। आप राज्यपाल जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करवा रहे हैं और उस कृतज्ञता ज्ञापन की चर्चा में अधिकारी दीर्घा में अधिकारी उपस्थित नहीं है।

अध्यक्ष महोदय:- सदन की कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित की जाती है।

(सदन की कार्यवाही 1.12 बजे से 1.20 बजे तक स्थगित रही)

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

समय :

1:20 बजे **(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए)**

अध्यक्ष महोदय :- माननीय साहू जी शुरू करें ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन की गरिमा बढ़ाने के लिये धन्यवाद ।

<u>माननीय राज्यपाल महोदया के अभिभाषण पर कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा (क्रमश:)</u>

श्री धनेंद्र साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र की शुरूआत माननीया राजयपाल महोदया के उद्‌बोधन से प्रारंभ हुई । उन्होंने इस छत्तीसगढ़ की ढ़ाई करोड़ जनता की बेहतरी के लिये सरकार जो काम कर रही है, इसके साथ ही सरकार की रीति-नीति, योजनाओं, कार्यक्रमों और बीते वर्षों की उपलब्धियों की उन्होंने काफी विस्तार से चर्चा की है । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसके लिये माननीय राज्यपाल महोदया के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह हमारे लिये बहुत ही गर्व और संतोष का विषय है कि माननीया राज्यपाल महोदया ने सरकार के निर्णयों तथा कार्यों के बारे में बहुत अच्छी राय रखी है और यह कहा है कि सरकार के कार्यों से अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्गतथा सभी वर्गों का विश्वास सरकार के प्रति मजबूत हुआ है और सभी वर्गों में छत्तीसगढ़ सरकार के प्रति एक नया विश्वास जागा है । माननीय अध्यक्ष महोदय, सम्माननीय राज्यपाल महोदया ने छत्तीसगढ़ विधानसभा की आदर्श परंपरा और अनुपम कार्यप्रणाली की भी सराहना की है ।

समय :

1:22 बजे **(सभापति महोदय (श्री देवव्रत सिंह) पीठासीन हुए)**

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय सभापति महोदय, आपको बहुत-बहुत बधाई, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं ।

श्री धनेंद्र साहू :- माननीय सभापति महोदय, लेकिन उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है कि इस गौरवशाली परंपरा के लिये हम सभी सदस्यगणों की जिम्मेदारी है कि हम उस परंपरा को बनाये रखें लेकिन कल ही हमने देखा कि जिस तरह से समूचे विपक्ष ने काले कपड़े पहनकर विधानसभा आकर जो

अशोधित/पुनरावलोकन के लिये नहीं

परंपरा स्थापित की है, मैं समझता हूं कि उन्होंने माननीया राज्यपाल महोदया के भावनाओं के विपरीत उन्होंने पुन: अपने आचरण को प्रदर्शित किया है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय धनेंद्र जी, आपको यह मालूम है कि नहीं है कि माननीय राज्यपाल महोदया जो भी पढ़ती हैं या कहती हैं वह सरकार जो उनको कहती हैं वही करती हैं यह आपको मालूम है कि नहीं है ? वह उनकी भावना नहीं है, वह बोलती हैं कि मेरी सरकार । आपने माननीय राज्यपाल महोदया जी से जो बोलवाया है वह उन्होंने बोला है ।

श्री बृहस्पत सिंह :- जैसा पहले आप बोलवाते थे, है न ।

श्री धनेंद्र साहू :- इसका मतलब आप ऐसा बोलकर पुन: उनके सम्मान में कमी कर रहे हैं ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय राज्यपाल महोदया का सम्मान है, सरकार का नहीं है ।

श्री धनेंद्र साहू :- माननीय राज्यपाल महोदया के सम्मान में आप पुन: कमी कर रहे हैं । आप अत्यंत वरिष्ठ सदस्य हैं, आप उन पर इस तरह की टिप्पणी न करें ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय धनेंद्र भैया आप लोगों ने इतना अच्छा सम्मान किया कि एक महीने के अंदर दो बार अभिभाषण करवा दिया ।

सभापति महोदय :- चलिये, आप अपनी बात कहिए ।

श्री धनेंद्र साहू :- ऐसा पहली बार है, पहले भी ऐसा हुआ है । माननीय सभापति महोदय, जहां सारे विभागों के कार्यों की सराहना माननीय राज्यपाल महोदया जी ने की है, वहीं हमारी सरकार ने चुनाव पूर्व जितने भी घोषणा पत्र में जो बातें यानी इस प्रदेश की जनता के साथ जो वायदा किया था उन घोषणा-पत्रों के क्रियान्वयन का भी उल्लेख है कि सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो आज कुर्सी संभालते ही बहुत ही ऐतिहासिक फैसले लिये कि उन्होंने किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ करने का एलान किया इसके साथ ही उन्होंने सिंचाई कर माफ करने का आदेश किया और साथ ही 25सौ रूपया क्विंटल में धान खरीदी करने का उन्होंने आदेश जारी किया, फैसला किया । माननीय सभापति महोदय, यह ऐसे फैसले थे जिसे मैं तो यह कहूंगा कि संसार में, न तो कहीं किसी देश में हुआ है, न इस देश के किसी प्रदेश में हुआ है कि किसी भी सरकार ने किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ किया हो, मैं ऐसा समझता हूं कि यह पहला उदाहरण हुआ है और आज उसका परिणाम भी दिखा है । पूरे देश में छत्तीसगढ़ प्रदेश ही धान का समर्थन मूल्य 2500 रूपए देने वाला राज्य है ।

श्री ननकीराम कंवर :- आप एक भी रसीद लाकर दिखा दीजिए कि किसी किसान को 2500 रूपया मिला है ।

श्री धनेन्द्र साहू :- अभी उस पर आ रहा हूं । क्या आपको पिछले साल 2500 रूपए नहीं मिले ?

श्री ननकीराम कंवर :- नहीं मिला है ।

सभापति महोदय :- चलिए, आपस में बात न करें ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री धनेन्द्र साहू :- ठीक है ।

श्री बृहस्पत सिंह :- काका, आपके यहां लड़का हिसाब रखता है ना, इसलिए आपको नहीं मालूम है ।

श्री ननकीराम कंवर :- आप जांच कर लीजिए । चलिए, किसी भी किसान को मिला होगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा और अगर नहीं मिला होगा तो सरकार इस्तीफा दे दे । चलिए, शर्त लगा लीजिए ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय राज्यपाल से असत्य कथन कराया गया, वैसा ही असत्य कथन हमारे वरिष्ठ धनेन्द्र साहू जी कर रहे हैं । उन्होंने कहा सम्पूर्ण कर्ज माफ कर दिया गया । क्या सम्पूर्ण कर्ज माफ हो गया, कृपया बता दीजिए ? आपने कहा कि सम्पूर्ण कर्ज माफ हो गया, मध्यकालीन और दीर्घकालीन तो माफ हुआ ही नहीं ।

सभापति महोदय :- माननीय धनेन्द्र जी आप अपनी बात कहिए ।

श्री धनेन्द्र साहू :- सभापति जी, आप धैर्य से सुनना तो सीखें, टोका-टाकी बंद करें और धैर्य सुने तो ।

सभापति महोदय :- माननीय धनेन्द्र जी पहले वक्ता हैं, इन्हें पूरी कहने दें ।

श्री ननकीराम कंवर :- तो यह ऐसा बोलना बंद करें ना, गलत बोलेंगे तो टोकेंगे ही ।

सभापति महोदय :- जब आपका अवसर आएगा तो अपनी बात रखिएगा । वे पहले वक्ता हैं उनको बोलने दीजिए ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- ननकी दादा आप लोगों ने कहा था कि आदिवासियों को जर्सी गाय देंगे, 15 साल राज किये जर्सी गाय दिये क्या ?

श्री राजकुमार यादव :- कई झन अगोरा थे ।

सभापति महोदय :- माननीय धनेन्द्र साहू जी आप अपनी बात कहिए । धनेन्द्र जी पहले वक्ता है उन्हें अपनी बात कहने दीजिए, आप लोग उनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनिये ।

श्री धनेन्द्र साहू :- सभापति महोदय, मैं धन्यवाद दूंगा 15 साल बाद इधर आए हैं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- आपके भाषण की कितनी इज्जत थी, कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी । आप इसके बारे में तो बोलो । 15 साल की बात तो बाद में बोल लीजिएगा । धन्यवाद प्रस्ताव रखने वाले हैं, आपकी कितनी इज्जत हुई ?

श्री बृहस्पत सिंह :- मेडिकल चेकअप हो रहा है, मेडिकल चेकअप करवा लें ।

श्री अजय चन्द्राकर :- इसी कारण बोला था, मत बोलो भाटो मत बोलो, कोई नहीं है आपको सुनने वाला । कोई गंभीरता से लेता ही नहीं आपको । वो किसी कमेटी में आपको रख दिया गया है ।

श्री धनेन्द्र साहू :- आप सुन तो लीजिए । 15 साल बाद आपकी आत्मा जागृत हुई । 15 साल बाद आपको किसानों की सुध आ रही है । इसी बात का धन्यवाद दे रहा हूं ।

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री अजय चन्द्राकर :- 15 साल बाद आपको क्या मिला, उसी सीट पर बैठ रहे हो ।

श्री धनेन्द्र साहू :- 15 साल बाद आपको काला कपड़ा पहनने का अवसर मिला है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- धनेन्द्र भइया और सत्तू भइया की स्थिति वही हो गई जैसा नारायण चंदेल जी अक्सर बोलते हैं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप 15 साल बाद भी उसी सीट पर हैं ।

सभापति महोदय :- अजय जी कृपया सहयोग करें । धनेन्द्र जी अपनी बात जारी रखिए ।

श्री धनेन्द्र साहू :- सभापति महोदय, इनको थोड़ा दंडित करिये (हंसी) ।

श्री बृहस्पत सिंह :- सभापति जी, इन लोगों का थोड़ा मेडिकल चेकअप कराया जाए ।

श्री धनेन्द्र साहू :- माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि आज 15 साल बाद में इनकी आत्मा जागृत हुई है । 15 साल तक जब ये सत्ता में थे तो सत्ता के मद में इतना डूबे थे । जब हम लोग विपक्ष में रहते हुए किसानों की बात रखते थे तो इनके कुछ समझ में नहीं आता था । सत्ता का नशा इतना अधिक चढ़ा हुआ था । किसान लगातार घाटे में डूबे हुए थे । इनकी जिम्मेदारी थी कि खेती किसानों के लिए सरकार की तरफ से अच्छा बीज मिले, अच्छा खाद मिले, बिजली मिले, पानी मिले और जब सब कुछ हो जाए तो हमारी उपज को सही मूल्य मिले । इन्होंने पूरे 15 साल ध्यान नहीं दिया, हम लो विपक्ष में रहकर चिल्लाते रहे । ये लोग अपने वायदे से मुकरते रहे । इन्होंने 2100 रूपए समर्थन मूल्य देने का वायदा करके विश्वासघात किया था, ये बात वे भूल गए । धान की मात्रा 15 क्विंटल से घटाकर 10 क्विंटल कर दी गई थी, हम लोग चिल्लाते रहे लेकिन इन्होंने हमारी बातें नहीं सुनीं । 300 रूपए बोनस देने की बात की थी लेकिन इन्होंने बातें नहीं सुनीं । प्रदेश में नकली खाद, नकली दवाई, नकली बीज ।

सभापति महोदय :- माननीय सदस्य का भाषण जारी रहेगा, सभा की कार्यवाही भोजनावकाश के लिए अपराह्न 3.00 बजे तक के लिए स्थगित ।

(1.30 बजे से 3.00 बजे तक अंतराल)

समय :
3:01 बजे

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए)

<u>माननीय राज्यपाल महोदया के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा</u> <u>(क्रमशः)</u>

अध्यक्ष महोदय :- साहू जी, अपना भाषण जारी रखेंगे।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री धनेन्द्र साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। मैं कह रहा था कि 15 साल के कुशासन के कारण पूरे प्रदेश के किसानों में हाहाकार मचा हुआ था। खेती-किसानी जो हमारा सबसे पवित्र काम होता था, वह लगभग पूरी तरह से घाटे का काम हो चुका था। इनके 15 वर्षों के कुशासन में हमारी लाखों एकड़ खेती की जमीनें बिक गयीं। लाखों एकड़ के हमारे किसान जो कल तक भूमि-स्वामी कहलाते थे, वे खेती में घाटा होने के कारण, कर्जा में डूबने के कारण लाखों किसानों की जमीनें बिक गयीं और लाखों किसान भूमि स्वामी से लेकर भूमि मजदूर हो गये। उनकी जमीनें बिकती गयीं। प्रदेश के लाखों किसान घाटे में डूबे रहे, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार की नीति ऐसी रही कि कुछ लोग काफी अधिक संपन्न हुए। किसानों की हैसियत तो दिनों-दिन खराब होती गयी, लेकिन कुछ लोगों की हैसियत इतनी अधिक बढ़ी कि वे सैकड़ों लोग उन लाखों लोगों की जमीन को खरीदने में सक्षम हुए। चंद लोगों का ही विकास इस प्रदेश में पिछली सरकार की गलत नीति के कारण हुआ था। माननीय अध्यक्ष महोदय, वोट की राजनीति के कारण बड़े-बड़े वायदे किये। हर चुनाव में घोषणा-पत्र में बढ़-चढ़कर वायदे किये। चाहे वह बोनस की बात हो, चाहे समर्थन मूल्य की बात हो। जैसी ही इनकी सरकार बनती थी, उसके बाद इन्हें किसानों की सूध नहीं रहती थी। न ही इन्होंने 2100 रूपये समर्थन मूल्य देने के मामले में गंभीरतापूर्वक कोई पहल किया और मात्र 5 साल में सिर्फ दो साल का ही इन्होंने बोनस दिया। 15 क्विंटल की सीमा में भी कटौती करके सिर्फ 10 क्विंटल धान खरीदी कर दिया था। वह तो कांग्रेस पार्टी ने काफी आंदोलन किया, तब जाकर सरकार ने विवश होकर पुन: 15 क्विंटल पर ये उतर पाये थे। आज जिस तरह से नकली हमदर्दी ये लोग दिखा रहे हैं, यदि वास्तव में इन्हें किसानों के प्रति हमदर्दी होती तो हमारी सरकार ने 2500 रूपये क्विंटल धान में धान खरीदी। इस साल भी वही निर्णय रहा, लेकिन केन्द्र सरकार को तकलीफ पैदा हो गयी। केन्द्र सरकार ने आदेश जारी कर दिया कि यदि राज्य सरकार 2500 रूपये में यदि धान खरीदी करती है तो हम उनका केन्द्रीय पूल में चावल नहीं खरीदेंगे। उस समय इनकी हमदर्दी कहां गयी? केन्द्र में इनकी सरकार है तो इन्होंने क्यों बात नहीं की? इन्होंने क्यों पहल नहीं किया? वर्ष 2013 के चुनाव में आप कह सकते हैं कि 2100 रूपया समर्थन मूल्य और 300 रूपये बोनस कुल 2400 रूपये क्विंटल की बात की थी। 6 साल बीतने के बाद भी आज केन्द्र सरकार को बोलने का साहस नहीं है कि यहां की छत्तीसगढ़ राज्य सरकार यदि 2500 रूपये क्विंटल में खरीदी कर रही है तो उस पर रोक न लगाएं। आप चावल खरीदी पर रोक न लगाएं। यह कहने का साहस विपक्ष ने कभी नहीं दिखाया। तो कैसे माने कि ये लोग किसान के प्रति हमदर्दी रखते हैं। किसान के हितैषी हो सकते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मैं बताना चाहूंगा कि आज कुछ दिनों से ही इनमें किसानों के प्रति प्रेम जागा है । सदन में बार-बार वर्तमान में सरकार के द्वारा की गई धान खरीदी के सम्बन्ध में बातें कही जा रही है। मैं थोड़े से आकड़ें बताना चाहूंगा। जब सन् 2017-18 में इनकी सरकार थी तब 2017-18 में 15 लाख 17 हजार 332 किसानों का पंजीयन हुआ था। उसमें से मात्र 16 लाख 06 हजार 264 किसानों का धान

बिका था। उस समय आप लोग कहां गये थे ? आप 15 लाख 17 हजार 332 किसानों का पंजीयन कर रहे हैं और सिर्फ 12 लाख 06 हजार किसानों का धान खरीदी कर रहे हैं। उस समय आपने 56.88 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा था। जब 2018-19 में हमारी सरकार बनी तब 16 लाख 18 हजार किसानों का पंजीयन होता है और उसमें से 15 लाख 71 हजार किसानों का धान खरीदा जाता है। लगभग 92 प्रतिशत किसानों का धान खरीदा जाता है। वहीं आपके शासनकाल में सिर्फ 76 प्रतिशत किसानों का धान खरीदा था। कुल पंजीयन किसानों में से सिर्फ 76 प्रतिशत किसानों का धान खरीदा था। वहीं जब 2018-19 में हमारी सरकार बनी तो 92 प्रतिशत किसानों से धान खरीदा है। सन् 2018-19 में 80.83 लाख मीट्रिक टन की खरीदी हुई। इस साल भी 2019-20 में कुल 19 लाख 55 हजार 554 किसानों ने पंजीयन कराया था और उसमें से 18 लाख 20 हजार 914 किसानों ने अभी तक अपने धान को बेचा है जो अभी तक बेची गई धान पंजीयन किसान के हिसाब से 93 प्रतिशत है और लगभग 82.81 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हमारे शासन के द्वारा आज की गई है। इसके लिए लगभग 14,751 करोड़ रूपये किसानों का भुगतान हुए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज कहना चाहूंगा कि 2017-18 में जब आपकी सरकार थी तो आपने 15 लाख 17 हजार किसानों से धान खरीदा था और वहीं जब आज हमारी सरकार बनी है तो हमारी सरकार ने लगभग 18 लाख 20 हजार 914 किसानों से धान खरीदा है। यदि हम उस वर्ष और इस वर्ष की धान खरीदी का अंतर निकाले तो 6 लाख 14 हजार से ज्यादा किसानों ने धान बेचा है। (मेजों की थपथपाहट) यह आपके सामने सारे आकड़ें हैं। मैं तो कहूंगा कि आपको इस विषय में ..।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, दोनों किसान नेता प्रश्नकाल और बाकी समय बहुत हल्ला करते हैं और अभी कहां गायब हैं ?

श्री धनेन्द्र साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो धान खरीदी का रिकार्ड है, वह अपने आप में ही साबित करती है कि हमारी सरकार ने जो कर्ज माफी की है, हमारी सरकार ने 25 सौ रूपये प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीदी की, आज उसका परिणाम यह हुआ कि कल तक हमारा खेती घाटे का कारोबार था, कल तक खेती जो घाटे का काम था, जो किसान, खेती-किसानी से पलायन कर रहे थे, आज का युवा पीढ़ी खेती-किसानी छोड़कर शहर की ओर भाग रहे थे, हमारी सरकार के तीन फैसलों से कर्जा माफी, 25सौ रूपये क्विंटल में धान खरीदी और सिंचाई कर माफी से, इन तीन फैसलों से आज खेती-किसानी के प्रति लोगों में पुन: रूझान पैदा हुआ है। जो युवा आज बेरोजगारी की ओर बढ़ रहे थे, वे युवा आज खेती-किसानी की ओर लौटे हैं। आज उसी का परिणाम है कि इतने बड़े पैमाने पर खेती की ओर लोग गये हैं। खेती में अधिक से अधिक रकबे में बढ़ोत्तरी हुई है। धान बेचने के लिए किसानों का पंजीयन अधिक हुआ है और किसानों ने अधिकतम धान भी बेचा है। ये 06 लाख 10 हजार किसानों के आकड़ें अपने आप में यह प्रमाणित करते हैं कि खेती के प्रति लोगों का रूझान पूर्व से बढ़ा है। हमारी

अप्रमाणित/प्रकाशन के लिए नहीं

सरकार 25 सौ रूपये क्विंटल धान खरीदने की बात कर रही है और अंतर की राशि 685 रूपया प्रति क्विंटल ..।

श्री शिवरतन शर्मा :- धनेन्द्र भैय्या, सरकार के पक्ष में बोलना यह आपकी राजनीतिक मजबूरी है। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में पी.सी.सी. अध्यक्ष ने तारीख बढ़ाने की बात क्यों रखी, आप जरा यह भी क्लीयर कर दो ? आप उस बैठक में हाजिर थे।

डॉ.(श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव :- आपको किसने बताया ? जासूस का नाम बताईये ?

श्री शिवरतन शर्मा :- आप लोगों ने जो प्रपत्र लिखकर दिया है, मैं उसकी कापी भी उपलब्ध करा दूंगा।

श्री धनेन्द्र साहू :- यह हमारी कांग्रेस की पार्टी है, यहां पारदर्शिता है।

श्री कुलदीप जुनेजा :- आपके पार्टी के विधायक दल की बैठक में तो बात हुई थी कि हमें कांग्रेस का समर्थन करना है।

श्री धनेन्द्र साहू :- अध्यक्ष महोदय, यहां पारदर्शिता है, यहां बेबाकी से किसानों के हित में सारे विधायक अपनी बात करते हैं ।

श्री शिवरतन शर्मा :- हां तो जो वहां बोले हो, उसको यहां बोलो न । यहां बोलने में क्यों डर लग रहा है ?

श्री धनेन्द्र साहू :- यहां भी बोल रहे हैं । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मानता हूं कि आज पूरे सिस्टम में किसानों को थोड़ी बहुत तकलीफ हुई है और उसके पीछे का कारण है कि इस सिस्टम में आपके समर्थक अभी भी बैठे हैं, जिन्होंने व्यवधान पैदा किया है कि यह सरकार 25 सौ रूपए क्विंटल में धान खरीदने का श्रेय ले रही है। कांग्रेस की सरकार इतने अधिक किसानों का धान खरीद रही है, यह इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है । इस सिस्टम में आपकी विचारधारा के जो लोग जुड़े हुए हैं, जिन लोगों ने जान-बूझकर सहकारी समितियों में व्यवधान पैदा किया है या अन्य जगह जिस तरह से आज व्यवधान पैदा किया है, उसके कारण हमारे किसान भाइयों को कहीं परेशानी भी हुई है । खेती किसानी के क्षेत्र में हमारी सरकार के द्वारा और भी बहुत सारे उपाए किए गए हैं, चाहे तेंदूपत्ता 25 सौ रूपए से 4 हजार रूपए प्रति मानक बोरी की दर से जो खरीदी का फैसला लिया था, उससे लगभग 15 लाख से अधिक परिवारों को 602 करोड़ रूपए का भुगतान हुआ है । समर्थन मूल्यों में 8 लघु वनोपज चीजों की खरीदी होती थी, उसमें 22 लघु वनोपजों को खरीदी करने का फैसला हमारी सरकार ने लिया है। 1 हजार से अधिक हाट बाजारों में संग्राहक केन्द्र स्थापित किये गए हैं, लोगों को संग्रहण केन्द्र के माध्यम से अपने लघु वनोपजों को बिक्री करने का अवसर मिला और लगभग 50 हजार महिलाएं इनसे जुड़कर रोजगार प्राप्त की हैं ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से 15 वर्ष का सिंचाई कर लगभग 207 करोड़ रूपए बकाया था, उसको भी हमारी सरकार ने माफ करके किसानों को खेती किसानी को और भी लाभदायक बनाने के लिए उनको अवसर प्रदान किया है। हमारे प्रदेश में बिजली के बिल को आधा करने का भी हमारी पार्टी का वायदा था, उसको भी हमने पूरा किया और हमारे प्रदेश के आम लोगों के बिजली बिल को आधा बिल माफ किया गया । इसी तरह से किसान यदि किसी भी कार्यों के लिए अपनी जमीन बेच रहे हैं तो उसको भी 4 गुना मुआवजा दर तय किया गया है, आज उसका परिणाम है कि इसमें किसानों को काफी अधिक लाभ हुआ है । इसी तरह से यदि हम सारी योजनाओं को लें तो लगभग 1 लाख करोड़ के बजट में से लगभग 24 हजार करोड़ रूपए का लाभ सीधा-सीधा किसानों को विभिन्न योजनाओं के तहत हमारी सरकार के द्वारा दिया गया है ।

समय :

3:13 बजे **(सभापति महोदय (श्री देवव्रत सिंह) पीठासीन हुए)**

सभापति महोदय, आज हमारे इस प्रदेश में गांव की समृद्धि और खुशहाली के लिए हमारी सरकार की जो कोशिश है कि हमारी जो पुरानी परम्परा रही है, उसको भी जिंदा करके खेती किसानी को, किसानों को किस तरह से और अधिक समृद्ध बनाया जाए और खेती की लागत को किस तरह से कम किया जाए, इसके लिए भी हमारी सरकार की जो सोच रही है-नरवा, गरूवा, घुरूवा, बारी, एला बचाना हे संगवारी और इसको प्राथमिकता में रखते हुए अभिनय योजना इस प्रदेश में प्रारंभ की गई है और खाली प्रदेश ही नहीं, बल्कि इसकी चर्चा पूरे देश भर में हो रही है और देश ही नहीं, विदेशों तक इस योजना को सराहा जा रहा है कि आज इसके माध्यम से हमारा गौ धन, पशुधन का संवर्धन ठीक से हो सकेगा । पिछली सरकार ने गौशाला के नाम पर करोड़ों रूपए की घोटालाबाजी करते रहे, हमारी गउएं गौशाला में मरती रही, लेकिन कभी इनकी सुध इनकी सरकार के द्वारा नहीं ली गई थी । गौ संवर्धन, गौ धन किसानों की सबसे बड़ी पूंजी होती है । आज उस गो धन को पुन: हमारी सरकार ने जो सम्मान दिया है, गो रक्षा की बातें हो रही है, गांव-गांव में जो लावारिश मवेशियां घूमती थीं, फसल चरी की जो समस्या होती थी, जो इस सरकार की अभिनव योजना गोठान के विकास की है और गोठान के माध्यम से हमारी जो सबसे बहुत ही बहुमूल्य गोधन है, गो वंश है, उसकी सुरक्षा के उपाय प्रारंभ हुई है और प्रदेश में लगभग 4 हजार गौठानों का निर्माण हमारी सरकार के द्वारा किया जा सका है ।

माननीय सभापति महोदय, हमारे ही विधान सभा क्षेत्र में वन चरौदा ग्राम में जहां राजस्थान के मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री और गौ पालन मंत्री उसको आकर देखकर जाते हैं । वे अपने प्रदेश में प्रेरणा लेकर लागू करने की बात करते हैं । महिलाओं को वहां रोजगार मिल रहे हैं । अनेक महिलायें वहां पर स्व-सहायता के रूप में काम कर रही है । वही गोबर के माध्यम से हमारी महिला समूह गोबर से गमले

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

बना रही है, गोबर से जैविक खाद बना रहे हैं, गोबर से धूप बत्ती बना रहे हैं, अनेक उपयोगी चीज जैसे दिया बना रहे हैं । वहां पर हमारी महिला समूह ने गोठान के माध्यम से रोजगार का साधन बनाया है । सभापति महोदय, आज हमारे छत्तीसगढ़ में एक भी बारहमासी नदियां नहीं बच पाई है । आज नरवा को जिस तरह से पुनर्जीवित करके सिंचाई के संसाधन को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, वह सराहनीय है । हमारी सरकार का विश्वास है कि जिस दिन हम अपने प्रदेश के सारे नालों को पुनर्जीवित कर देंगे, निश्चित तौर पर हमारी नदियों पर भी पानी होगा और हमारी नदियां बारहमासी हो सकेंगी । जिस तरह से आज हमारे सामने जैविक खाद के विकल्प आ रहे हैं और रासायनिक खाद का दुष्परिणाम सारे लोग देख रहे हैं । रासायनिक खाद के अधिकतम उपयोग के कारण आज हमारी खेती-किसानी की लागत बढ़ गई है । यदि अंतिम में हम फसल नहीं ले पायें, बीमारी लग गई तो सारी लागत एक घाटे के रूप में परिवर्तित हो जाती है, एक जोखिम भरा रहता है । रासायनिक खादों के अधिकतम उपयोग के कारण आज खेती की लागत बढ़ी हुई है । जहां रासायनिक खाद का उपयोग करते हैं तो इसी तरह से कीटनाशक दवाईयों का उपयोग मजबूरी में करना पड़ता है और उसी के कारण आज हमारा सारा अन्न जहरीला हो चुका है । रासायनिक खाद और कीटनाशक का इतना अधिक उपयोग हो गया है । उसके कारण से भी आज जैविक खाद को बढ़ावा देने के लिए हमारा जो घुरवा है, महत्वपूर्ण साधन है । आज गोठानों के माध्यम से या किसानों को भी प्रेरित करके, हम लोग देख रहे हैं कि खाली गौठान ही नहीं, शासकीय गौठान ही नहीं, किसान आज अपने ही घरों में, अपने ही मवेशियों से जैविक खाद बनाना शुरू कर रहे हैं । हम लोग बहुत जल्दी ही छत्तीसगढ़ में लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे । हर किसान जब अपने घरों में जैविक खाद का निर्माण करने लगेगा तो रासायनिक खाद के ऊपर हमारी जो निर्भरता है, वह समाप्त हो पायेगी । इसी तरह से हमारी बाड़ी जो है, आर्थिक ताकत होती थी । गांव में रहने वाले लोग पहले कभी बाजार से सब्जियां नहीं खरीदते थे, हर चीज, जितनी आवश्यक वस्तुयें हैं, उनके घर में या खेत में पैदा हो जाता था, लेकिन आज जिस तरह से हमारी बाड़ी हतोत्साहित हुई है, आज हमारी सरकार ने पुन: उसको प्रोत्साहित किया है । इस बाड़ी के विकास के माध्यम से आज हमारे हर परिवार की उसी बाड़ी के माध्यम से हमारी आर्थिक निर्भरता बन पायेगी । आज यह जो सोच है, जो विचार है, जैसे ही धरातल में, आज सारे गांव आने लगेंगे, एक नया छत्तीसगढ़ का स्वरूप दिखाई देने लगेगा । मैं यह कहना चाहूंगा कि आज हमारी सरकार ने जो लगातार प्रदेश के अन्य भी विभागों में और जिस तरह से विकास के कार्य किये हैं, वह प्रशंसा का विषय है । आज जिस तरह से वन्य प्राणियों के द्वारा जनहानि होने पर क्षतिपूर्ति की राशि जो पूर्व में 4 लाख रूपये थी, उसको भी बढ़ाकर शासन के द्वारा 6 लाख रूपया किया गया है । इसी के साथ ही आज प्रदेश के बहुत बड़े हिस्से में हाथी के आतंक से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है । उसके लिए भी सरकार ने लेमरू एलिफैंट रिजर्व बनाने की दिशा में कार्य प्रारंभ किया है । माननीय सभापति महोदय, शिक्षा के क्षेत्र में भी हमारी सरकार ने जहां

अशासकीय/प्रकाशन के लिए नहीं

अनुसूचित जति, अनुसूचित जनजाति के बच्चों को बेहतर शिक्षा की सुविधा देने के लिए प्री-मैट्रिक छात्रावास के और आवासीय विद्यालयों में, आश्रम में जितने विद्यार्थी जो रह रहे हैं, इसकी शिष्यवृत्ति दर को बढ़ाकर 1000 रूपया प्रतिमाह हमारी सरकार के द्वारा किया गया है । इसी तरह से मैट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ति दर बढ़ाकर 700 रूपये प्रतिमाह की गयी है । 17 नये एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय शुरू किये गये हैं । माननीय सभापति महोदय, इसी तरह से आज शासन के द्वारा 15 हजार स्थायी शिक्षक, शिक्षिकाओं की भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है । इसमें से 7000 से अधिक शिक्षक-शिक्षिकाएं हमारे आदिवासी अंचल की शालाओं को मिल सकेंगे। बस्तर एवं सरगुजा क्षेत्र में अधिक से अधिक लोगों की विशेष भर्ती हो सके इसके लिए सरकार ने आज कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड का गठन किया है एवं कौशल उन्नयन एवं रोजगारपरख प्रशिक्षण के अनेक उपाय प्रारंभ किए हैं। इसी तरह से आज बस्तर, सरगुजा और मध्य क्षेत्र के लिए अलग अलग आदिवासी विकास प्राधिकरणों का गठन करके मुख्यमंत्री जी ने हमारे जनप्रतिनिधियों को उसका अध्यक्ष/उपाध्यक्ष बनाकर उन्हें अवसर प्रदान किया है। प्रशासन के विकेन्द्रीकरण के दृष्टिकोण से पेंड्रा-गौरेला-मरवाही को एक नये जिले के रूप में कार्य प्रारंभ हो सका है। इसी तरह से हमारे पंचायती राज प्रणाली के जो चुनाव हुए उसमें पुन: परिसीमन करके जो काफी दूर-दराज फैले हुए गांव हैं उनका परिसीमन करके आज 704 नई ग्राम पंचायतें गठित की गई हैं जिसमें से 496 नई पंचायतें अनुसूचित क्षेत्रों में है।

माननीय सभापति महोदय, मनरेगा योजना के तहत अब तक लगभग 685 लाख मानव दिवस में से 287 लाख मानव दिवस अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग से हैं। खाद्यान्न योजना में भी आज हमारी सरकार ने सार्वभौम पी.डी.एस. के माध्यम से लगभग 65 लाख परिवारों को खाद्यान्न एवं पोषण सुरक्षा प्रदान की है। इनकी सरकार ने जो 35 किलो चावल बंद कर दिया था, पुन: हमारी सरकार ने 35 किलो चावल देने के वायदे को निभाया है। जिसमें से अन्त्योदय, अन्नपूर्णा एवं प्राथमिकता राशन कार्डों के माध्यम से लगभग 26 लाख परिवारों को 1 रूपये प्रति किलो की दर पर चावल देने का इंतजाम किया गया है और इसी तरह से आदिवासी अंचलों में पोषण सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किये गये हैं और अंत्योदय एवं प्राथमिकता राशन कार्डधारी परिवारों को नि:शुल्क रिफाईंड आयोडाईज्ड नमक भी दिया जा रहा है। अनुसूचित विकासखंडों एवं माडा क्षेत्र में लगभग 30 लाख परिवारों को प्रतिमाह दो किलो चना 5 रूपये प्रतिकिलो की दर से दिया जा रहा है। बस्तर संभाग में महिलाओं एवं बच्चों में आयरन की कमी को दूर करने के लिए जनवरी, 2020 से अंत्योदय, प्राथमिकता एवं मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना के राशनकार्डधारी परिवारों को दो किलो गुड़ 17 रूपये प्रतिकिलो की दर पर प्रदान किया जा रहा है। इसी तरह से आदिवासी क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को विश्व के सामने पेश करने के लिए हमारी सरकार ने आदिवासी नृत्य महोत्सव के माध्यम से जिस तरह से आज अवसर प्रदान किया है, इसमें लगभग 24 प्रदेशों एवं 06 अन्य देशों के 1800 कलाकारों ने भाग लिया।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

माननीय सभापति महोदय, राज्य के सहकारी शक्कर कारखानों में उत्पादित शक्कर को सार्वजनिक वितरण प्रणाली में लिया जा रहा है साथ ही कवर्धा स्थित शक्कर कारखाने में एथेनॉल प्लांट की स्थापना की कार्यवाही शुरू की गई है साथ ही पंडरिया और अंबिकापुर के सहकारी शक्कर कारखाने में भी एथेनॉल प्लांट लगाने का निर्णय सरकार के द्वारा लिया गया है। धान से एथेनॉल बनाने के लिए भी पुरजोर कोशिश की जा रही है और हमारे मुख्यमंत्री जी द्वारा लगातार केन्द्र सरकार से अनुमति के लिए प्रयास किया जा रहा है। कोंडागांव में मक्का प्रसंस्करण केन्द्र के लिए 136 करोड़ रूपये के प्रसंस्करण यूनिट की स्थापना सरकार के द्वारा की गई है।

माननीय सभापति महोदय, जल संसाधन के विकास के लिए भी आज हमारी सरकार ने जो समीक्षा की है और समीक्षा करने पर जो स्थिति पाई गई है कि एक तरफ पिछली सरकार दावा करती रही कि यहां पर हम लगभग 23-24 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता विकसित किए हैं लेकिन अभी माननीय सिंचाई मंत्री जी ने जो समीक्षा की है उसके अनुसार आज जितनी भी योजनाएं बनी हैं उससे वास्तविक रूप से मात्र 13 लाख हेक्टेयर में ही सिंचाई क्षमता है। इसे बढ़ाकर विभिन्न माध्यमों से पुन: उन संरचनाओं को ठीक करके सिंचाई के लक्ष्य को लगभग दुगुना करने की कार्ययोजना बनाकर हमारी सरकार आगे बढ़ रही है।

माननीय सभापति महोदय, इसी तरह से आज हमारी यहां की सड़कों के विकास के लिये भी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत लगभग 3,700 किलोमीटर से अधिक 355 सड़कों तथा 10 वृहत पुलों के निर्माण हेतु 2,210 करोड़ रूपये लागत की परियोजना की स्वीकृति हाल ही में प्राप्त की गयी है। इसे मिलाकर प्रदेश में प्रधानमंत्री सड़क योजना से निर्मित सड़कों की लंबाई 40,690 किलोमीटर हो जाएगी। स्वच्छ भारत मिशन, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना, मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ जैसी सभी योजनाओं में तेजी लाई जायेगी। ग्रामीण अंचलों में घर पहुंच बैंकिंग सेवाओं को भी बढ़ाने के लिये लगभग तीन हजार बी.सी सखी सेवा शुरू करने का लक्ष्य और एक हजार ने उसमें से काम भी शुरू कर दिया है। सर्वाधिक नक्सल प्रभावित आठ जिलों में एक वर्ष में 32 नई बैंक शाखाएं खोली गयी है। इस प्रकार बैंक शाखाओं और ए.टी.एम. को मिलाकर ऐसी सुविधा 869 केन्द्र बन गये हैं।

माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार ने ग्रामोद्योग को बढ़ावा देने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। मैनपाट में बंद पड़ा कालीन उद्योग तक उत्पादन का कार्य पुन: प्रारंभ किया गया है और लगभग 175 करोड़ रूपये की हाथकरघा वस्त्रों की खरीदी सरकारी विभागों के द्वारा की गयी है। आज हमारी सरकार ने गौठानों से लेकर छोटे कारखानों तक को ऐसे उत्पादों के लिये प्रेरित किया है, जो अपनी माटी की महक और कलाकारों की चमक से बाजारों में अपनी जगह बना रहे हैं। आज महिलाओं, किसानों, वंश निवासियों की समूह गतिविधियों के लिए संगठित तौर पर प्रोत्साहित करने के बेहतर नतीजे आज इस तरह से मिल रहे हैं। आज श्रमिकों को भी सम्मान सुरक्षा और सुविधापूर्वक जीवन जीने

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

के लिये आज हमारी सरकार ने औद्योगिक स्थापनों में भी आज सेवारत कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 58 से बढ़ाकर 60 वर्ष की है। इसी तरह से 10 से कम श्रमिकों वाले जो संस्थान हैं, संविदा श्रम अधिनियम में नवीनीकरण की छूट जैसी अनेक रियायतों से राहत का दायरा भी बढ़ाया है।

माननीय सभापति महोदय, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी और युवाओं के विकास के लिये भी हमारी सरकार ने जो अभिनव पहल किया है कि आज लगभग प्रदेश में 10 आदर्श महाविद्यालय की स्थापना, 54 महाविद्यालयों में अधोसंरचना विकास हेतु आर्थिक सहायता दी गयी है। वहीं दूसरी ओर सहायक प्राध्यापक, ग्रंथपाल, क्रीडा अधिकारी की भी लगभग 1500 पदों पर भर्ती की जा रही है। 34 सरकारी कॉलेजों में लगभग 4 हजार तथा 56 अशासकीय कॉलेजों में 6 हजार सीटें बढ़ायी गयी है। हर जिले में कन्या छात्रावास की उपलब्धता को भी आज प्राथमिकता के साथ में उस पर स्थापना की कार्यवाही की जा रही है। माननीय सभापति महोदय, आज युवाओं के विकास के लिये भी उनको अपने कैरियर को आगे बढ़ाने के पर्याप्त अवसर दिये जो रहे हैं। अभी-अभी युवा महोत्सव भी रायपुर में आयोजित किया गया जिसमें प्रदेश भर के युवाओं ने भाग लिया और उन्हें जिस तरह से प्रेरणा आज इस युवा महोत्सव के माध्यम से मिली है और इस युवा महोत्सव में प्रदेश के सात हजार से अधिक युवाओं ने आज यहां आकर 37 से अधिक विधाओं में उन्होंने भाग लिया है।

श्री शिवरतन शर्मा :- धनेन्द्र भैया, ये सब तो हम लोग राज्यपाल के अभिभाषण में पढ़ भी लिये हैं और सुन भी लिये। कुछ नयी बात हो तो बोलो न।

श्री धनेन्द्र साहू :- नहीं, नयी बात भी बोल रहा हूं।

श्री शिवरतन शर्मा :- नहीं-नहीं, आप जो बोल रहे हो, उसको पढ़ भी लिये और सुन भी लिये।

श्री धनेन्द्र साहू :- आप शांत रहियेगा।

सभापति महोदय :- माननीय शिवरतन जी, इसके बाद आप ही का नंबर है, आप अपनी बात उस समय कह लीजियेगा।

श्री धनेन्द्र साहू :- माननीय सभापति महोदय, स्वास्थ्य के विषय में भी हमारी सरकार ने आज बहुत ही साहिसक फैसला मनोनित किया है। दो महत्वपूर्ण योजनाएं आज स्वास्थ्य के क्षेत्र में शुरू की गयी है। डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत प्राथमिकता एवं कार्डधारी..।

सभापति महोदय :- माननीय धनेन्द्र जी, लगभग 40 मिनट आप बोल चुके हैं और कितना समय लगेगा ?

श्री धनेन्द्र साहू :- बस दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। आज प्राथमिकता और अंत्योदय राशनकार्डधारी 56 लाख...।

श्री शिवरतन शर्मा :- क्या है, बैठने के लिये स्थान पांच साल सुरक्षित है। इधर नहीं आयेगा।

अशोधित/अप्रकाशन के लिए नहीं

श्री धनेन्द्र साहू :- 56 लाख परिवारों को पांच लाख रूपये तक एवं शेष राशनकार्डधारी परिवारों को पचास हजार रूपये तक उपचार की सुविधा आज उस योजना के तहत दी जा रही है और इसी तरह से "मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना" के तहत विभिन्न गंभीर बीमारियों में लगभग 20 लाख तक की सहायता राशि दिये जाने का प्रावधान किया गया है।

माननीय सभापति महोदय, आज इसी तरह से जो हाट बाजार योजना है, हमारे दूरस्थ इलाकों में मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना के तहत अभी तक लगभग 2 हजार, 343 हाट बाजारों में 17 हजार 150 शिविर आयोजित किये गए, जिसका लाभ 10 लाख 3 हजार मरीजों को मिला। इसी तरह "मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना" के अंतर्गत 3 हजार 318 शिविर आयोजित किए गए, जिसका लाभ 1 लाख 45 हजार से अधिक मरीजों को मिला।

माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री ने कुपोषित बच्चों और महिलाओं के लिए बहुत ही उदारतापूर्वक सोच का परिणाम है कि इसे प्राथमिकता से लेकर "मुख्यमंत्री सुपोषण योजना" प्रारंभ की है। इसी तरह से आंगनबाड़ी केन्द्र के कार्यकर्त्ता, सहायिका और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ताओं के लिए भी उनके मानदेय में 700 रूपये से बढ़ोत्तरी करके 1500 रूपये तक बढ़ाया है और 10 हजार आंगन बाड़ी केन्द्रों को नर्सरी स्कूल के रूप में विकसित करने की कार्यवाही शुरू की है।

माननीय सभापति महोदय, आज मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत भी सहायता राशि 15 हजार रूपये से बढ़ाकर 25 हजार रूपये तक किया गया है। (मेजों की थपथपाहट) ये विद्युत के क्षेत्र में 400 यूनिट तक बिजली के बिल को आधा किया गया है।

श्री सौरभ सिंह :- एक साल में कितनी कन्याओं को राशि मिली है? ये किसी को पैसा मिला ही नहीं है। केवल घोषणा ही है।

श्री धनेन्द्र साहू :- इसमें पैसा भी मिल रहा है और आयोजन भी हो रहे हैं। कल भी रायपुर में हुआ। आप जाकर देख नहीं पाये। 500 से अधिक जोड़ों की शादी कल हुई है।

श्री सौरभ सिंह :- पूरे वित्तीय वर्ष में एक और अंतिम।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- ते मोला बता कि तोला अउ जरूरत हे का ? पूरा खरचा के व्यवस्था हम मन करबो।

सभापति महोदय :- आप तो अपनी बात करिये।

श्री धनेन्द्र साहू :- माननीय सभापति महोदय, मैं अंतिम विषय कहना चाहूंगा। 15 सालों में इस प्रदेश को लूटने वाले गिरोह को सरकार के द्वारा प्रायोजित, जिसको हम लोग चिट फण्ड कंपनी के नाम से जानते हैं। जिस तरह से पिछली सरकार के द्वारा पूरा संरक्षण प्रदान किया गया और इन लोगों ने पूरे प्रदेश की गरीब जनता को लूटपाट किया और ये लोग देखते रहे। ये उनके कार्यालयों का फीता काटते रहे। मेरे विधान सभा क्षेत्र में चिट फण्ड कंपनियों ने सर्वाधिक लोगों को लूटा है केवल एक ऊपरवारा गांव

अप्रमाणित/प्रकाशन के लिए नहीं

में 17 करोड़ रूपये चिट फण्ड की राशि है। जिस तरह से इन लोगों ने प्रदेश की जनता को लूटने का खुला लाईसेंस दे दिया था, उस पर हमारी सरकार ने पूरी तरह से लगाम कसा है। आज चिट फण्ड कंपनी खोजे नहीं मिल रही है, उनके ऊपर अपराध कायम हो रहे हैं, उनकी संपत्तियों को डिग्री, कुर्की की जा रही है और उनकी राशि को भी वापसी करने की दिशा में सरकार गंभीरता से कार्यवाही प्रारंभ की है।

मानीनीय सभापति महोदय, आज इसी तरह से नक्सली घटनाओं में भी कमी आयी है। जिस तरह से आज यहां पर अपराध के ग्राफ में कमी आयी है ये तमाम् सारी घटनाएं हमारी सरकार की सफलता का प्रमाण है। मैं और अधिक कुछ नहीं कहूंगा। मैं यही कहूंगा कि आज हमारी सरकार के कामकाज से छत्तीसगढ़ की जनता, किसान, गरीब खुश है और उसका परिणाम है कि अभी हमारे शहरों में चुनाव हुए हैं। आपके सामने शहरों के चुनाव परिणाम है, जो हमारी ग्राम पंचायतों के चुनाव हुए हैं, आपके सामने में है। शहरी जनता ने भी पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया है। (मेजों की थपथपाहट) और 10 के 10 नगर निगमों में आपने हमारी कांग्रेस को 10 में 10 नंबर दिये हैं। आज नगर पालिका, नगर पंचायत में भी काफी बड़ी बहुमत के साथ हमारी शहर की सरकार बनी है। इसी तरह से ग्राम पंचायतों, जिला पंचायतों में भी 27 में से 20 जिला पंचायत कांग्रेस को हमारे यहां की जनता ने दिया है। आज 80 प्रतिशत से अधिक ग्राम पंचायतों में कांग्रेस को चुना है।

सभापति महोदय :- माननीय धनेन्द्र जी, कृपया समाप्त करेंगे।

श्री धनेन्द्र साहू :- माननीय सभापति महोदय, मैं समाप्त कर रहा हूँ। इसी तरह से सरकार के कामकाज के कारण आज छत्तीसगढ़ को देश के एक नये विश्वास के रूप में, इस प्रदेश को उदाहरण के तौर पर छत्तीसगढ़ प्रदेश के मॉडल की बात होने लगी है। पहली बार राज्य के गठन के बाद में ऐसा लगा है कि आज अपनी सार्थकता साबित हुई है। आज यहां के किसान, गरीब, मजदूर जनता खुशहाल हुई है। आज यह हम सबकी जिम्मेदारी है कि छत्तीसगढ़ का विकास इसी तरह से तेज गति के साथ में बढ़ता रहे। इसके लिए मैं माननीय राज्यपाल महोदया के प्रति पुन: अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए सभापति महोदय आपने मुझे बोलने के लिए समय, इसके लिए धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

सभापति महोदय :- माननीय राज्यपाल महोदया के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव में 17 माननीय सदस्यों के संशोधनों की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। संशोधन बहुत ही विस्तृत हैं, मैं, पूरे संशोधनों को नहीं पढ़ूंगा, केवल संशोधन प्रस्तुतकर्ता सदस्यों के नाम तथा संशोधनों की संख्या को ही पढ़ूंगा। जो माननीय सदस्य सदन में उपस्थित होंगे उनके ही संशोधन प्रस्तुत हुए माने जायेंगे :-

क्र.	सदस्य का नाम	संशोधनों की संख्या

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

01.	श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष	40
02.	श्री पुन्नूलाल मोहले	27
03.	श्री शिवरतन शर्मा	78
04.	श्री नारायण चंदेल	30
05.	डॉ. रेणु अजीत जोगी	08
06.	श्री धर्मजीत सिंह	10
07.	श्री सौरभ सिंह	87
08.	श्री रजनीश कुमार सिंह	58
09.	श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू	40
10.	श्रीमती इन्दु बंजारे	10

माननीय राज्यपाल महोदया के अभिभाषण पर श्री धनेन्द्र साहू सदस्य, द्वारा प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव और संशोधनों पर एक साथ चर्चा होगी। श्री शिवरतन शर्मा जी।

श्री शिवरतन शर्मा (भाटापारा) :- माननीय सभापति महोदय, माननीय राज्यपाल महोदया के अभिभाषण पर माननीय धनेन्द्र साहू जी ने जो कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, इसका मैं विरोध करता हूं। माननीय सभापति जी, सदन की मान्य परंपरा रही है कि विधानसभा नई गठित हो या बजट सत्र के दौरान राज्यपाल महोदया का अभिभाषण होता रहा है। पर इस सरकार ने सदन की मान्य परंपराओं को तोड़ा और एक महीने के अंदर दूसरी बार माननीय राज्यपाल महोदया का अभिभाषण इस सदन में कराया। 16 जनवरी को एक विषय में सदन आहूत था, उस पर माननीय राज्यपाल महोदया जी का अभिभाषण हुआ था और माननीय राज्यपाल महोदया का ये दूसरा अभिभाषण परंपरा के विपरीत हुआ है। माननीय सभापति जी, राज्यपाल का जो अभिभाषण होता है, एक प्रकार से सरकार के विजन को वह अभिभाषण प्रकट करता है। सरकार आने वाले साल में क्या काम करने वाली है, ये उस भाषण के माध्यम से प्रतिबिंबित होता है। पर दुर्भाग्यजनक स्थिति ये है कि ये अभिभाषण में कहीं कोई दम नहीं है, कहीं प्रदेश के विकास की कोई कल्पना नहीं है और न पिछले वर्ष इनने जो काम कराया, इसकी कोई उपलब्धि है जो उसका यह उल्लेख कर सकें।

माननीय सभापति जी, छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के पश्चात ये पांचवीं विधानसभा है और चौथी बार छत्तीसगढ़ विधानसभा का चुनाव हुआ है। इस विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को जो बहुमत मिला, बीते 4 चुनाव में वह बहुमत न भारतीय जनता पार्टी के पास था और जोगी जी पहली बार मुख्यमंत्री बने तो न जोगी जी के पास था। 90 में 68 विधायक कांग्रेस के चुनकर आये और बाद में एक उपचुनाव में जीतने के बाद इनकी संख्या 69 हो गई। पूरे प्रदेश में इतना बड़ा जनादेश अगर कांग्रेस पार्टी

अप्रकाशन/प्रकाशन के लिये नहीं

को मिला तो उस जनादेश के पीछे सबसे बडा कारण कांग्रेस का जन-घोषणा पत्र था। उस जन-घोषणा पत्र में जनता से इतने वायदे किये गये थे कि यह खाली यह लिखना भूल गये थे या छूट गया था कि हम चन्द्रमा को, सूर्य को पृथ्वी में ले आयेंगे, इसको लिखना छोड़ करके हम ये सब कुछ करने वाले हैं, ये लिख चुके थे। 14 माह का कार्यकाल पूर्ण हो चुका है और यह सरकार पंद्रहवें माह में प्रवेश कर चुकी है और आज यह विचार करने का समय आ गया है कि सरकार ने जो घोषणायें कीं उन घोषणाओं को पूरा करने की दिशा में सरकार क्या कर रही है ? माननीय सभापति महोदय, मैं अपनी बात की शुरूआत यहीं से करना चाहता हूं कि माननीय धनेंद्र साहू जी ने जो अपने भाषण की शुरूआत की उसमें उन्होंने एक बात कही कि देश के इतिहास की पहली सरकार जिसने किसान का संपूर्ण कर्जा माफ किया । माननीय धनेंद्र साहू जी बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं लेकिन वे कैसे इस बात को बोल गये मुझे बड़ा आश्चर्य होता है । रायपुर की प्रेस कांफ्रेंस में इनके राष्ट्रीय नेताओं ने, इनके सारे नेताओं ने गंगाजल उठाकर सौगंध खायी थी कि हम 10 दिनों के अंदर कर्जा माफ करेंगे और यदि 10 दिनों में कर्जा माफ नहीं कर सके तो हम अपना मुख्यमंत्री परिवर्तित कर देंगे ।

श्री बृहस्पत सिंह :- घोर आपत्ति है गंगाजल किसी ने नहीं लिया । (व्यवधान)

सभापति महोदय :- चलिये, उनको बोलने दीजिए । (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, 10 दिनों में संपूर्ण कर्जा माफ करने की बात करने वाले, माननीय सभापति महोदय मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि क्या किसान का मध्यमकालीन ऋण माफ हो गया, क्या किसान का दीर्घकालीन ऋण माफ हो गया?

श्री धनेंद्र साहू :- माननीय शिवरतन जी, आप 10 दिन की बात कर रहे हैं पहले ही दिन जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने शपथ ली उसी दिन कर्जा माफी की घोषणा कर दी । (मेजों की थपथपाहट) मंत्रिमण्डल की बैठक लेकर निर्णय लेकर घोषणा की । निर्णय लेना ही पर्याप्त होता है । (व्यवधान) साधारण प्रक्रिया में एक महीने में भी लग सकते हैं, दो महीने भी लग सकते हैं लेकिन कर्जा माफी का निर्णय लेना ही सरकार का एक दिन का वह निर्णय है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, माननीय धनेंद्र साहू जी जैसे वरिष्ठ व्यक्ति यह कहें कि किसान का संपूर्ण कर्जा माफ हो गया ।

श्री बृहस्पत सिंह :- संपूर्ण नहीं, कृषि लोन ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, मुझे तो ऐसा लगता है कि मंत्री बनने के लिये आपने इस सरकार के सामने अपनी जमीर को भी बेचने का काम कर दिया । आप इतनी प्रशंसा कर रहे हैं कि आपको मंत्री बना दें । मुझे आप बता दीजिये कि क्या मध्यमकालीन ऋण माफ हुआ ? (व्यवधान)

सभापति महोदय :- श्री शिवरतन जी, आपस में बात न करें । आप अपनी बात कहें । (व्यवधान)

श्री धनेंद्र साहू :- सारे कृषि ऋण माफ किये हैं । (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- एक झूठी घोषणा ।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय सभापति महोदय, शर्मा जी जानबूझकर ऐसा शब्द बोलते हैं ताकि हल्ला हो । (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- केवल कुछ का ऋण माफ किया गया है बाकी किसानों का कर्जा माफ नहीं किया गया है । मुझे देख के साथ कहना पड़ रहा है...(व्यवधान)

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- श्री शिवरतन शर्मा जी ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, आप मेरा समय मत काटियेगा क्योंकि इन लोग मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं ।

सभापति महोदय :- मैं जान रहा हूं कि आप पहले वक्ता हैं ।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय शिवरतन शर्मा जी आप इधर की बात तो कर रहे हैं लेकिन आपके ही एक मंत्री ने कहा था कि अगर एक पैसा भी यह सरकार माफ करे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा तो क्या आपने उसके बारे में उनसे कुछ बात की ?

सभापति महोदय :- चलिये, आप अपनी बात कहिये ।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय मंत्री जी, आप श्री अजय चंद्राकर जी को बोल रहे हैं न तो उनका कोई संवैधानिक दायित्व नहीं है लेकिन आप लोग जो बोलेंगे वह सरकार बोल रही है इसलिये सोच-समझकर बोलना चाहिए ।

श्री अमरजीत भगत :- हम लोगों ने तो माफ किया है ।

श्री धर्मजीत सिंह :- कहां माफ किया है ? कल ही मेरे प्रश्न के जवाब में आपने अभी 300 करोड़ रूपया कर्जा माफ नहीं किया है, कल आपने ही विधानसभा में जवाब दिया है ।

श्री अमरजीत भगत :- हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो पहली बैठक में ही पहला दस्तखत किसानों के लिये किया था और कर्ज माफी करके दिखाया ।

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री उमेश पटेल) :- भैया, आप बोल रहे हैं कि कर्ज माफी नहीं हुआ । आप किसी भी प्रदेश के किसी भी कार्यकाल के उदाहरण को रख दीजिये छत्तीसगढ़ से ज्यादा कर्ज माफी उसकी जनसंख्या के हिसाब से अगर हुआ होगा तो मैं मान जाउंगा ।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय सभापति महोदय, इतना ही नहीं मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करूंगा कि शर्मा जी आप गंगाजल लेकर कहिये कि कर्जा माफ नहीं हुआ । (व्यवधान)

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- कर्जा माफी नहीं हुआ है ।

श्री रामकुमार यादव :- बांधी जी, यदि 15 साल कुछ भी माफ किये होंगे तो उसको बता दीजिएगा । (व्यवधान)

असंपादित/प्रकाशन के लिये नहीं

सभापति महोदय :- श्री बृहस्पत सिंह जी, वे पहले वक्ता हैं उनको पहले अपनी बात कहने दीजिये फिर आपका भी नाम चर्चा में है तो आप उस समय अपनी बात कह लीजियेगा । (व्यवधान)

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय सभापति महोदय, उन्होंने गंगाजल की बात की इसलिये मैं कह रहा हूं । आप गंगाजल लेकर कसम खाकर बताईये कि किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ ।

सभापति महोदय :- श्री बृहस्पत सिंह जी आप उनको बोलने दीजिये, शर्मा जी आप बोलिये । (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- अच्छा आप यह बताओ कि क्या नाली का पानी उठाकर शपथ लिये थे ? (व्यवधान)

श्री अमरजीत भगत :- अच्छा आपका कर्जा माफी हुआ कि नहीं आप ईमानदारी से बोलिए । (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, यह कांग्रेस का जनघोषणा पत्र है और इस जनघोषणा पत्र में यह लिखा गया है कि छत्तीसगढ़ में भी सरकार बनने के 10 दिनों के भीतर किसानों का पूरा कर्जा माफ किया जाएगा ।

श्री रविन्द्र चौबे :- सभापति जी, हमको बहुत अच्छा लगा कि हमारे घोषणा पत्र को शिवरतन जी सम्मान से पढ़ रहे हैं । क्या कभी आपने अपने घोषणा पत्र को भी पलटाया ? आपने 270 रूपए के बारे में कहा था, आपने 300 रूपए के बारे में कहा था, आपने 2100 रूपए के लिए कहा था और आपने हर बार किसानों को धोखा दिया है । अपने घोषणा पत्र को भी एक बार पढ़ लीजिए (मेजो की थपथपाहट)

सभापति महोदय :- शिवरतन जी आप अपनी बात कहिए ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी को इतना तो ध्यान होगा कि हम अपने घोषणा पत्र को फॉलो करते रहे, पूरा करते रहे, इसलिए 15 साल इस प्रदेश में शासन चलाया । डॉ. रमन सिंह इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे ।

श्री बृहस्पत सिंह :- इसीलिए 15 सीट पर सिमट गए ।

श्री शिवरतन शर्मा :- सभापति महोदय, इनके जन घोषणा पत्र में एक बड़ी बात थी कि हम किसान को धान की कीमत 2500 रूपए प्रति क्विंटल देंगे । किसान का दाना-दाना धान खरीदेंगे लेकिन यदि आज पूरे प्रदेश में कोई व्यक्ति सबसे ज्यादा पीड़ित है तो वह छत्तीसगढ़ का किसान है ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- कोई किसान प्रताड़ित नहीं है, आप लोग तो कम करके 10 क्विंटल कर दिया था, हम तो 15 क्विंटल ले रहे हैं ।

सभापति महोदय :- वे अभी अपनी बात कह रहे हैं ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री शिवरतन शर्मा :- कवर्धा और बोड़ला में भरी बरसात में 135 घंटे से किसान वहां धरना देकर, चक्का जाम करके बैठे हैं । टोकन काटने के बाद किसान का धान नहीं खरीदा गया है, यह इस सरकार की धान खरीदी की परिणिति है । सभापति महोदय, किसान को कैसे ठगा गया है । सबसे पहले इन्होंने ठगने का क्या काम किया । इन्होंने कहा कि मेढ़ काटकर किसानों का बोवाई का रकबा कम कर दो। 15 साल तक डॉ. रमन के राज में धान खरीदी हुई लेकिन कभी खेती का रकबा कम नहीं हुआ ।

श्री अमरजीत भगत :- आंदोलनकारियों का खाना डॉ. रमन सिंह के घर बन रहा है, आपको मालूम है ? वे खाना बनाते-बनाते परेशान हो गए हैं ।

श्री बृहस्पत सिंह :- उसका नेतृत्व जिला भाजपा के अध्यक्ष कर रहे थे ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- और यह भी सुना जा रहा है कि रोजी भी दे रहे हैं।

सभापति महोदय :- शिवरतन जी आप अपनी बात कहिए ।

श्री शिवरतन शर्मा :- सभापति जी, किसान को सबसे पहले क्या धोखा दिया गया । मेढ़पार के नाम पर किसान का रकबा कम कर दिया गया । औसतन हर किसान का 10 से 15 प्रतिशत रकबा कम किया गया । डॉ. रमन सिंह की सरकार ने 15 सालों तक धान खरीदी की लेकिन कभी किसान का रकबा नहीं काटा गया । मेढ़ और पार को हमेशा किसान की खेती में जोड़ा जाता है । इस सरकार ने उसके रकबा को कम करने का काम किया । दूसरा ठगने का काम यह किया कि छत्तीसगढ़ में एक समय था जब लोग लेट वेरायटी का धान बोते थे, दुबराज, सफरी वगैरह बोया करते थे । जब से डॉ. रमन सिंह की सरकार ने धान खरीदी की, आज जयादातर किसान लेट वेरायटी का धान बोना बंद कर चुके हैं । धान खरीदी एक महीने लेट हुई, एक नवम्बर को जो धान खरीदी शुरू होनी थी, वह धान खरीदी 1 दिसम्बर को शुरू हुई हे । पहले यह स्थिति थी कि किसान धान काटता था, हार्वेस्टर से धान लुवाता था, वही धान को उठाकर बेचने के लिए सोसायटी ले जाता था ।

श्री बृहस्पत सिंह :- क्यों लेट हुआ यह आपको भी मालूम है, केन्द्र सरकार ने रोक लगाई थी ।

सभापति महोदय :- बृहस्पत जी, उनको बोलने दीजिए ।

श्री शिवरतन शर्मा :- सभापति जी, टोकन के नाम पर आज भी कवर्धा में जो लोग बैठे हैं, उनमें हजारों की संख्या में ऐसे किसान हैं जिनका टोकन कट चुका है और उसके बाद उनका धान नहीं खरीदा जा रहा है । धान खरीदी के दौरान सहकारी समितियों को इस सरकार के द्वारा एक नया आदेश भेजा गया । जो किसान साढ़े सैंतीस क्विंटल से ज्यादा धान बेचेगा, उसका बीपीएल का राशन काट दिया जाएगा, सोसायटियों को ऐसा आदेश भेजकर किसानों को ठगने का काम किया है ।

श्री बृहस्पत सिंह :- गलत जानकारी है, गलत जानकारी है । छत्तीसगढ़ के सभी लोगों को राशन कार्ड देने का तय किया है । कोरा झूठ भी ना बोलें ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री शिवरतन शर्मा :- सभापति जी, आज पूरे प्रदेश के सभी समाचार पत्रों में फ्रंट पेज में सरकार का बड़ा विज्ञापन छपा है और उसमें यह कहा गया है कि 19 लाख, 55 हजार, 126 किसानों ने पंजीयन कराया और हमने 18 लाख 20 हजार 914 किसानों का धान खरीदा । सभापति जी, आप स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि 1 लाख, 34 हजार, 112 किसानों का धान आपने नहीं खरीदा । यह आपके विज्ञापन से ही स्पष्ट हो रहा है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- सभापति जी, 42 लाख रूपए विज्ञापन में ही खर्च किया है । जितना टोकन जारी किया है, अगर उनका धान खरीद लेते तो इतना पैसा नहीं लगता ।

श्री उमेश पटेल :- शिवरतन भईया, पहले कौन-कौन सा त्यौहार मनाते थे, बोनस तिहार, चप्पल तिहार ।

श्री शिवरतन शर्मा :- सबे तिहार के मैं बतावत हौं ना गा ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अइसे हे तो विधान सभा के सब समाचार पेपर में छपथे। विज्ञापन छापे के जरूरत नहीं हे। जब सरकार असफल होगेहे तो अपन प्रचार करेबर विज्ञापन छपाथे । अउ 42 लाख रूपया विज्ञापन में खर्च कर दे हो पर टोकन के धान खरीदे जाही एकर घोषणा नहीं करथव। ओला करव न यहां पर।

श्री बृहस्पत सिंह :- बड़े-बड़े बोनस तिहार के विज्ञापन ला कोन छपात रहिसे।

श्री शिवरतन शर्मा :- सभापति जी..।

सभापति महोदय :- जी, आप कहिए।

श्री शिवरतन शर्मा :- जिन 18 लाख किसानों का धान खरीदा गया, उन 18 लाख किसानों के साथ भी सरकार ने धोखा किया है। उसमें बड़ी संख्या में ऐसे किसान हैं, जिन किसानों का जितना पंजीयन था। जितने धान बेचने की पात्रता थी, उसमें बड़ी संख्या में आधे किसानों का धान ही खरीदा गया है। तीन टोकन, चार टोकन के नाम पर कहीं न कहीं किसानों को धान लेने से व धान बेचने से वंचित किया गया। सभापति जी, केशकाल में लाठी चार्ज हुआ। महिलाओं में लाठी चार्ज हुआ। कांग्रेस के विधायक आदरणीय संतराम जी हैं। मैं जब वहां के किसानों से बात कर रहा था तो वहां के किसान बता रहे थे। संतराम जी सही बताएंगे कि हमारे विधायक ने भी पहल की कि कलेक्टर साहब आ जाये। कलेक्टर साहब बात करके कोई बीच का रास्ता निकाल लें, पर कौन कलेक्टर हैं, मैं नहीं जानता। विधायक के बात करने के बाद भी वह किसानों से बात करने को तैयार नहीं हुआ और किसानों को चक्का जाम करना पड़ा। किसानों के खिलाफ लाठी चार्ज हुआ और सरकार ने आपराधिक प्रकरण बनाया। सभापति जी, मैं तो आपके माध्यम से केवल इन मंत्रियों को बता देना चाहता हूं कि माननीय जोगी जी के पीरियड में भी जब वे मुख्यमंत्री थे तो बहिगांव वह स्थान है, जहां किसानों के ऊपर सबसे पहले लाठी चार्ज हुआ था और उसकी जांच समिति में मैं और धरमलाल कौशिक जी गये थे और वहीं किसानों के

Uncorrected and unedited/Not for Publication Wednesday, February 26, 2020

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

आंदोलन का स्थान बना था। उसी स्थान से फिर लाठी चार्ज करके आपने छत्तीसगढ़ के किसानों को छेड़ा है। (शेम-शेम की आवाज) छत्तीसगढ़ के किसान आपको इसका सबक सिखांएंगे। माननीय सभापति जी, धान खरीदी के लिए 1 दिसंबर से 20 फरवरी तक कुल 42 दिन का समय था। इस 42 दिन के समय में 23 दिन छुट्टी में निकल गये। 15 से 16 दिन मौसम के खराब होने के कारण टोकन कटने के बाद भी किसान का धान नहीं खरीदा गया। कुल 19 लाख 55 हजार किसानों को धान बेचने के लिए जो समय मिला, वह समय मुश्किल से 40 से 45 दिन था। उस 40 से 45 दिन में भी किस प्रकार हम किसान का धान खरीदने के लिए बचे, इसका प्रयास यह सरकार करती रही और उसका परिणाम है कि आज पूरे प्रदेश के किसान आंदोलित हैं। पूरे प्रदेश के किसान दुखी हैं। मैं तो केवल दो लाइन की एक कविता बोलता हूं। " खेल सियासत का जारी है, कदम-कदम पर मन भारी है। फटेहाल घूम रहा है, जिसमें थोड़ी खुद्दारी है।" यह छत्तीसगढ़ के किसान की स्थिति है। माननीय धनेन्द्र साहू जी राज्यपाल महोदया के अभिभाषण का 1-1 अंश पढ़ रहे थे। इस सरकार ने अपनी उपलब्धि में एक बात कही है। छत्तीसगढ़ पंचायत अधिनियम, 1993 में संशोधन करके उम्मीदवारों की न्यूनतम योग्यता में कक्षा का मापदण्ड हटाकर साक्षर कर दिया गया है। यह इस सरकार की उपलब्धि है। देश को आजाद हुए 72 साल हो गये और पिछली सरकार ने नियम बनाया कि सरपंच के लिए कम से कम minimum qualification होना चाहिए। 10 साल पहले यह नियम बना था। इस सरकार को कुछ बोलना चाहिए था और आगे बढ़कर कुछ कदम उठाना चाहिए था कि दो-चार आगे की क्लास की उसमें और कुछ शर्त जोड़े ताकि पढ़े-लिखे जनप्रतिनिधि चुनकर आ सकें। सरकार अपनी उपलब्धि बता रही है कि उसे साक्षर बना दें। साक्षर को सरपंच बनने का अधिकार दे दिया।

श्री बृहस्पत सिंह :- शर्मा जी, आपको अनपढ़ जनप्रतिनिधि दिख रहे हैं क्या?

श्री शिवरतन शर्मा :- आप यह चाहते हैं कि अनपढ़ जनप्रतिनिधि चुनकर आयें। इसीलिए आपने संशोधन किया है।

श्री बृहस्पत सिंह :- क्या लोकतंत्र की हत्या करके आप निर्वाचित लोगों को अपमानित करना चाहते हैं क्या?

सभापति महोदय :- बृहस्पत सिंह जी इन्हें बोलने दीजिए।

श्री बृहस्पत सिंह :- यह बहुत गंभीर बात है। अनपढ़ बोलना गंभीर बात हैं या नहीं?

श्री शिवरतन शर्मा :- मैंने कहां अनपढ़ कहा?

श्री बृहस्पत सिंह :- आपने यही कहा न कि आप अनपढ़ लोगों को लाना चाहते हैं।

श्री रामकुमार यादव :- बाबा साहब के संविधान के अनुसार जो पढ़ा-लिखा नहीं है, वह भी आ सकता है।

अप्रमाणित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय धनेन्द्र साहू जी ने कहा कि हमें नगर-पालिकाओं में सफलता मिली। मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं कि नगर-पालिका में कैसे सफलता मिली? पूरे प्रदेश को एक मंडी के रूप में परिवर्तित कर दिया गया? है। नगर पालिका का अध्यक्ष और नगर निगम का महापौर जनता के द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के द्वारा चुना जाता था। आपने संशोधन किया और प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली को हटाकर अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली से चुनाव कराया। उसका दुष्परिणाम क्या हुआ ? चुनाव हुआ उस दिन से अपने पार्षदों को लेकर घूमते रहे। पार्षदों को बोलियां लगती रहीं। कई जगह झगड़े-झंझट हुए कि हमसे पैसा लिया और पैसा लेने के बाद वोट नहीं दिया। मंत्रियों के बंगले पर पार्षदों को बैठाकर चमकाया-धमकाया गया कि हमने सारी व्यवस्था कर ली है। कौन किसको वोट देगा, अगर हमको वोट नहीं दोगे तो हमको पता चल जायेगा।

श्री बृहस्पत सिंह:- मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का चुनाव प्रत्यक्ष करते हैं या अप्रत्यक्ष करते हैं ?

सभापति महोदय :- कृपया वक्ता को अपनी बात कह लेने दीजिये।

श्री बृहस्पत सिंह :- मुझे सिर्फ एक चीज बता दें कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से करते हैं या अप्रत्यक्ष रूप से करते हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- इस प्रकार से सारी लोकतान्त्रिक प्रक्रियाओं को तोड़ने का काम इस सरकार ने किया है। अगर प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली से चुनाव होते तो 70 से 75 प्रतिशत स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चुनकर आते। यहां गर्व से बोलते हैं, ये गर्व से बोलते हैं कि हमारा 10 नगर निगमों में कब्जा हो गया। आपका बहुमत कितने नगर निगमों में आया था, यह तो बता दो ? आपका बहुमत सिर्फ 3 नगर निगम में आया था। 6 नगर निगम में कांग्रेस के पार्षदों की तुलना में बी.जे.पी. पार्षदों की संख्या ज्यादा थी। परन्तु खरीद-फरोख्त हुई। प्रशासन का दबाव बना, उन्हें ट्रांसफर पोस्टिंग की धमकी दी गई। इस तरह से इन्होंने नगरीय निकाय में कब्जा किया है। इस सरकार ने लोकतान्त्रिक प्रक्रियाओं को तोड़ने का काम किया है।

श्री अमरजीत भगत :- शिवरतन जी, आप क्या कहना चाहते हैं कि आपके पार्षद बिके। (हंसी) आपने इतना बड़ा आरोप लगाया। आपने जिनको मेन्डेट दिया, उन उन प्रतिनिधियों पर आरोप लगा रहे हैं।

श्री बृहस्पत सिंह :- निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को बिकने जैसा शब्द बोलकर अपमानित कर रहे हैं क्या ?

श्री रामकुमार यादव :- इनके भाटापारा में भी 2 लोग इनको छोड़कर भाग गये।

एक माननीय सदस्य :- भाटापारा हार गये, इसकी बौखलाहट है।

सभापति महोदय :- माननीय शिवरतन जी, भारतीय जनता पार्टी के लिए एक घंटे का समय निर्धारित है। आप पहले वक्ता हैं और लगभग 20 मिनट ले चुके हैं। और कितना समय लेंगे ?

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, 20 मिनट में मैं सिर्फ 5 मिनट बोला हूं, 15 मिनट तो ये लोग बोलते रहे हैं। (हंसी)

सभापति महोदय :- आप अभी और कितना समय लेंगे ?

श्री शिवरतन शर्मा :- 20 से 25 मिनट।

सभापति महोदय :- माननीय शिवरतन जी, क्योंकि कुल निर्धारित समय भारतीय जनता पार्टी के लिए 1 घंटा है। नेता प्रतिपक्ष जी की भी बात आनी है, आज भी आयेगी और कल भी आयेगी। कृपया उसको संक्षेप करने की कोशिश करेंगे।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरम लाल कौशिक) :- सभापति महोदय, वैसे भी वक्ता कम हो गए हैं। इनको बोलने दीजिये।

सभापति महोदय :- एक्चुअली पहले 8 लोगों का नाम दिया गया था, इसलिए मैंने कहा।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति जी, इस सरकार ने एक नारा दिया है। "नरवा, गरवा, घुरवा, बारी, छत्तीसगढ़ के चार चिन्हारी"। साथ में माननीय राज्यपाल महोदया के अभिभाषण में यह जोड़ दिया गया कि 4 हजार गौठान का निर्माण किया गया। मैंने पिछले सत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी को चुनौती दी थी कि आपने जितने गौठान बनाये हैं, यहीं लाट निकालो, लाट निकालकर के पूरे सदन के सदस्यों को दिखाने ले चलो कि उन गौठाने की क्या हालत है ? इनके गौठानों में मवेशी मर रहे हैं। इनके गौठानों में चारे की कोई व्यवस्था नहीं है।

श्री बृहस्पत सिंह :- वे तो रतनजोत खाकर मरे हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- इनके गौठानों में रखने की कोई व्यवस्था नहीं है। माननीय सभापति जी, गौठान के नाम पर केन्द्र सरकार ने मनरेगा में जो पैसा दिया, पंचायतों में जो 14वें वित्त का पैसा आ रहा है, उस पैसे का दुरूपयोग कर रहे हैं। अगर आज पूरे प्रदेश में दुर्घटना हो रही है तो उस दुर्घटना का सबसे बड़ा कारण लावारिस जानवर है। इनके जनघोषणा-पत्र में बात थी कि हम लावारिस जानवरों के लिए व्यवस्था करेंगे। इन 14 महीनों में कितने लावारिस जानवरों के लिए व्यवस्था की है ? 4 हजार गौठान निर्माण की बात करते हैं। ये गौठान कितने सफल हैं ? लाट निकालकर के जरा सदस्यों को दिखा दें। खाली पूरी तरह से अपव्यय किया जा रहा है।

श्री अमरजीत भगत :- शिवरतन जी, आपकी पार्टी गौ माता-गौ माता करके खाली वोट लेने का काम करती है और यहां पर गौठान बनाकर गौ सेवा के काम को बढ़ाया जा रहा है तो आपको इस बात से तकलीफ क्या है ?

श्री शिवरतन शर्मा :- कितनी गौ सेवा कर रहे हैं, कितनी गौ भक्ति है, आपके बारे में भी जानते हैं और आपके नेताओं ने भी गौ भक्तों के ऊपर क्या किया है, यह बोलूंगा तो विवाद का विषय रहेगा। आप लोग गौ भक्तों का श्राप ही झेल रहे हो।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री अमरजीत भगत :- आप लोग गौ सेवा चलाते थे तो गौ शाला में दो-दो हजार गाय मर जाती थीं, मालूम है आपको ?

श्री शिवरतन शर्मा :- इनके जनघोषणा-पत्र में बात हुई कि..।

श्री सौरभ सिंह :- जांजगीर में आपके गौठान में कितनी सारी गायें मरी हैं ?

डॉ.(श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव :- आप लोगों को उसी का श्राप मिल रहा है।

श्री सौरभ सिंह :- आपके गौठान में जांजगीर में कितनी सारी गायें मरी हैं और क्या कार्रवाई हुई ?

सभापति महोदय :- चलिये, आप अपनी बात कहिये।

समय :
4:00 बजे

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति जी, इनके जन घोषणा-पत्र में यह बात थी कि प्रत्येक परिवार को 35 किलो चांवल देंगे और आज इनके राज्यपाल के अभिभाषण में है कि हम बी.पी.एल. और अंत्योदय परिवार को 35 किलो चांवल एक रूपए के भाव से देंगे और जन घोषणा-पत्र में छत्तीसगढ़ के प्रत्येक परिवार को एक रूपए किलो में चावल देने की बात थी । छत्तीसगढ़ में 65 से 70 लाख परिवार हैं। अगर जनता के बीच में आपने कमिटमेंट किया है तो उस कमिटमेंट को पूरा करो । नहीं तो जनता सबक सीखना जानती है । सभापति महोदय, यह मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं।

माननीय सभापति जी, प्रत्येक ब्लॉक में फूड पार्क स्थापित करेंगे । आपने 14 महीने में कितने फूड पार्क स्थापित किए । आपने एक प्रसंस्करण केन्द्र कोण्डागांव के कोकड़ी का उल्लेख किया है । कुल 146 बलॉक हैं और अगर एक साल में एक प्रसंस्करण केन्द्र बनाओगे तो 146 साल में 146 फूड पार्क बनेंगे । जो नहीं कर सकते, उसको लिखने की क्या जरूरत थी और आपने एक किया है, उसको उपलब्धि बता रहे हो । शर्म आनी चाहिए, शर्म । जब पूरे ब्लॉक में बनाने वाले हो तो एक का उल्लेख कर रहे हो, पर क्या करें ।

श्री अमरजीत भगत :- सभापति महोदय, हमारा कार्यकाल पूरा होते तय पूरा हो जाएगा । आप चिन्ता मत करिए । आपने तो इतने साल में एक भी केन्द्र नहीं बना पाए ।

श्री शिवरतन शर्मा :- सभापति महोदय, पांच वर्ष में सिंचाई को डबल करेंगे । अगर सिंचाई को डबल करने के लिए बजट कहां से आएगा, यह तो बता दें ।

श्री बृहस्पत सिंह :- सभापति महोदय, शर्म शब्द को विलोपित किया जाए ।

सभापति महोदय :- उनको बोलने दीजिए ।

श्री बृहस्पत सिंह :- आप दिखवा लीजिए, शर्म शब्द को विलोपित किया जाए।

सभापति महोदय :- हम दिखवा लेंगे ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री शिवरतन शर्मा :- छत्तीसगढ़ की आजादी के बाद में आपने 55 साल राज किया और यहां छत्तीसगढ़ में जो सिंचाई योजना बढ़ी है, वह बीते 15 साल डॉ. रमन सिंह जी के राज में, बृजमोहन जी के और हेमचंद जी के जल संसाधन मंत्री रहते हुए बढ़ी है । आप डबल करने की बात कर रहे हैं, एक साल में कितना बढ़ा है, यह बता दो। अगर डबल करने वाले हो तो उसके लिए बजट में कहां से व्यवस्था करने वाले हो, जरा ये बता दो ।

श्री रामकुमार यादव :- जतका नहर के पानी ला कम्पनी ला देवत रेहेव, वहू ला बता ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति जी, इन्होंने एक बड़ी बात कही कि दो साल जो शिक्षा कर्मी पूर्ण कर लिया, उसको नियमित करेंगे । सारे संविदा कर्मचारियों को नियमित करेंगे, दैनिक वेतन भोगियों को नियमित करेंगे । आपकी सरकार को बने 14 महीने की अवधि बीत गई, कितने कर्मचारियों को नियमित किये हो, बता दो।

श्री बृहस्पत सिंह :- आप लोग 15 साल में पूरा नहीं कर पाए, अभी तो हम लोगों को एक साल हुआ है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- शिक्षाकर्मियों को दो साल हो गये, कितने लोगों को आपने नियमित किया, जरा ये बता दो । कितने दैनिक वेतन भोगियों को, कितने संविदा कर्मियों को आपने नियमित किया है, आप यह बता दो तो हम भी कुछ सीखें।

सभापति महोदय :- शिवरतन जी, संक्षेप कर लीजिएगा ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- वह पूरा पढ़ेगा न, रामायण पोथी लेकर आया है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- सभापति महोदय, जिसको कुछ समझ नहीं आता न, वह पढ़ेगा, ये करेगा । भगवान कुछ बुद्धि दे तो ।

सभापति महोदय :- आप जल्दी समाप्त करिए ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति जी, ओकर हमन राऊत अब नाऊ दूनों बंद कर दे हन ।

श्री शिवरतन शर्मा :- सभापति महोदय, एक बड़ी घोषणा इनके जन घोषणा पत्र में थी कि हम प्रदेश में पूर्ण शराब बंदी लागू करेंगे । अभी राज्यपाल महोदया का जो अभिभाषण हुआ है, उस अभिभाषण में इन्होंने कहा है कि हमने 49 बीयर बार बंद कर दिए और कितने नई बीयर फैक्ट्री खोलने का लायसेंस दिए हो, जरा प्रदेशवासियों को यह भी बता दो । बीयर बार बंद कर रहे हो और बीयर की फैक्ट्री खोलने का परमिशन दे रहे हो, लायसेंस जारी कर रहे हो । पूरे प्रदेश में शराब के नाम पर लूट मची हुई है और मैं चुनौतीपूर्वक बोलता हूं कि इस सरकार में 300 करोड़ रूपए महीने का भ्रष्टाचार शराब के क्षेत्र में किया है । (शेम-शेम की आवाज) आप किसी भी शराब दुकान में चले जाईए, कोई भी व्यक्ति

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

चला जाए, जो एम.आर. पी. है, उस एम.आर.पी. से 15 रूपए और 20 रूपए ज्यादा में क्वाटर बिक रही है ।

श्री बृहस्पत सिंह :- शर्मा जी, आप कभी पीते हैं क्या, आप कभी लेत हैं क्या, जो आपने ऐसा पाया ।

श्री सौरभ सिंह :- लोगों को पिलाते हैं इसलिए पता है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- सभापति जी, शराब का परमिट जारी होता है, शराब में 45 प्रतिशत एक्साईज़ ड्यूटी है । एक ही परमिट में दो बार और तीन बार शराब की दुकान में शराब पहुंच रही है । इनकी जो शराब की दुकान है, उस शराब की दुकान में दो केश बाक्स रखे जा रहे हैं । एक केश बाक्स अलग रखा जाता है, जिसमें दो नम्बर का पैसा रखा जाता है और एक केश बाक्स वह रखा जाता है, जिसमें हिसाब करके रोज शाम को पैसा देते हैं । वह पैसा कहां जा रहा है । सभापति जी, डॉ. रमन सिंह ने शराब नीति में परिवर्तित किया और शराब व्यवसाय के ठेकेदारी को समाप्त कर दिया ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति जी, इस सरकार को अपना एक निर्णय वापस लेना चाहिए कि हर बोतल में 5 रूपए लेकर वे शिक्षा में खर्च करेंगे । कम से कम शराब के पैसे से तो शिक्षा देने का काम बंद करे, इससे लज्जाजनक स्थिति दूसरी नहीं हो सकती । ये केबिनेट का निर्णय है कि हर बोतल के पीछे 5 रूपए लेकर शिक्षा में खर्च करेंगे । कम से कम ऐसी कमाई तो शिक्षा में खर्च न करें। इसको वापस लें, इससे पूरे देश में गलत संदेश जा रहा है । इस संबंध में आसंदी से निदेश जारी करें ।

सभापति महोदय :- मंत्री लोग हैं, सब बातों को नोट किया जा रहा है। माननीय शिवरतन शर्मा जी, एक मिनट में बात समाप्त करिये । लगभग आधे घण्टे हो चुके हैं ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति जी, जब डॉ.रमन सिंह जी ने शराब नीति में परिवर्तन किया, परिवर्तन में उन्होंने यह कहा कि शराब के व्यवसाय में हम ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करेंगे । ठेकेदारी प्रथा के चलते गांव-गांव में कोचिये पैदा होते हैं और सरकार दुकान चलायेगी । माननीय भूपेश बघेल जी, इधर बैठते थे, जहां हमारे भाई धर्मजीत जी बैठते हैं । इनका एक भाषण हुआ था, रिकार्ड में है । भाषण में माननीय भूपेश बघेल जी ने कहा था, अगर हम लोग ठेकेदारों से शराब दिलवाते हैं तो ठेकेदार लोग 35 परशेंट का रिबेट देते हैं और यह रिबेट का पैसा कहां जायेगा ? इसका स्पष्टीकरण सरकार के द्वारा डॉ.साहब के द्वारा दिया जाना चाहिये । मैं आज आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि 14 महीने की सरकार हो गयी । यह 35 परशेंट के रिबेट का पैसा कहां जा रहा है, जरा स्पष्ट कर दें ?

श्री वृहस्पत सिंह :- 15 साल वाला हिसाब भी बता दो ना ? 15 साल में आपने जो 35 परशेंट दिया है, उसका हिसाब बता दो ?

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय मंत्री कवासी लखमा जी नहीं है । 35 परशेंट रिबेट का पैसा कहां जा रहा है ?

सभापति महोदय :-माननीय शिवतरन शर्मा जी, अब आप एक मिनट में बात समाप्त करें ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति जी, हमारे दल का पूरा समय उनके पास में है, यह तो एक प्रक्रिया है कि तीन घण्टे के समय में एक घण्टे का समय हमको दिया गया है । परन्तु यह चर्चा कल तक चलने वाली है । इसलिए माननीय सदस्य को जितना बोलना चाहें, उन्हें बोलने का अवसर दिया जाये, हमारे दल की तरफ से पूरा समय उनको दें ।

सभापति महोदय :- फिर भी संक्षेप में इसे जल्दी समाप्त करें ।

श्री अमरजीत भगत :- शिवरतन जी, शिवरतन जी । शिवरतन जी, सुनेंगे ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति जी, जरा स्पष्ट कर दें कि जो ओव्हर वैट के शराब का पैसा है, जो रिबेट का पैसा है, जो एक परमिट में दो बार-तीन बार शराब भेजी जा रही है, जो एक्साईज ड्यूटी की चोरी हो रही है, वह पैसा किसके पास जा रहा है ? माननीय सभापति जी, अभी यहां पर एक नया टैक्स शुरू हो गया है ।

श्री अमरजीत भगत :- आदरणीय सुनेंगे । सुनिये तो ? नहीं सुनने का कसम खाये हैं क्या ? यह शराब दुकान है, उसका शासकीयकरण आपकी ही सरकार ने किया था, इसमें आपको तकलीफ क्यों हो रही है ?

श्री बृहस्पत सिंह :- 35 परशेंट वाला भी आप ही तय किये हैं ।

श्री शिवरतन शर्मा :- ऐसा कहा जा रहा है तो यह बता दें माननीय सभापति महोदय, मैं यह आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि सीमेंट के रेट बढ़े हैं । छत्तीसगढ़ में सीमेंट प्लाण्टों की भरमार है और मैं तो उस जिले से आता हूँ, जो पूरे देश में सर्वाधिक सीमेंट का उत्पादन करने वाला जिला है । सरकार बनने के बाद सीमेंट के रेट में वृद्धि हुई । सीमेंट के रेट में जो वृद्धि हुई, उसके पीछे कारण क्या है ? हमारी सरकार के पीरियड में सीमेंट का रेट बढ़ा था । ऐसे लोगों को, कारखाना वालों को टाईट किया गया । उन्होंने सीमेंट के दरों में कमी की । आज सीमेंट के दर बढ़ रहे हैं । इसको रोकने के लिए आप क्या कर रहे हैं ? आपने किस आधार पर रेट को बढ़ाने का परमिशन दिया ? जरा स्पष्ट कीजिए या इसमें भी कोई गोलमाल है कि उसमें भी कोई टैक्स लगता है ? माननीय सभापति जी, नये टैक्स की चर्चा शुरू हुई है ।

श्री अमरजीत भगत :- गुजरात में सीमेंट 300 रूपये बोरी बिक रहा है, आपको मालूम है ?

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय आपके विभाग में आ रहा हूँ । आजकल एक नये टैक्स की चर्चा शुरू हुई है । उस टैक्स का नाम है आर.जी.टी. । अब नाम पूरा बताऊंगा तो कहेंगे कि सदन का सदस्य नहीं है, नाम क्यों ले रहे हैं ? व्यापारी वर्ग का भी जो नाम चल रहा है, वह आर.जी.टी. का है । नॉन

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

घोटाले की बात करते हैं, आज अगर कस्टम मिलिंग कोई कर रहा है तो राईस मिलर से 8 रूपये प्रति क्विंटल की वसूली हो रही है । आर.जी.टी. । यह टैक्स है । अगर आपको नया परमिशन लेना है, अमरजीत जी को नहीं मिल रहा है ।

श्री अमरजीत भगत :- शिवरतन जी, बिना आधार के आप बात मत करो । एक भी नाम बता दो ?

श्री शिवरतन शर्मा :- आपके विभाग में आपकी चल ही नहीं रही है । अमरजीत भगत जी की विभाग में चल नहीं रही है । दूसरा व्यक्ति संचालित कर रहा है । यह बेचारे दूर से सुन रहे हैं । इनको कुछ नहीं मिल रहा है, मैं भी इस बात को स्वीकार करता हूँ । 8 रूपये प्रति क्विंटल जो आर.जी.टी. लग रहा है....।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अमरजीत जी पूछ रहे हैं आर.जी.टी. कौन है, आप तो बताओ ? नाम पूछ रहे हैं ।

श्री शिवरतन शर्मा :- आप बैठ जाना, अलग से बता दूंगा । नहीं तो अभी आप नाम विलोपित करवा दोगे ।

श्री धर्मजीत सिंह :- अभी सब जान रहे हैं अमरजीत जी, क्योंकि माल जहां आप बोल रहे हैं वहां पहुंच रहा है इनके पास थोड़ी पहुंच रहा है। अमरजीत जी, एक बात और बता देता हूं कि खाद्य मंत्री बहुत संवेदनशील पद होता है। मैं तो चौथी बार पहुंचा हूं, तीन बार देख चुका हूं, वहाँ जो-जो भी खाद्यमंत्री बैठकर बोले ना वे या तो निपट गए या इस तरफ आ गये।आप थोड़ा समझ लीजिए, खाद्य मंत्री बहुत खतरनाक पद है।

श्री शिवरतन शर्मा :- ये इस तरफ मेरे बाजू में बैठे हैं।

सभापति महोदय :- धर्मजीत सिंह जी, आपके अनुभव का लाभ सब लोग उठायेंगे। आप जल्दी अपनी बात समाप्त करें।

श्री अमरजीत भगत :- खाद्य विभाग का काम है सबको चखना उपलब्ध कराना, चना-गुड़ उपलब्ध कराना। कहीं अलग जरूरत है तो आप बताईयेगा।

श्री शिवरतन शर्मा :- सभापति महोदय, मैं तो आपके माध्यम से माननीय खाद्य मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि अगर आपके विभाग में आपकी चल रही हो, आपके अधिकारी आपकी सुन रहे हों तो इस आर.जी.टी. को बंद करा दो, क्योंकि आपको कुछ नहीं मिल रहा है यह मेरी जानकारी में है। कहां जा रहा है यह भी मैं जानता हूं।

माननीय सभापति महोदय, कल एक प्रश्न के उत्तर में माननीय गृहमंत्री जी ने स्वीकार किया कि डेढ़ वर्ष के अंदर प्रदेश के 58 जवानों ने आत्महत्या की है। (शेम-शेम की आवाज) और जिन 58 जवानों ने आत्महत्या की है उसमें से अधिकतम वे जवान थे जो सुकमा, बीजापुर और दंतेवाड़ा में पदस्थ

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

थे, इन जवानों ने आत्महत्या की है। ये पूरे प्रदेश के लिए चिंता का विषय है। नक्सल क्षेत्र में हमारा जो जवान पदस्थ है वह आत्महत्या कर रहा है, यह चिन्ता का कारण है। सरकार को इस पर विचार करना चाहिए और इसके लिए कोई कार्ययोजना बनानी चाहिए। एक प्रश्न के उत्तर में स्वयं गृह मंत्री जी ने लिखा है कि एक साल के अंदर पुलिस हिरासत में 6 लोगों की मौत हुई है, जेल में 7 लोगों की मौत हुई है। पूरे प्रदेश के लॉ एवं ऑर्डर की स्थिति क्या है? प्रदेश के मंत्री को धमकीभरा फोन आता है, मुख्यमंत्री जी का धमकीभरा फोन आता है, प्रदेश के कलेक्टर के यहां चोरी होती है, प्रदेश के इस सदन के सदस्यों को धमकीभरा फोन आता है, विधानसभा उपाध्यक्ष के घर चोरी होती है, पूर्व मंत्री के घर चोरी होती है। इस प्रदेश में क्या हो रहा है? दिन दहाड़े अपहरण होता है, नाबालिक बच्चियों का अपहरण हो रहा है और बलात्कार करके उनकी हत्या हो रही है। 13 महीने में पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति समाप्त हो गई है और ये सरकार बोलती है कि हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। जरा विचार करो कि 13 महीने में कितनी चोरियां हुईं कितने पकड़े गये, कितनी हत्यायें हुईं, कितने पकड़े गये।

श्री अमरजीत भगत :- इस तरह की बात करके आप पुलिस का मनोबल मत गिराईये। यहां से अपहरण के प्रकरण में जब पुलिस दूसरे प्रदेश से अपराधियों को पकड़कर लाती है तो इस बात का जिक्र भी आप करिये। केवल पुलिस का मनोबल गिराने वाली बात मत करिये।

श्री शिवरतन शर्मा :- सभापति महोदय, इसमें कहा गया है कि मुख्यमंत्री सड़क, मुख्यमंत्री ग्राम गौरव जैसी योजनाओं में तेजी लाई जायेगी। कितनी तेजी है? पूरे प्रदेश में 14 महीने में एक भी मुख्यमंत्री सड़क योजना का काम शुरू नहीं हुआ।(शेम-शेम की आवाज) ग्राम गौरव पथ मुश्किल से 200 स्वीकृत हुए हैं और उस ग्राम गौरव पथ में एक का भी काम शुरू नहीं हुआ। यह इसमें तेजी लायेंगे? आपने कहा है कि नि:शक्तजनों के लिए कार्ययोजना बनायेंगे। नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं में जहां नि:शक्तजन चुनकर नहीं आये हैं, उनको नामांकित किया जायेगा। ठीक है, आप नामांकित कर रहे हैं, हमें खुशी है पर इसके लिए आपने क्या क्राईटेरिया तय किया है कि 40 प्रतिशत या 60 प्रतिशत नि:शक्त होना जरूरी है? माननीय सभापति महोदय, अभी तक जो नियुक्ति है उसमें सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की नियुक्ति हुई है और वह कांग्रेस का कार्यकर्ता कौन सा तो उसका थोड़ा सा हाथ टेढ़ा है तो वह नि:शक्त हो गया, थोड़ा सा पैर टेढ़ा है तो वह नि:शक्त हो गया। आप कुछ तो क्राईटेरिया तय करो कि 60 प्रतिशत नि:शक्त होना चाहिए या क्या होना चाहिए?

माननीय सभापति महोदय, एक बड़ी बात माननीय राज्यपाल के अभिभाषण में है कि 1 लाख छोटे भूखंडों का सौदा हुआ। सब अधिकारीगण बैठे हैं, मैं पूछता हूं कि 1 लाख भूखंडों का सौदा हो गया, रजिस्ट्री कितने की हुई, रजिस्ट्री के बाद नामांतरण कितने का हुआ और नामांतरण के बाद नक्सा कितना दुरूस्त हुआ? जरा यह तो बता दें। आपने भू-राजस्व संहिता के विपरीत जाकर आदेश किया है। आपको यह आदेश करने के पहले भू-राजस्व संहिता में संशोधन करना चाहिए था। केवल आप राजनीतिक

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

लाभ लेने के लिए यह घोषणा कर रहे हैं कि एक लाख रजिस्ट्री हो गई? माननीय सभापति महोदय, ये सरकार सरकारी जमीन को बेचने का षड़यंत्र कर रही है और पूरे प्रदेश की सरकारी जमीन को बेचने का षड़यंत्र यह सरकार कर रही है।

सभापति महोदय :- शिवरतन जी, अब समाप्त करें।

श्री शिवरतन शर्मा :- एक लाईन बोलकर, अब खत्म करूंगा। माननीय सभापति जी, जब राज्यपाल का अभिभाषण शुरू हुआ, इस अभिभाषण में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150 जयंती के अवसर पर वर्षभर कार्यक्रम आयोजित करने की बात की है।

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री उमेश पटेल) :- शिवरतन जी, आधा घंटे हो गये, आप फिर शुरू में आ गये। (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- एक गुने कथे कि नि:शक्त मन के (व्यवधान) तोर बात ला कोन विश्वास करही अइसने में।

श्री शिवरतन शर्मा :- अच्छी बात की है। माननीय सभापति जी, पर आपके माध्यम से कहना चाहता हूं यह सरकार जो है न राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारों के प्रचार-प्रसार में नहीं लगती है।

श्री अमरजीत भगत :- क्या बात है ?

श्री शिवरतन शर्मा :- इस सरकार के मुखिया माननीय भूपेश बघेल जी वास्तव में नाथूराम गोडसे के प्रचार-प्रसार के लिये ब्रांड एंबेसडर हो गये हैं।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय सभापति महोदय, ये घोर आपत्तिजनक बात है। (व्यवधान)

श्री उमेश पटेल :- ये घोर आपत्तिजनक बात है। (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- इसमें कोई आपत्ति नहीं है। विचारधार को पढ़कर आप देख लीजिए, महात्मा गांधी के बारे में कम चर्चा हुई है। नाथूराम गोडसे के बारे में चर्चा हुई है। (व्यवधान)

सभापति महोदय :- माननीय शिवरतन जी, अपनी बात को समाप्त करें। (व्यवधान) माननीय मोहन मरकाम जी, आप बोलिये। मोहन मरकाम जी, अपनी बात कहिये। (व्यवधान)

श्री अमरजीत भगत :- शिवरतन शर्मा जी ने मुख्यमंत्री जी को गोडसे का समर्थक बताया। (व्यवधान)

श्री उमेश पटेल :- शिवरतन जी, आप गलत बात कर रहें है। (व्यवधान)

सभापति महोदय :- माननीय मंत्री जी, चलिये।

श्री उमेश पटेल :- आप गोडसे मुर्दाबाद का नारा लगाईये, हम गोडसे मुर्दाबाद बोलेंगे। गांधी जिंदाबाद बोलेंगे। आपमें अगर हिम्मत है तो बोलिये। (व्यवधान)

श्री कुंवर सिंह निषाद :- नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद।

सभापति महोदय :- चलिये, जरा सब लोग शांत हो जायें। (व्यवधान) माननीय मंत्री जी ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

(सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा नारे लगाये गये।)

सभापति महोदय :- अब केवल मोहन मरकाम जी की बात सुनी जायेगी। माननीय मोहन मरकाम जी।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय सभापति महोदय...।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति जी, इन्होंने गांधी जी की जय एक बार और गोडसे जी का नाम दो बार लिये हैं। (हंसी) (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- ये गोडसे का नाम (व्यवधान) जब भी कोई बात होती है तो गांधी जी का नाम कम लिये हैं। (व्यवधान)

(सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा नारे लगाये गये।)

सभापति महोदय :- मोहन मरकाम जी, चलिये, आप अपनी बात शुरू कीजिए।

श्री मोहन मरकाम (कोण्डागांव) :- माननीय सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए मैं अपनी बात कहना चाहता हूं। महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में सरकार का विजन होता है, सरकार का दृष्टिकोण होता है। छत्तीसगढ़ राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार जो चार मूलमंत्र लेकर चल रही है। शांति, सुरक्षा, विश्वास और विकास के रास्ते पर माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार 14 महीनों में लगातार छत्तीसगढ़ की प्रगति कर रही है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मोहन मरकाम जी, कांग्रेस के विधायक दल में धान खरीदी की समय बढ़ाने की बात हुई थी कि नहीं हुई थी। यह बता दें।

श्री शिवरतन शर्मा :- उनके (व्यवधान) ने यह बात उठाई थी। (व्यवधान)

सभापति महोदय :- माननीय शिवरतन जी, उनको बोलने दीजिए। अपनी बात कहने दीजिए।

श्री मोहन मरकाम :- 15 साल का रिकार्ड मेरे पास है। तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने कितना धान खरीदा ? मैं आंकड़े के साथ आप सबको बताऊंगा। "ऐसा कोई सगा नहीं जो 15 सालों तक भारतीय जनता पार्टी ठगा नहीं।" हम ये डिटेल के साथ आपको बतायेंगे। आंकड़ों के साथ बतायेंगे। छत्तीसगढ़ की जनता को आपने कैसे ठगा है ?

सभापति महोदय :- बांधी जी, कृपया उनको बोलने दें।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय सभापति महोदय, आज नये वर्ष 2020 में हमारी सरकार जनता की अपेक्षाओं, उम्मीदों, जिम्मेदारियों का निर्वहन पूरी लगन और निष्ठा से करते हुए जनता के सपनों को पूरा कर रही है। हमारे लिये गौरव का विषय है। छत्तीसगढ़ विधानसभा ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 150 वीं जयंती के अवसर पर हमारी सरकार साल भर कार्यक्रम आयोजित कर रही है। 02 अक्टूबर,

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

2019 को विशेष सत्र आयोजन करके देश में अपनी तरह की एक नई पहल से प्रदेश की छवी उज्जवल की है।

माननीय सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ राज्य की गौरवशाली परम्परा छत्तीसगढ़ के इतिहास और छत्तीसगढ़ की विभूतियों को सम्मान देने की परिपाटी हमारी सरकार माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार कर रही है उसे आगे बढ़ाते हुए रायपुर में स्वामी विवेकानन्द स्मारक, भगवान राम वन गमन परिपथ विकास दिशा में शुरू की है जिस नाम से राम नाम जपना पराया माल अपना भारतीय जनता पार्टी 15 सालों तक राम नाम से सरकार में आकर राम नाम को कभी याद नहीं किया। हमारी सरकार आते ही भगवान राम वन गमन का चंदखुरी में निर्माण करने का काम कर रही है।

श्री शिवरतन शर्मा :- राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो गया।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय सभापति महोदय, 15 सालों तक केवल राम नाम जपते थे। भगवान राम के नाम से सरकार में आये। मगर कभी इन्होंने भगवान राम को याद नहीं किया। हमारी सरकार ने भगवान राम को भी याद किया और 12 वर्ष लगभग छत्तीसगढ़ में बिताये, भगवान राम वन गमन परिपथ का विकास करने का भी ऐतिहासिक निर्णय लिया है।

माननीय सभापति महोदय, जो बार-बार धान की बात करते हैं क्योंकि मैं आंकड़े लेकर आया हूँ। 15 सालों में तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह जी ने जो धान खरीदा था । पहली बार वर्ष 2013-14 में आये थे इन्होंने घोषणापत्र में कहा था जब तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे । उन्होंने संकल्प पत्र जारी किया था क्या कहा था ''भा.ज.पा. का कहना साफ, हर किसान का कर्जा माफ''।

माननीय सभापति महोदय, ये 15 सालों तक सरकार में रहे। इन्होंने कितना कर्जा माफ किया ? 12 वीं पास पढ़े लिखे लोगों को नौकरी देंगे, इनहोंने कितने लोगों को नौकरी दी गई ? बेरोजगारों को बेरोजारी भत्ता देंगे, इन्होंने कितने लोगों को दिया। वर्ष 2013 का तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह जी का बजट भाषण भी मेरे पास है और ये संकल्प पत्र भी है। उन्होंने कहा था कि किसानों का एक-एक दाना धान खरीदेंगे और 5 सालों तक 300 रूपये बोनस देंगे। मैं विपक्ष के साथियों को पूछना चाहता हूँ कि आपने कितने सालों तक बोनस दिया, कितने लोगों का धान खरीदा। ये पास पूरे आंकड़े हैं। वर्ष 2003-04 में मात्र 1 हजार 519 करोड़ में 27 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा था। वर्ष 2004-05 में 1 हजार 615 करोड़ में 28 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा था और पिछले 8 सालों के मेरे पास आंकड़े हैं वर्ष 2012-13 में 14 लाख 69 हजार 152 किसानों का पंजीयन होता है। तत्कालीन सरकार मात्र 10 लाख किसानों का धान खरीदती है। वर्ष 2014-15 में 16 लाख 43 हजार 103 किसानों का पंजीयन होता है मात्र 11 लाख 76 हजार किसानों का धान खरीदी होती है। वर्ष 2014-15 में 12 लाख 52 हजार 355 किसानों का पंजीयन होता है मात्र 11 लाख 88 हजार किसानों का पंजीयन होता है। वर्ष 2015-16 में

अप्रकाशित/प्रकाशन के लिए नहीं

13 लाख 22 हजार किसानों का पंजीयन होता है मात्र 11 लाख किसानों की धान खरीदी होती है। वर्ष 2016-17 में 15 लाख 14 हजार किसानों का पंजीयन होता है मात्र 13 लाख किसानों की धान खरीदी होती है। वर्ष 2017-18 में 15 लाख 77 किसानों का पंजीयन होता है और मात्र 12 लाख किसानों की धान खरीदी होती है। मेरे पास आंकड़े हैं।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- हमने तो पंजीयन हुआ और धान खरीदा नहीं। क्या आप ये गारण्टी देते हैं कि जो पंजीयन हुआ है उसका धान नहीं खरीदेंगे।

श्री मोहन मरकाम :- ये किसानों के हमदर्द बनते हैं। आज हमारी सरकार आने के बाद वर्ष 2018-19 में हमारी सरकार ने 14 हजार 113 रूपये का धान खरीदा है और 5 हजार 978 करोड़ रूपये का कर्जा माफ किया है। किसानों के खाते में सीधे-सीधे टोटल 20 हजार करोड़ रूपये जमा कर दिया। भूपेश बघेल सरकार की किसानों के प्रति ये हमारी सरकार की नियत है। आपने 15 सालों तक ठगा। इसीलिए 15 सालों तक राज करने के बाद, आप 90 सीटों में से मात्र 14 सीटों में सीमटें हैं। लगातार जो चुनाव हुए आज नगरीय निकाय हो, हम 10 में से 10 सीट जीते हैं।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय मोहन मरकाम जी, यह बता दीजिए कि जो पंजीकृत 1 लाख 35 हजार किसान हैं, उनको देंगे या नहीं देंगे?

श्री मोहन मरकाम :- माननीय सभापति महोदय, अभी जो लगातार चुनाव हुए हैं, नगरीय निकाय के चुनाव में हम 10 में से 10 सीट जीते हैं, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में 146 जनपदों में 111 में जीते हैं, 27 जिला पंचायतों में 20 में जीते हैं। यह माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार की नीतियॉ और योजनायें हैं, चाहे वह शहर या ग्रामीण क्षेत्र की जनता हो, सरकार की नीतियों पर मुहर लगा दी है, यह हमारी माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार की नीति है। आप सच का सामना नहीं कर पा रहे हैं। पूरा विपक्ष खाली हो गया है।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- मोहन मरकाम जी, आपकी नीति बहुत बढ़िया है, आपकी नीतियॉ आपको मुबारक हों। 1 लाख 35 हजार किसानों को मत दो।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय सभापति महोदय, इनमें सच सुनने की हिम्मत नहीं है। हमारी सरकार की नीतियों के कारण आज देश में मंदी का असर नहीं है। नीति आयोग, सात समंदर पार संयुक्त राष्ट्र संघ, अमेरिका की हावर्ड यूविनर्सिटी, 15 साल राज करने के बाद भी तत्कालीन मुख्यमंत्री को न्यौता नहीं दिया, मगर हमारी 14 महीने की सरकार की नीतियॉ और योजनाओं के कारण अमेरिका की हावर्ड यूनिवर्सिटी जहां से बिल क्लिंटन से लेकर जितने भी राष्ट्रपति बने हैं, वहां से हमारे मुख्यमंत्री जी को न्यौता मिलता है, वहां जाकर स्पीच देकर आते हैं।

माननीय सभापति महोदय, विश्व में ग्लोबल वार्मिंग, प्राकृतिक संतुलन की बात होती है, हमारी सरकार ने नीतिगत निर्णय लिया। नरवा, गरवा, घुरूवा, बाड़ी कि आप भले ही कितनी ही खिल्ली उड़ायें,

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

हमारी सरकार वृहद सोच के साथ आगे बढ़ रही है। प्राकृतिक संतुलन बनाने के लिए, पर्यावरण कैसे सुरक्षित रहे, उसके लिए हमारी सरकार लगातार योजनाए बना रही है। आने वाले दिनों में देख लीजियेगा इसके दुरगामी परिणाम और अच्छे मिलेंगे। आज लगभग साढ़े 5 लाख से अधिक लोगों को हमारी सरकार ने रोजगार के अवसर दिये हैं। हमारी सरकार की नीतियों के कारण मंदी का असर नहीं है। हमारी भूपेश बघेल सरकार की जो नीतियॉ हैं, उनको केन्द्र सरकार भी स्वीकार कर रही है।

श्री नारायण चंदेल :- मोहन जी, किस-किस जिले में कितने लोगों को रोजगार दिया है ? यह बता दीजिए।

श्री मोहन मरकाम :- आपकी बारी आयेगी तो बोल लीजियेगा। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद 20 सालों में 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। अगर यह किसानों की चिंता किए होते तो आज यह दुर्गति नहीं होती। आप किसानों के मामले में स्थगन लाये थे, लेकिन आप चर्चा से भाग रहे हैं। आपके पास सुनने के लिए साहस नहीं है। आप साहस रखिये, हम आपकी बातों को भी सुनते हैं। आज संयुक्त विपक्ष एक हो गया है, फिर भी अपनी बातों को कह नहीं पाता है। इससे ज्यादा दुर्भाग्य क्या होगा कि आज विपक्ष बिखरा हुआ है। हमारे तत्कालीन कृषि मंत्री माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी सरकार की खूब तारीफ करते हैं, सरकार ने बोनस देने का निर्णय लिया, एक पूर्व मुख्यमंत्री जी उनकी बातों को नजरअंदाज करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में इतनी फूट होगी हमने कभी सोचा भी नहीं था। एक-दूसरे को कोई पचा नहीं पा रहे हैं। सत्ता जाने के बाद इन लोगों की इतनी दुर्गति हो गई, इन लोगों ने कभी संपने में भी नहीं सोचा था। माननीय सभापति जी, हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओ.बी.सी. वर्ग के लिए आगामी 10 वर्षों तक आरक्षण में वृद्धि के लिए भी हमारी सरकार ने विशेष सत्र बुलाकर विधानसभा में पास किया है। बस्तर में आदिवासी परिवारों के ऊपर दर्ज प्रकरणों के लिए जस्टिश ए.के.पटनायक की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है। माननीय सभापति जी, यह एक ऐतिहासिक निर्णय है। पिछली सरकार ने भोले-भाले आदिवासियों के ऊपर कई प्रकरण दर्ज करवाये थे। मगर हमारी संवेदशील सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लेकर भोले-भाले आदिवासियों के ऊपर जो भी प्रकरण दर्ज हैं, उनको वापिस लेने का निर्णय लिया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, बस्तर के आदिवासियों को न्याय दिलाने के लिए उनकी जमीन वापिस की गई है। पूरे विश्व में पहली बार होगा, हमारी माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार ने अगर कोई जमीन को उद्योगपतियों के अधिग्रहण की है, उनको वापस करने का निर्णय ऐतिहासिक निर्णय है। तत्कालीन मुख्यमंत्री जी कहा करते थे लोहण्डीगुडा क्षेत्र को मैं स्विटरजरलैंड से भी खूबसूरत बना दूंगा लेकिन 10 साल-15 साल किसानों की जमीन अधिग्रहित करके किसानों के साथ अन्याय किया था लेकिन हमारी सरकार आते साथ ही टाटा प्रभावित 1702 किसानों का साढ़े 4 हजार एकड़ से अधिक

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

किसानों की जमीन वापिस किए । देश ही नहीं पूरा विश्व उनके लिये एक उदाहरण है । माननीय सभापति महोदय, वन अधिकार मान्यता कानून वर्ष 2006 के तहत् आज छत्तीसगढ़ में 44 प्रतिशत...।

सभापति महोदय :- माननीय मरकाम जी चूंकि कांग्रेस की तरफ से वक्ताओं की बहुत लंबी लिस्ट है इसलिये थोड़ा संक्षेप में बोलेंगे ।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय सभापति महोदय, मैं दूसरा वक्ता हूं मुझे आधे घंटे का समय दीजिये, मैं संक्षिप्त में अपनी बात कहूंगा ।

सभापति महोदय :- आधा घंटा तो नहीं हो पायेगा, आप एकदम संक्षिप्त में अपनी बात कहेंगे ।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय सभापति महोदय, वन अधिकार मान्यता कानून वर्ष 2006 के अनुसार पिछली सरकार के कार्यकाल में लगभग 8 लाख व्यक्तिगत वन अधिकार के आवेदन आये थे उसमें लगभग साढ़े 3 लाख लोगों को वन अधिकार पत्र दिया गया था लेकिन हमारी सरकार ने जिन आवेदन पत्रों को निरस्त किया गया था उनको पुनर्विचार करने का निर्णय लिया और फिर से वन अधिकार पट्टा देने का निर्णय लिया एक ऐतिहासिक निर्णय चूंकि माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार है उसके साथ-साथ सामुदायिक वन अधिकार देने का निर्णय, जो 15-15 हजार एकड़, 10-10 हजार एकड़ जो वनों में निवास करने वाले आदिवासी हों, अन्य परंपरागत रूप से निवासरत हैं या सामान्य वर्ग हों या पिछड़े वर्ग के लोग हों जो सदियों से जंगलों में निवास करते हैं आज वे जंगल के मालिक हैं उनका जो मालिकाना हक छीना जा रहा था उनको जीने का हक हमारी सरकार ने दिया है । कहीं न कहीं माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार का यह एक ऐतिहासिक निर्णय है । आजादी के 73 वर्षों बाद एक ऐतिहासिक निर्णय जो अबूझमाड़ क्षेत्र नारायणपुर जिले में जो अनसर्वे एरिया था, सरकार का निर्णय ऐतिहासिक निर्णय है । उस क्षेत्र में भी सर्वे करके उनको वन अधिकार पत्र देने का निर्णय एक ऐतिहासिक निर्णय है । उस क्षेत्र में लगभग जो 50 हजार परिवार निवास करते हैं उस क्षेत्र में सरकार की योजनाओं का सीधा-सीधा लाभ कैसे मिले अर्थात् उस क्षेत्र के लोगों को सीधा-सीधा लाभ मिलेगा ।

माननीय सभापति महोदय, राज्य के कुल वन क्षेत्रफल का 55 प्रतिशत हिस्सा संयुक्त वन प्रबंधन समितियों में जिसमें 11,185 गांव में 7887 वन प्रबंधन समितियों के अंतर्गत एस.टी. के 15 लाख, एस.सी. के 5 लाख सदस्य वन संरक्षण के साथ ही अधोसंरचना और आजीविका के अवसरों के विस्तार में भागीदारी होगी । माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार ने तेंदूपत्ता का रेट 2500 मानक बोरा से बढ़ाकर 4,000 कर दिया है। छत्तीसगढ़ के भू-भाग में जो अधिकतर वनों पर निर्भर रहते हैं वैसे लोगों को लाभ मिलेगा उसके साथ-साथ न्यूनतम समर्थन मूल्य खरीदी जाने वाली लघुवनोपज संख्या...।

सभापति महोदय :- माननीय मोहन मरकाम जी कृप्या समाप्त करें ।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय सभापति महोदय, केवल 5 मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूं । 8 से बढ़ाकर 22 कर दी गयी है । वन धन विकास केंद्रों की स्थापना 50,000 महिलाओं को इन

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

केंद्रों में दी गयी है, वन्य प्राणी से जनहानि पर सहायता राशि 6 लाख रूपये कर दी है इसी तरह सरकार लगातार काम कर रही है आज हमारी सरकार जो छत्तीसगढ़ की 2 करोड़ 80 लाख जनता के लिये लगातार काम कर रही है और जो छत्तीसगढ़ के स्वप्नदृष्टा और छत्तीसगढ़ की सोच और छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने में हमारे महापुरूषों ने जो सपना देखा था उनके सपनों को आगे बढ़ाने का काम माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार और मंत्रिमण्डल के हमारे सभी सम्माननीय साथी कर रहे हैं । कहीं न कहीं आज भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द हुआ है, जब 15 सालों का अवसर मिला तो इन्होंने कुछ नहीं किया, मजदूरों के लिये कुछ नहीं किया, किसानों के लिये कुछ नहीं किया, आज घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं । माननीय सभापति महोदय, आज इनका जो हश्र हुआ है, आज ये 14 में सिमटे हैं, आज ये लोग एक भी नगर-निगम जीत नहीं पाये हैं । हम विपक्ष में थे, हमने 10 में 4 नगर-निगम जीता, अप्रत्यक्ष प्रणाली में भी चुनाव हुए हमने 10 में से 4 नगर-निगम जीता था लेकिन ये आज एक में भी जीत नहीं पा रहे हैं । आज इनका क्या हश्र हो रहा है ? आज माननीय मोदी साहब, माननीय अमित शाह साहब डंडा चलाते हैं, छत्तीसगढ़ में आज क्या हो रहा है ? 15 साल राज करने के बाद आज इनकी यह दुगर्ति हो रही है इसलिये एक-दूसरे के ऊपर ठीकरा न फोड़ें । माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री धर्मजीत सिंह (लोरमी) :- माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय राज्यपाल महोदया द्वारा दिये गये अभिभाषण के बाद प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं । सभापति जी, इस भाषण में कहीं पर भी कोई नई बात नहीं लिखी गई है । पिछले अभिभाषण के वक्त भी पेज बदलें होंगे, क्रमांक बदला होगा, लेकिन सब बातें वही हैं जो पिछले अभिभाषण में राज्यपाल महोदया ने यहां पर कहा था । ऐसी कोई नई बात, कोई नई योजना, कोई नया क्रियान्वयन, कोई नई उपलब्धि इसमें जो तो उस पर चर्चा हो, ऐसा मुझे नहीं लगता है । मैं आज जब इस भाषण का समर्थन करते हुए श्री धनेन्द्र साहू जी को सुन रहा था, वे स्वयं इतने हताश, निराश, उदास और अनमने मन से बोल रहे थे जैसे लग रहा था कि उनके सामने बोलने की कोई मजबूरी हो । वह मजबूरी हम लोग समझते हैं क्योंकि प्रदेश की जनता ने 69 का विशाल बहुमत इस सरकार को दिया और जनादेश है, इसमें सरकारों का बनना बिगड़ना, आना-जाना चलता रहता है । यही तो प्रजातंत्र की खूबसूरती है । प्रदेश की जनता ने 68 सीटों के साथ सरकार बनाया । आपने सरकार बनाई, हमने उस समय भी आपको बधाई दी थी और आज भी बधाई दे देते हैं । लेकिन जिस दिन से आप सरकार में बैठते हैं उसी दिन से आपकी जिममेदारियों का दौर शुरू होता है और जो वायदे आपने जनता से किये थे उसे पूरा करने का काम भी उसी दिन से शुरू हो जाता है । इस एक साल में धान की खरीदी तो आपकी मजबूरी थी, धान तो खरीदना ही पड़ेगा, चाहे उधर की सरकार रहे, चाहे इधर की सरकार रहे या कोई दूसरी सरकार आ जाए, धान खरीदना इस प्रदेश में बनने वाली सरकार की मजबूरी है । क्योंकि किसानों के साथ धान

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

खरीदी इतना आत्मसात हो चुकी है कि उससे कोई भी सरकार कदम पीछे नहीं हटा सकती है । मैं उन छोटी-मोटी बातों पर नहीं जा रहा हूं । आपने किसानों का एक-एक दाना धान खरीदने का वायदा किया था, आपने 1 लाख 38 हजार किसानों का धान नहीं खरीदा आप ज़िद पर अड़े रहे, आप अड़े रहिए । हमने तो आपसे कल निवेदन किया था कि आप धान खरीदी पूरी कर लीजिए । हमने आपके ऊपर कोई आरोप नहीं लगाया, हमने इस सरकार के ऊपर कोई आरोप नहीं लगाया हमने यही कहा कि आपकी कोई तकनीकी त्रुटियों के कारण, बेमौसम बारिश के कारण, किसी अन्य तकलीफ के कारण, बारदाना नहीं होने के कारण धान खरीदी नहीं हुई है तो आप ले लीजिए । अगर आप जिद में नहीं लेना चाहते तो कोई बात नहीं । अगर आप लेंगे तो किसानों के बीच संदेश जाएगा इसलिए मैं धान खरीदी के बारे में कोई बात नहीं कहना चाहता। आपने जरूर कर्ज माफी का काम किया, उसके लिए आपको बधाई दे चुके हैं, अब उसी-उसी काम के लिए कितनी बार बधाई दें । अभी तो कर्ज पूरी तरह से माफ नहीं हुआ है । अभी बहुत से कर्ज माफी बाकी है जो पंजीकृत बैंक वगैरह बता रहे हैं, उनमें कर्जमाफी बाकी है, उनको भी करिये । ये काम भी आपने अच्छा किया, इसके बाद आपने क्या किया, इसके बाद आपने कौन सा काम किया, जिसे उपलब्धि के रूप में बताएंगे । इस पूरे अभिभाषण में किसी भी बेरोजगार को नौकरी देने के लिए व्यापक कार्यक्रम नहीं चलाया । पेंशन देने की बात का आपने कोई ज़िक्र नहीं किया। सामाजिक सेक्टर में क्रांति लाने, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए आपने छोटे शब्दों में बात की । कानून और व्यवस्था के बारे में आपने बड़ी बड़ी बात की, लेकिन मामला वैसा कुछ है नहीं । मेरा कहना का मकसद यह है कि यह सरकार हांफने लगी । एक साल में ही आपकी थकावट दिख रही है । आप 13 लोग, आप 13 जिसमें आप हैं, अमरजीत जी और सामने बैठे श्रीमान भी हैं ।

श्री अमरजीत भगत :- मैं आपको याद दिलाने के लिए कह रहा था कि आज का दिन तो आपका है । आपका, माननीय जोगी जी का, धर्मजीत जी बोले और सरकार की तरफ से अमिताभ बच्चन स्टाइल में आप लोगों का काम पूरा हुआ है । जो जो आपने मांग की, इसको सस्पेंड कर दो, इसको कार्रवाई कर दो, सब तो कर दी गई ।

श्री धर्मजीत सिंह :- मैं सरकार से मांग नहीं करूंगा तो और किससे करूंगा ? मैं यहां चुनकर आया हूं, आपसे ही बात करने आया हूं । आपका नैतिक धर्म है कि आप हमारी बात सुनिये । आप करेंगे तो ठीक, नहीं करेंगे तो मैं वहां जाकर लाठी नहीं चला सकता । मैं वहां जाकर हुज्जतबाजी नहीं कर सकता । यह तो प्रजातंत्र की व्यवस्था है, मैंने उसका पालन किया। आपको लगा कि यह उचित है तो आपने उसे माना। ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूं या मैं मांग कर रहा हूं कि उस एक्सप्रेस हाइवे में भ्रष्टाचार हुआ है तो सारे अधिकारी भ्रष्ट हैं। मेरा यह कहने का आशय बिल्कुल नहीं है। इस प्रदेश में भी बहुत अच्छे-अच्छे अधिकारी हैं। संवेदनशील अधिकारी हैं। ईमानदार अधिकारी हैं, जो अपनी निष्ठा से काम करते हैं। जो किसी के दबाव में नहीं आते हैं, लेकिन उन्हें काम करने का अवसर तो आपको देना

अनसंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

होगा। उनमें इस बात की दशहत निकालनी होगी कि रात में 12 बजे उनका ट्रांसफर नहीं होगा, जहां पर वे बैठे हैं। माननीय मंत्री जी यह बात भी आपको सोचनी होगी। हमारे अधिकारी अच्छे हैं। पर अगर आपकी इच्छाशक्ति नहीं है, आपका विजन नहीं है, आपकी सोच अगर छोटी हो जाएगी तो अधिकारी हो, कर्मचारी हो या कोई भी हो, कोई क्या कर सकता है? सभापति महोदय, मैं बहुत छोटी-छोटी बातों की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए बहुत जल्दी अपनी बात समाप्त करूंगा। अनुसूचित जनजाति हेतु सरल क्रमांक 3 में आपने लिखा है कि 10 वर्षों के लिए प्रस्ताव पारित हुआ। दिल्ली की सरकार ने प्रस्ताव पारित किया। पार्लियामेंट के बारे में, मोदी जी के बारे में यह आरोप लगता था कि ये अनुसूचित जाति, जनजाति का प्रस्ताव पास नहीं करेंगे। उन्होंने दिल्ली में प्रस्ताव पास किया। यह हमें सौभाग्य मिला कि आपने छत्तीसगढ़ में लाकर उस प्रस्ताव अनुसमर्थन कराया। यह अच्छी बात है। हिन्दुस्तान के अनुसूचित जाति और जनजाति को आरक्षण का पहला अधिकार है और इस अधिकार को समय की सीमा में भी नहीं बांधा जाना चाहिए। उसके लिए आपने जो काम किया, उसमें हमारा भी समर्थन था, लेकिन आप उस समाज से भी आते हैं। आपके सामने बहुत वरिष्ठ मंत्री हैं, जो मध्यप्रदेश में भी रहते थे। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार प्रदेश सरकार में कार्यरत अधिकारी और कर्मचारी के पदोन्नति आरक्षण के मामले में failure साबित हुआ है। राज्य सरकार की नीति स्पष्ट नहीं होने के कारण मामला न्यायालय में लंबित है। बीते एक साल से पदोन्नति की प्रक्रिया लंबित है। शासकीय सेवक रिटायर हो रहे हैं। उन्हें उनका हक नहीं मिल रहा है। बार-बार त्रुटिपूर्ण भ्रामक मापदण्ड न्यायालय के सामने पेश कर सरकार पदोन्नति के मामले में बाधा साबित करती है। इसलिए माननीय मंत्री जी आरक्षण पास तो हो गया, लेकिन उस आरक्षण का जब तक लाभ नहीं मिलेगा, ये आरक्षण बेमानी होगी। इसलिए आप अपने स्तर पर प्रदेश के लेवल पर इसे सोचिए और इसमें जो भी खामियां हों या कमियां हों, उन्हें दूर करिए ताकि आपके समाज के अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के वे बच्चे जो नौकरी में आगे बढ़ सकते हैं और जिन्हें तरक्की मिल सकती है, उनका रास्ता तो सरल करिए। उन्हें कम से कम आगे बढ़ने का अवसर तो दीजिए। यह कोर्ट, कचहरी, न्यायालय, अफसरशाही, मंत्रीशाही और इधर-उधर की बातों में उन्हें अटकाकर उनका हक मत मारिए। सभापति महोदय, सरल क्रमांक 10 लेमरू प्रोजेक्ट के बारे में बात हुई है। छत्तीसगढ़ देश के उन राज्यों में से एक है, जिसकी पहचान वनाच्छादित क्षेत्र के कारण है। यहां लगभग 18.92 प्रतिशत क्षेत्र वनाच्छादित है। वहीं वन्य प्राणियों के लिए संरक्षित क्षेत्र 8.36 प्रतिशत है। वन्य प्राणियों के लिए कई रिजर्व, टाइगर रिजर्व, अभ्यारण्य वगैरह: बनाये गये हैं। वर्ष 2007 में लेमरू हाथी रिजर्व बनाये जाने पर केन्द्र ने सहमति जतायी थी। वर्ष 2011 में 3 अभ्यारण्य पींगला, सेमरसोत और बादलखोल को मिलाकर सरगुजा जशपुर हाथी रिजर्व बना दिया गया। लेमरू हाथी रिजर्व का क्षेत्रफल 1995 वर्ग किलोमीटर है और जो सरगुजा बना था उसका 11 हजार कुछ वर्ग किलोमीटर है। मतलब यह है कि हाथियों को किसी छोटे से जगह में प्रोजेक्ट बनाकर नहीं रखा जा सकता। हाथी के लिए स्वच्छन्द

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

वातावरण होना चाहिए। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रदेश में 247 हाथी मौजूद हैं। इस प्रदेश में पिछले 10 साल में हाथियों के नाम पर 640 करोड़ रूपये से भी ऊपर खर्च हुआ है। मेरे पास सरकारी प्रतिवेदन है। मैं अपने घर से नहीं लाया हूं। 640 करोड़ रूपये खर्च करने के बाद भी अगर हाथियों का आतंक नहीं रूक रहा है तो इस सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए। आपने जो लेमरू प्रोजेक्ट बनाया है उसमें नकिया कोल ब्लॉक के जो फॉरेस्ट के कक्ष हैं, इसे आपने इसमें शामिल किया है या नहीं, जरा यह बताइएगा। लेमरू प्रोजेक्ट को बनाने में मेरी यह शंका है, मैं आरोप तो नहीं लगा सकता। मेरी यह शंका है कि बड़े-बड़े कोल ब्लॉक्स को छोड़कर के लेमरू का ये एलीफेन्ट प्रोजेक्ट बनाने की प्रक्रिया चल रही है। कोल ब्लाक्स को इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि वे बड़े-बड़े अडानी, अंबानी और न जाने कौन-कौन लोग बिलकुल सेटेलाइट से देखते बैठे हैं कि यह इसमें न आने पाये। अगर वहां वह कोल ब्लाक खुला तो इस लेमरू प्रोजेक्ट का भी कोई मतलब नहीं रह जायेगा। हजारों लोग मारे जायेंगे। आप हाथियों को नहीं रोक सकते हैं, कोई नहीं रोक सकता और हाथी कुछ नहीं समझेगा। जनहानि और धनहानि बहुत होगी।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय, यह लेमरू प्रोजेक्ट पिछली सरकार ने लटकाकर रखा था।

श्री धर्मजीत सिंह :- मैं आपको बोल तो रहा हूं।

श्री अमरजीत भगत :- और इस सरकार ने उस काम को आगे बढ़ाया है।

श्री धर्मजीत सिंह :- मैं वही तो बोल रहा हूं।

श्री अमरजीत भगत :- आपको तो सरकार को धन्यवाद देना चाहिए।

श्री धर्मजीत सिंह :- दे तो रहा हूं। लेकिन ये कोल ब्लाक वालों से प्रेम थोड़ा कम करिये। कोल ब्लाक की तरफ भी, आपका एक दूसरा सेटेलाइट उधर भी घूम रहा है। कोल ब्लाक अडानी, अंबानी और क्या-क्या लोग हैं सब। तो उनको जरा मत करो, यही तो कह रहा हूं। भैय्या, ज्ञान दे रहा हूं। मैं पहले बोल चुका हूं, मैं बार-बार दोहराना ठीक नहीं समझता। सभापति महोदय, अगर किसी भी एरिये में ब्लास्ट हुआ तो उसके 10 किलोमीटर दूर तक हाथियों को पता चलता है कि वहां पर ब्लास्ट हुआ है। हाथी के पैरों में सेंसर होता है। जो उनके स्पंजी पैर होते हैं, उसमें सेंसर होते हैं।

श्री अमरजीत भगत :- आपके एरियें में पहुंचया है क्या ?

श्री धर्मजीत सिंह :- नहीं, मेरे यहां में तो नहीं आया है। वह तो आप सब लोगों को ठीक करके आयेगा। सभापति महोदय, हाथी जब ट्रेन की पटरी पार करता है तब वह अपने पैर को उसमें रखकर कि कोई इंजन तो नहीं आ रहा है, उसको देखता है, समझता है, तब वह पार करता है। मतलब वह काफी सेंसटिव जानवर है। उसकी याददाश्त बहुत तेज है। वह जहां गया है, 22 साल बाद भी लौट आता है।

सभापति महोदय :- माननीय धर्मजीत सिंह जी, थोड़ा संक्षेप में करेंगे।

श्री धर्मजीत सिंह :- सभापति जी, मैं बिलकुल संक्षेप में दो मिनट में समाप्त कर देता हूं।

अप्रमाणित/असंशोधित के लिए नहीं

माननीय सभापति महोदय, आपने सिंचाई की क्षमता बढ़ाने की बात की, बहुत अच्छी बात है। अगर हर प्रदेश में विकास का पैमाना है तो सिंचाई है। लेकिन पिछले वर्षों का अनुभव यह रहा है कि स्टाप डेम तो बनाये गये, एनीकट बनाये गये। लेकिन उसका पानी सिर्फ और सिर्फ उद्योगपतियों को दिया गया है। आज ताक आप एनीकट बनाने की स्थिति में भी नहीं हैं, मंत्री जी। उड़ीसा से विवाद चल रहा है। बिलासपुर का अमृत मिशन प्रोजेक्ट, जिसके गड्ढे खोद दिए गए हैं, पाईप डाल दिया गया है। अहिरन नदी का पानी लाने के लिए एन.जी.टी. और उड़ीसा सरकार से क्लीयरेंस नहीं मिला है और अभी तक खूटाघाट डेम में पानी नहीं आया है। तो जब एनीकट बनायेंगे या और कुछ बनायेंगे तो उड़ीसा का प्राबल्म है। इसलिए इस सरकार को उच्चस्तरीय पहल करके अपने विवाद को सुलझाने का कोशिश करनी चाहिए।

श्री अमरजीत भगत :- बिलासपुर में जो खोदने की बात कर रहे हैं, वहां पिछली सरकार ने खोदा है। हमारी सरकार ने नहीं खोदा है।

श्री धर्मजीत सिंह :- अभी आप खोद रहे हो। आप चलो न, मैं गड्ढा दर्शन करा देता हूं। आप एक दिन कार्यक्रम बनाईये, आपको गड्ढा दर्शन भी करा दूंगा और गड्ढे के नीचे उतरवाकर के भी दिखवा दूंगा कि कितने फीट का है ? आप वहां जाओ जो गिर रहे हैं, उनको मालूम है। अमृत मिशन में 300 करोड़ रूपया खर्च हो रहा है। पानी का पता नहीं है।

श्री अमरजीत भगत :- धर्मजीत भैय्या, जब गड्ढा खोदने की बात करते हैं तो उधर भी देख लिया करिये कि आपकी सरकार ने खोदा है, ऐसा करके बोलिये तो थोड़ा सा बात लगे कि हां ठीक है।

श्री धर्मजीत सिंह :- भैय्या, कब तक इधर-इधर करके बात करेंगे। अभी तो आप सामने बैठे हैं।

सभापति महोदय :- चलिये, अभी आप अपनी बात करिये।

श्री धर्मजीत सिंह :- सभापति महोदय, मैं अपनी बात कर रहा हूं। तो इसमें किसानों को प्राथमिकता देकर के एनीकट बनाईये, बहुत अच्छी बात है। एनीकट के लिए कहीं किसी को तकलीफ नहीं है। स्टापडेम जितने बन सकते हैं। आपने इसमें नदियों की सफाई और प्रदूषण का भी मामला उठाया है। 5 नदियों का 9 विभागों की जवाबदारी एन.जी.टी. ने एक्शन प्लान दिया था। कोई काम नहीं हुआ है। रायपुर राजधानी, हाइवे पर उरला-सिलतरा औद्योगिक क्षेत्र में प्रदूषण की मार झेल रहा है। नये उद्योगों के लिए अभी भी सारे जन सुनवाई के काम किए जा रहे हैं, वह भी सिफारिश में। आदरणीय सभापति महोदय, मैं थोड़ा शार्ट कर ही देता हूं।

सभापति महोदय :- संक्षेप में कर लीजिये।

श्री धर्मजीत सिंह :- मैं बिलकुल कर देता हूं। आपने हवाई सेवा का जिक्र नहीं किया है। बिलासपुर न्यायधानी है।

अप्रमाणित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अमरजीत भगत :- आपको उसके लिए बजट दिया है।

श्री धर्मजीत सिंह :- आपने 27 करोड़ दिया न। मैं उसके लिए धन्यवाद यहां भी दिया हूं और बिलासपुर में भी दिया हूं और अभी मुख्यमंत्री जी को बजट में भी दूंगा। अगर आप हवाई सेवा का जिक्र करते तो हमारी मांग का वजन बढ़ता। हमको लगता कि समवेत् सदन हमारे बिलासपुर की हवाई सेवा को शुरू करने के लिए कृत संकल्पित है। लेकिन अभी भी बहुत पेच है। थ्री सी का लायसेंस आपको लगाना है । केन्द्र सरकार में प्रदेश की सरकार आवेदन लगाएगी । रन वे की लंबाई बढ़ानी है, सेफ्टी का इंतजाम करना है, लाईट का इंतजाम करना है, लाऊंज बनाने का काम करना है, वगैरह-वगैरह बहुत सी चीजें हैं, हवाई जहाज कोई बच्चों का खिलौना नहीं है कि बिना सुविधा के और बिना सुरक्षा के उसको उतारा या चलाया जा सके । इसलिए इसमें अगर हवाई सेवा की बात होती तो मुझे और अच्छा लगता, लेकिन अभी भी कुछ भी नहीं बिगड़ा है । बजट में इसका जरूर आप लोग जिक्र करिएगा । अभी उद्योग मंत्री नहीं है ।

श्री अमरजीत भगत :- उद्योग मंत्री को पुरस्कार मिल रहा है, दिल्ली में पुरस्कार लेने गए हैं ।

श्री रामकुमार यादव :- भारत में छत्तीसगढ़ दूसरे नम्बर पर आया है।

श्री धर्मजीत सिंह :- अभी तो आप लोगों को सब मिलेगा । आटोमोबाईल सेक्टर में काम देखने गए थे, मैंने सोचा कि आटोमोबाईल के काम का भी जिक्र होगा। वह भी आपने नहीं किया ।

सभापति महोदय, अब मैं आखरी में दो बात और कहना चाहता हूं । जनप्रतिनिधियों का सम्मान इस सरकार की जिम्मेदारी है । प्रजातंत्र में हम विपक्ष में जरूर आए हैं, आप सत्ता में आए हैं । आपके भी मान सम्मान की रक्षा और हम सबके भी मान-सम्मान की रक्षा करने का दायित्व माननीय संसदीय कार्यमंत्री और सरकार का है । आज ही इस सदन में एक विधायक ने कहा कि एक पुलिस अधिकारी से उससे दुर्व्यवहार किया । विकास उपाध्याय जी का भी पेपर में पढ़ा कि इन्होंने ने भी माईन लेने का प्रयास किया तो उसमें उनको भी कोई सम्मान नहीं दिया गया, आपने कोई बात भी नहीं की । उनकी भावना सुन तो लीजिए । हम गलत हो सकते हैं । हम तो आपका सम्मान कर रहे हैं, हम अधिकारियों को सम्मान से मिलते हैं, पर अगर हम जाएं तो थोड़ा सा सम्मान अगर आप दे देंगे तो छोटे नहीं हो जाएंगे और ये सरकार की जिम्मेदारी है कि हमारे मान-सम्मान की सुरक्षा करें । मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं । मेरे विधान सभा क्षेत्र में छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के अध्यक्ष हैं । उनके बच्चे को चोट लगी और वह एक स्कूल में गया, स्पोर्ट्स टीचर से मिला और बच्चे को दो घंटे से मैदान में लिटाकर रखा गया था और उसकी सूचना भी घर वालों को नहीं दी, फस्टएड भी नहीं दिया । कोई भी माता-पिता जब उस बच्चे को देखने गए तो उसका गुरूजी से मैदान में झगड़ा हो गया । पुलिस के लोगों ने उसके ऊपर सरकारी काम में बाधा और न जाने क्या-क्या धारा लगा दी, मैं उसके बारे में ज्यादा जानता नहीं हूं । मैंने एस.पी. को फोन किया तो एस.पी. मुझसे बोलते हैं कि आप उसको सरेंडर कराईए । ऐसा जैसा कि

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

वह अपराधी मेरे घर में हो । मैंने उनसे पूछ रहा हूं कि जो घटना हुई है, आप इतनी रिपोर्ट करके कार्यवाही कर दीजिए, लेकिन किसी मंत्री का फोन गया तो उसने दफा लगा दिया । वह तो अच्छा हो गया कि मंत्री का और ज्यादा फोन नहीं गया, नहीं तो धारा 302 और 307 भी लगा देता। हालांकि हाईकोर्ट से कल उसकी जमानत हो गई । समझ गए न । तो इस तरीके का काम मत करिए ।

सभापति महोदय :- माननीय धर्मजीत जी, अब समाप्त करेंगे ।

श्री धर्मजीत सिंह :- दो मिनट में समाप्त करता हूं । दिल्ली में जहां आपके से बड़े-बड़े नेता रहते हैं, वहां शून्य है शून्य । इसलिए विपक्ष में ज्यादा हंसने की बात मत किया करो और मुझे तो खुशी है कि हमारी रणनीति सफल हुई । मुझे इस बात की खुशी है कि मैं कल से लेकर आजतक चार बार संयुक्त विपक्ष, संयुक्त विपक्ष सुनकर आपकी बेचैनी, परेशानी और बदहाली को देख रहा हूं, यह मुझे अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है कि आप कम से कम बेचैन तो हुए ।

श्री अमरजीत भगत :- धर्मजीत भैया, इधर वाला सत्ता पक्ष, उधर वाला विपक्ष और बीच वाला क्या है ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- बीच वाला अमरजीत भगत ।

श्री धर्मजीत सिंह :- महाराष्ट्र में आप क्या हो?

श्री अमरजीत भगत :- हमारी सरकार है ।

श्री धर्मजीत सिंह :- क्या सरकार है ? बच्चे टाईप का जीतकर आये हो। दिल्ली में तो आप लोग हमारे इतना भी नहीं पहुंच सके ।

श्री अमरजीत भगत :- महाराष्ट्र में हमारी सरकार है, सरकार में हम लोग हैं, वहां सरकार बढ़िया चल रही है ।

श्री धर्मजीत सिंह :- आपके जो बड़े नेता दिल्ली में रहते हैं, वहां दिल्ली में हमारे बराबर भी सीट नहीं जीत पाए, शून्य हो शून्य और ज्यादा इतराने की जरूरत नहीं है और ज्यादा अहंकार करने की जरूरत नहीं है । ये प्रजातंत्र का चक्र इतना खतरनाक होता है कि जनता ने अगर आपको आंख में बिठाया है, सिर में बिठाया है, अगर आप उनके विश्वास की रक्षा नहीं करेंगे तो फर्श से उठाकर अगर उन्होंने आपको अर्श में रखा है तो अर्श से उठाकर फर्श में लाने में देरी नहीं करेंगे । इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं । यह सरकार असफल है, अक्षम है, दिशाहीन है और इसलिए मैं राज्यपाल के अभिभाषण का विरोध करता हूं । यह सरकार असफल है, अक्षम है, दिशाहीन है, इसलिए मैं राज्यपाल के अभिभाषण का विरोध करता हूँ ।

श्री अमरजीत भगत :- ऐसा बोल के आप डरवा रहे हैं ।

सभापति महोदय :- राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा में दोनों दलों के प्रथम वक्ता विस्तार से अपनी बात कह चुके हैं । अभी लगभग 19 सदस्यों के नाम शेष

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

हैं । मेरा सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है, कृपया संक्षेप में अपनी बात रखें । माननीय संतराम नेताम जी ।

श्री संतराम नेताम (केशकाल) :- माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर अपनी बात कहना चाहता हूँ । जिस प्रकार से हमारे विपक्ष के भाईयों ने राज्यपाल के अभिभाषण का, हमारी सरकार के उपलब्धियों का विरोध किये हैं, जैसा कि पूरे प्रदेश को मालूम है, आज दो दिनों से लगातार किसानों पर चर्चा हो रही है । सभापति महोदय, मैं अभी आपको बताना चाहता हूँ कि 83 लाख मीट्रिक टन जो धान खरीदी हुई है, इसका कारण है कि हमारी सरकार के द्वारा जो जनघोषणा पत्र में किसानों का जो कर्जमाफ करने वाली बात थी, हमने पिछले सत्र में वर्ष 2013 से 2018 तक देखा कि किसानों ने जो आत्महत्या किये थे, इसलिए हमारी सरकार ने किसानों को उनके कर्ज से मुक्ति दिलाने के लिए, उनके घाव में मरहम लगाने का काम किया और 11 हजार करोड़, जो किसानों के कर्जा माफ किये, हमारे किसान भाई जो कर्जा नहीं पटा पा रहे थे, उन किसानों को इस साल धान बेचने का मौका मिला । बंफर धान की खरीदी जिसका सीधा उदाहरण है और इसे हमारी सरकार ने किया । सभापति महोदय, पूरे प्रदेश में जब हम घूम-घूमकर जाते हैं, किसानों से जब मिलते हैं, खासकर मैं बस्तर में बात करूं, वहां के किसान जो लैम्प्स में धान बेच नहीं पा रहे थे, आज वह किसान बेच रहे हैं । सभापति महोदय, कर्जा माफ होने से वह अपने खेतों में बोर कराये हैं । सभापति महोदय, डबल फसल ले रहे हैं, बहुत से किसान अपने बेटा या बेटी की शादी नहीं कर पा रहे थे, कर्जा माफ होने से आज धूमधाम से अपने बेटा और बेटी का शादी करके अपने परिवार का एक बहुत अच्छा वैवाहिक कार्यक्रम संपन्न कराये हैं । मैं मानता हूँ कि विपक्ष का धर्म सरकार की उपलब्धि का विरोध करना और किसानों के हित की बात करना है । जनघोषणा पत्र में जितनी भी बात की, हमारी सरकार ने घोषणा की है, वह आधे-आधे हम करते जा रहे हैं ।

श्री शिवरतन शर्मा :- कलेक्टर ने आपकी सुनी कि नहीं सुनी ? केशकाल में किसानों से बात किया कि नहीं किया ? आप तो यह बताओ ना ?

श्री संतराम नेताम :- वह अलग बात है सभापति महोदय, मेंरे विधान सभा में किसान धरने में बैठे थे...।

श्री शिवरतन शर्मा :- कलेक्टर ने आपकी बात नहीं सुनी ।

श्री संतराम नेताम :- मैं इस बात को कह रहा हूँ कि किसानों के पास उनको जाना चाहिये था, उसको स्वीकार करता हूँ । सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी जनघोषणा पत्र और आपका संकल्प पत्र वर्ष 2013 मेरे पास रखा हुआ है, उसमें कहा गया था कि 2100 रूपये हम धान की कीमत देंगे और 300 रूपये बोनस देंगे । लेकिन हम विपक्ष में जोर देकर कहते रहे कि किसानों के साथ वादाखिलाफी मत करो, किसानों को 2100 रूपये समर्थन मूल्य दो और 300 रूपये बोनस दो, इसीलिए

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

हमने वहां पर नाकाबंदी किया । एक आंदोलन किये, जिसमें मोहन मरकाम और मेंरे को गिरफ्तार किया गया । ऐसा गिरफ्तार किया गया कि न्यायालय में जिस प्रकार से 302 का जब पेशी चलता हो, वैसे ही एक-एक सप्ताह में हमारी पेशी ली गई । मैंने आपके सरकार में रहते खुद एफ.आई.आर.कराया, आज तक चालान पेश नहीं हो पाया । आप अभी बता रहे थे, इस सरकार में कानून की अव्यवस्था है । आपकी सरकार में पहले जब विधायकों की नहीं सुनी जाती थी, विधायकों का एफ.आई.आर. में चालान पेश नहीं हो रहा था । आदरणीय शर्मा जी, यह कानून व्यवस्था है । मैं कहता हूँ कि आपने दो साल का बोनस दिया । वह इसलिए कि चुनाव आ रहा था । 15 साल में हमारे प्रदेश के सारे किसान लोग समझ गये थे कि आप वादा करके निभाते नहीं है । इसलिए आप 14 की स्थिति में है । मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकार जो काम कर रही है, हमारी सरकार और भूपेश बघेल जी की सोच है, हमारे बस्तर के लोगों को धान और मक्के के बाद वह तेंदूपत्ता तोड़ते हैं
और कांटा-खूंटी में जाकर काम करते हैं । उनके साथ पिछले साल यही सरकार ने क्या किया, काम होता है, मूल्य मिलता है, ज्यादा फायदा होता है तो बोनस दिया जाता है, हमारी सरकार अभी 2500 रूपये से मानक बोरा बढ़ाकर 4000 किया है । हमारी सोच है कि बस्तर के लोग आगे बढें, बस्तर के आदिवासी आगे बढ़े, प्रदेश की जनता आगे बढ़े। सभापति महोदय, इसके समय चप्पल वितरण किए। मैं धनोरा में कार्यक्रम में गया था, हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह जी भी गये और उन्होंने चप्पल वितरण किया। मैं एक दीदी से पूछा कि दीदी, तोला चप्पल वितरण होईस। तो वह दीदी मुझे बताई कि विधायक भैय्या, चप्पल तो मिलिस लेकिन एक पैर के छः नंबर और एक के 9 नंबर है। ये है भ्रष्टाचार जो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ। हम लोग तो 2500 रूपये से 4000 रूपये दे रहे हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- अभी तो बहिगांव और केशकाल के किसान कहत हे कि हमन ला मिले हे लउड़ी खाली पीठ में।

श्री संतराम नेताम :- 2500 रूपये से बढ़ाकर 4000 रूपये करने का काम हमारे माननीय भूपेश बघेल जी ने किया है। इसके पीछे यदि सोच है तो यह है कि यह प्रदेश कैसे आगे बढ़े, इस प्रदेश के हमारे आदिवासी, पिछड़े लोग कैसे आर्थिक रूप से मजबूत हों। हमने पिछले बार प्रश्न लगाया कि कोंडागांव में 65 हजार किसान मक्के की खेती करते हैं। हर बाजार-बाजार जाकर 800-900 रूपये क्विंटल में मक्के को बेचते थे। हमने कृषि मंत्री जी से प्रश्न लगाकर मांग रखी कि आप मक्के को समर्थल मूल्य पर खरीदिये। आज आप बस्तर में जाकर देखिए 1700 से 1850 रूपये मक्का का दाम मिल रहा है। यह हमारी सरकार की सोच है। अभी हमारे कोंडागांव जिले के कोकड़ी में कारखाना खुल रहा है वहां पर ये 65000 किसान अपनी फसल को बेचेंगे तो उनको अधिक से अधिक उसका लाभ मिलेगा तथा मक्का से बनने वाली वस्तु हमें सस्ते दाम पर मिलेगी। सरकार की सोच होनी चाहिए। एक मुखिया की

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

सोच क्या होनी चाहिए, इस प्रदेश को किस दिशा में ले जायेंगे, आर्थिक रूप से मजबूत बनायेंगे ताकि वे अपने बच्चों की पढाई-लिखाई करा सकें, हॉयर एजुकेशन दे सकें और बच्चे आगे चलकर फैक्ट्री, कंपनी और बड़े-बड़े दफ्तरों में काम करेंगे। यह सरकार की शुरूआत होती है। शिक्षा का अर्थ यही है कि आर्थिक रूप से उन्हें इस प्रकार से मजबूत करेंगे तभी हमारा प्रदेश आगे बढ़ेगा और इस प्रदेश का नाम भारत में रोशन होगा। यह हमारी सोच है।

माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार ने एक बड़ी सोच की कि लोहंडीगुड़ा में कारखाना लगाने के नाम पर 1700 किसानों की जमीन अधिग्रहित की गई। 10-12 साल तक उस जमीन में कोई कारखाना नहीं लगा। माननीय सांसद दीपक बैज जी उस समय विधायक हुआ करते थे। उन्होंने जमीन की वापसी की कई बार सरकार से मांग की और प्रश्न लगाया कि उन किसानों की जमीन लौटाई जाए। हमारी सरकार ने एक महीने के अंदर उन किसानों की जो जमीन की वापसी की है वह बस्तर के आदिवासी किसानों के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। सभापति महोदय, हम कारखाने का विरोध नहीं करते। हम चाहते हैं कि कारखाना लगना चाहिए, कारखाना के लगने से वहां के बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा और वहां के भाई-बहनों को काम मिलेगा। कोई भी सरकार रहे, हम कारखाने का विरोध नहीं करते लेकिन जिस मकसद से जमीन ली गई थी आखिर वहां पर क्यों कारखाना नहीं लगाया गया और किसानों को क्यों धोखा दिया गया? आज ये विपक्ष में बैठकर किसानों के हित की बात करते हैं, बेरोजगारों के हित की बात करते हैं। वहां के स्कूलों को बंद कर दिया गया। बस्तर के सारे स्कूल अभी बंद हो गये। यह सरकार की मंशा थी इसीलिए आज प्रदेश की जनता ने उनको विपक्ष की जिम्मेदारी दी है।

आदरणीय सभापति महोदय, मैं बस्तर प्राधिकरण की बात करता हूं। पिछले बार हम बस्तर प्राधिकरण में थे। बस्तर प्राधिकरण का पैसा और बस्तर का पैसा वहां के विधायकों को तय करना चाहिए था लेकिन बस्तर का पूरा पैसा पिछले बार वहां से उठाकर सीधे राजनांदगांव तरफ ले आते थे। आज मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने यह सोचकर की बस्तर का विकास कैसे होगा, बस्तर की सड़क और पुल-पुलिया वहां के विधायक बनायेंगे यह सोचकर एक वरिष्ठ विधायक लखेश्वर बघेल जी को अध्यक्ष और मुझे उस प्राधिकरण का उपाध्यक्ष बनाया। यह सरकार की मंशा है, भूपेश बघेल जी की सोच है। अब हम लोग प्राधिकरण की बैठक में बैठकर निर्णय लेते हैं कि बस्तर की जनता के लिए क्या काम होना चाहिए, पुल-पुलिया, शिक्षा, स्वास्थ्य पर क्या होना चाहिए यह सारा हम तय करते हैं।यह हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की बड़ी सोच है, मैं इसके लिए उनका बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं।

आदरणीय सभापति महोदय, नरवा, गरवा, घुरूआ, बाड़ी इसका मजाक उड़ाया जा रहा है। लेकिन आने वाले दिनों में आप देखेंगे नरवा,गरवा इसका अर्थ नरवा मतलब बहुत बड़ा प्राजेक्ट है।

अप्रमाणित/प्रकाशन के लिए नहीं

सभापति महोदय :- माननीय संतराम जी, कृपया समाप्त करेंगे।

श्री संतराम नेता :- सभापति महोदय, बिल्कुल एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।

सभापति महोदय :- जी।

श्री संतराम नेताम :- यह सोच बहुत बड़ी सोच है। नरवा, जब नरवा को रोकेंगे, वहां पर हमारे जल को रोकेंगे, नदी नाले को रोकेंगे, जब वहां पर सिंचाई का साधन होगा। हमारे किसान वहां पर उत्पादन करेंगे, डबल फसल लेंगे, वह आर्थिक रूप से मजबूत होगा। हमको पानी की बहुत जरूरत पड़ती है। हम तड़पते हैं, हम गर्मी के दिनों में तड़पते हैं। वही संरक्षण हमको बहुत आगे ले जायेगा। पानी की कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर एक एक पहलू हम बतायेंगे तो निश्चित तौर पर, भले अभी नहीं दिख पा रहा है, लेकिन आने वाले समय में एक बहुत बड़ी उपलब्धि साबित होगी। पिछली बार बात कर रहे थे।

सभापति महोदय :- कृपया समाप्त करेंगे।

श्री संतराम नेताम :- बस एक प्वाईंट है। उसके बाद समाप्त कर रहा हूं। सभापति महोदय, हमने इनका घोषणा पत्र देखा है। उन्होंने कहा था कि हम प्रत्येक परिवार को 35 किलो चावल देंगे। 6 महीने के अंदर मैं इसी सदन में था, सत्यापन के नाम से हमारे भाई बहनों के राशनकार्ड को काटा गया। उससे ज्यादा हद तब कर दिये जब व्यक्ति को 7,14 और 21 किलो चावल कर दिये। हमने विरोध किया, हमने याद दिलाया। फिर भी सरकार हमारी बात नहीं सुनी। मैं मुख्यमंत्री और खाद्य मंत्री जी सारे लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने सारी चीजों को खत्म कर सीधा-सीधा 35 किलो चावल, अगर उससे भी ज्यादा है, तो 40,50 और 70 किलो चावल देने की बात हमारी इस सरकार ने तय किया है। इस प्रदेश की गरीब जनता को आगे बढ़ाने का काम किया है। इस प्रदेश के लोगों की मदद करने का काम किया है। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय :- माननीय श्री नारायण चंदेल जी।

श्री नारायण चंदेल (जांजगीर-चांपा) :- माननीय सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदया के अभिभाषण का हम विरोध करते हैं। विरोध इसलिए करते हैं कि इस अभिभाषण में कोई भी उल्लेखनीय बात नहीं है। महामहिम का अभिभाषण वास्तव में सरकार का विजन डाक्यूमेंट होता है। उसका आईना होता है कि आने वाले समय में...।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय चंदेल साहब, शिकायत भी करने जाते हैं और विरोध भी कर रहे हैं ये दो बातें कैसे होगी ? शिकायत भी करने जाते हैं।

श्री नारायण चंदेल :- सभापति महोदय, महामहिम के अभिभाषण का आशय यह होता है कि आने वाले समय में सरकार क्या करना चाहती है ? सरकार का दृष्टिकोण क्या है ? सरकार किस दिशा में चलना चाहती है ? सरकार की क्या नीति है और सरकार की क्या नियत है ? सरकार के क्या

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

कार्यक्रम हैं ? यह वास्तव में महामहिम के अभिभाषण में इसका उल्लेख होना चाहिए। लेकिन ऐसा लगता है कि पिछले साल के ही अभिभाषण के पेज को इधर-उधर करके यह अभिभाषण को तैयार कर दिया गया है। अभी हमारे सत्ता पक्ष के अनेक साथियों ने बहुत सी बातें कही। अब वह 15 साल हमारी सरकार थी उससे वे उबर नहीं पा रहे हैं। महामहिम के भाषण में 15 साल कहां से आ गया ? महामहिम के भाषण में जिन बातों का उल्लेख महामहिम ने किया उस पर चर्चा होनी चाहिए। महामहिम के अभिभाषण का आशय यही है। यहां वरिष्ठ मंत्री बैठे हुए हैं। हम इनको कहना चाहते हैं कि 14 महीनों से जब से कांग्रेस की सरकार बनी है, प्रशासन का तेजी के साथ में राजनीतिकरण हुआ है और राजनीति का अपराधीकरण हुआ है। हम सरकार में बैठे हुए लोगों से कहना चाहते हैं। हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा है कि "छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता।" तो बड़े मन से काम करने की आवश्यकता है। आप सरकार में हैं, जनता ने आपको जनादेश दिया है और इसलिए बड़े मन बना करके काम करिये। 15 साल, 15 साल, का भूत उतार दीजिए। अब जनता ने जनादेश आपको दिया है। जनता आपकी तरफ देख रही है। इसलिए आप अपना काम बताओ। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद 1 नवंबर, 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ था और अटल जी ने किया था। माननीय सभापति महोदय, आज तक इस प्रदेश के किसानों पर जो भूमिपुत्र किसान हैं, जो अन्नदाता हैं। छत्तीसगढ़ की सारी अर्थव्यवस्था किसानों पर आधारित है। किसान के खेत पर आधारित है, उसके ऊपर लाठीचार्ज करना। छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार और इसलिए छत्तीसगढ़ के जो स्वप्नदृष्टा थे, वे कभी भी इस सरकार को माफ नहीं करेंगे।

माननीय सभापति महोदय, हम इनकी बातें सुन रहे थे। अगर आज इस प्रदेश में कोई आश्वयकता है तो जल, जंगल, जमीन को बचाने की आवश्यकता है। आपके पास क्या दस्तावेज हैं, आपके पास क्या विजन है? उसका माननीया राज्यपाल के अभिभाषण में क्यों उल्लेख नहीं किये? कि हम कैसे जल को संचित करेंगे? जंगल को बचायेंगे, जमीन को संरक्षित करेंगे। आपने जमीन बेचना शुरू कर दिया। पहली बार इस सरकार ने ये फरमान जारी किया है। आज तक हमारी सरकार रही हो या 3 सालों तक माननीय जोगी जी की नेतृत्व में सरकार रही हो, कभी भी सरकारी जमीन को बेचने का फरमान जारी नहीं किया, क्योंकि ये सरकार कंगाल हो चुकी है, इसका खजाना खाली हो चुका है, इसके पास कोई पैसा नहीं है और इसलिए सरकार नगरीय निकायों की सरकारी जमीन को बेच रही है। ये बताईये कि आप करेंगे क्या ? आने वाले समय में आबादी बढ़ेगी, आवश्यकताएं बढ़ेगी, जब सरकारी जमीन नहीं रहेगी तो हम किस चीज का निर्माण करेंगे ? कहां से अस्पताल, स्कूल, सामुदायिक भवन, मुक्तिधाम बनेगा ? इस सरकार के पास कोई विजन डाक्यूमेंट नहीं है। आपने सरकारी जमीन बेचने का फरमान जारी कर दिया।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

माननीय सभापति महोदय, इस कांग्रेस पार्टी की सरकार ने कहा था कि हम सरकार में आते ही हम पूर्णरूप से शराबबंदी लागू करेंगे। हम लोगों ने इसी सदन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती मनायी । वह सबसे अच्छा अवसर था चाहते तो उसी दिन माननीय मुख्यमंत्री जी इस प्रदेश में पूर्ण शराब बंदी लागू करने का फैसला कर सकते थे। जब बिहार जैसे प्रदेश में शराबबंदी लागू हो सकती है तो छत्तीसगढ़ प्रदेश में जहां भोले-भाले, सीधे-सादे लोग रहते हैं।

श्रीमती रश्मि आशिष सिंह :- आपके विपक्ष के द्वारा नाम नहीं दिया गया है। समिति बनी है। सर्वसम्मति से प्रस्ताव होने पर हो जाएगा। ऐसा हम सब का मानना है।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय सभापति महोदय, और इसलिए वह सबसे अच्छा अवसर था जब सदन में मुख्यमंत्री जी शराब बंदी लागू करने के लिए करते। राज्यपाल के अभिभाषण में पृष्ठ 02 में यह कहा गया है। प्रदेश में नगरीय निकायों तथा त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव पूरी पारदर्शिता, निष्पक्षता से संपन्न हुए तथा इससे निचले स्तर पर लोकतंत्र को मजबूती मिली। पहले नगरीय निकायों में हम सीधा चुनाव करते थे। प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली के द्वारा चुनाव होता था और आप इस बात को माननीय राज्यपाल महोदया से असत्य कथन करवा रहे हैं। आप असत्य कथन इसलिये करवा रहे हैं क्योंकि इस सरकार को ये ध्यान नहीं है कि हमने जनता के एक वोट का अधिकार छीन लिया है। पहले नगरीय निकायों में जनता दो वोट डालती थी, पार्षद, महापौर और अध्यक्ष भी चुनती थी, लेकिन आपने जनता से एक वोट का अधिकार छीन लिया, जनता को वंचित कर दिया और आप कहते हैं कि हम लोकतंत्र को मजबूत किये। आपने जनता को मजबूर किया है। लोकतंत्र को मजबूत नहीं किया है और इसलिये हम माननीया राज्यपाल के अभिभाषण का हम विरोध करते हैं। जिस तरीके से अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली से नगरीय निकाय का चुनाव हुआ। आपने मण्डी खोल दी। थोड़ा कले चुप बइठ। पंचायती राज के चुनाव में...।

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- माननीय चंदेल जी, आप सुन तो लीजिए। जिस अप्रत्यक्ष प्रणाली का आप विरोध कर रहे हैं उसी पद्धति से माननीय डॉ. रमन सिंह जी पार्षद बने थे और पार्षद से यहां तक पहुँचे है तो क्या उस सिस्टम को आप गलत बोलते हैं?

श्री नारायण चंदेल :- आप वह सब मोहन जोदड़ो और हड़प्पा के काल को छोड़िए। (हंसी) अभी नये छत्तीसगढ़ निर्माण की तरफ बढ़िए। आप ही ने तो कहा है कि ''गढ़बो नवा छत्तीसगढ़'' तो ''गढ़बो नवा छत्तीसगढ़'' का विजन होना चाहिए। इस पर हम बात कर ले। वे कहां ले गये जिसमें डॉ. साहब बने थे।

श्री रामकुमार यादव :- ये रायपुर में बनाये हे ते काय हे?

सभापति महोदय :- चलिये। आप अपनी बात कहिए।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री नारायण चंदेल :- माननीय सभापति महोदय, हम शराब के बारे में बात कर रहे थे। आज छत्तीसगढ़ में हाका पड़ रहा है कि

"दूध के बंधा गे हे चण्डी

अउ शराब के खुल गे हे गांव-गांव में मण्डी"।

ये स्थिति है अभी उन्होंने कहा कि हम 50 बीयर बारों को बंद करेंगे। हर जिले में इन्होंने प्रीमियम दुकान खोलने की घोषणा की है। जहां 1 हजार रूपये से ज्यादा की शराब बिकेगी। बड़का बोतल। ये सरकार के क्या डाक्यूमेंट है? सरकार का क्या विजन है? वास्तव में हम कांग्रेस के विधायकों से भी कहना चाहते हैं कि अगर नैतिक साहस है तो दल के अंदर भी आपको इस बात का विरोध करना चाहिए। अंतरात्मा की आवाज से विरोध करना चाहिए। छत्तीसगढ़ गलत दिशा में जा रहा है। सरकार की कोई नीति, नीयत नहीं है।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- शराब में आप और आपकी पार्टी क्या चाहती है?

श्री शिवरतन शर्मा :- बंद करो।

श्री नारायण चंदेल :- बंद करो।

श्री रविन्द्र चौबे :- तो सरकार ने जो कमेटी बनाई है, उसमें सुझाव देने के लिए आपके पास समय नहीं है।

श्री शिवरतन शर्मा :- यदि बंद करना है तो कमेटी की आवश्यकता ही क्या है? आपने पूर्ण शराबबंदी का वादा किया है। कमेटी की आवश्यकता ही नहीं है।

श्री रविन्द्र चौबे :- दूसरा डॉक्टर साहब अभी केवल 14 महीने पहले मुख्यमंत्री थे, आपने इतना परिदृश्य से बाहर करने की सोच लिया, आपने उनको मोहनजोदड़ों, हडप्पा काल में भेज दिया। ये बिल्कुल गलत बात है, माननीय सभापति जी, उसको विलोपित कर दें।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय सभापति महोदय, चौबे जी ने जो बात कही है, उसको विलोपित किया जाये। (हंसी)

सभापति महोदय :- चलिये, अब आप अपनी बात समाप्त करिये।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय सभापति महोदय, इस अभिभाषण में किसी प्रकार से जो इस प्रदेश के बेरोजगार नौजवान हैं, उनको रोजगार देने की दिशा में कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। इन्होंने कहा था कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। किस जिले में कितने नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता मिला है जो पंजीकृत बेरोजगार हैं ? पिछले साल भी इसी अभिभाषण में इस बात का उल्लेख था कि इस वर्ष हम 2 लाख बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देंगे। फिर इस बात का उल्लेख इस बार किये हैं। उपाध्यक्ष मिलाकर मात्र 13 लोगों को रोजगार मिला है।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

माननीय सभापति जी, इस सरकार ने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम बिजली बिल हाफ करेंगे। क्या स्थिति है, आप गावों में जा करके देखिये। 6 से 8 घंटे तक बिजली का पता नहीं है। मैं एक दिन एक गांव में साढे 6 बजे शाम को गया था। उसका जो बल्ब जल रहा था, उस किसान ने बताया कि जब बल्ब जलथे तो हमन कन्डील ला जला के देखथन कि बल्ब जलत हे कि नई जलय। इस सरकार की ये स्थिति है। बिजली बिल अनाप-शनाप आ रहे हैं। जिस घर का बिजली बिल 400, 500 और 600 रुपये आना चाहिए, वह 4000, 5000, 6000, 7000 रुपये आ रहा है। वहां पर जब बिजली आफिस में गांव का आदमी जाता है तो वहां पर सौदा होता है। वह ले दे करके हजार, दो हजार रुपये कम कराता है और टेबल के अंदर से लिफाफा पास करता है। ये इस सरकार का विजन है।

सभापति महोदय :- कृपया समाप्त करिये। श्रीमती इंदु बंजारे जी।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय सभापति जी, बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था के बारे में हमारे सब सदस्यों ने कहा है। इस प्रदेश में लगातार हत्या, लूट, डकैती, फिरौती, बलात्कार आम बात हो गई है। हर जिले में वसूली के लिए नाका लगाया गया है। इन सारी बातों को रोकने के लिए सरकार को ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। हेलमेट के नाम पर बिना मतलब के चार्ज किया जा रहा है। ये सारी बातों पर रोक लगाने की आवश्यकता है।

सभापति महोदय :- चंदेल जी, कृपया समाप्त करेंगे।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय सभापति महोदय, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह जी ने 15 साल की सरकार के कार्यकाल में तीर्थ यात्रा योजना चालू की थी, उसको इस सरकार ने बंद कर दिया। इस सरकार को बुजुर्गों की आह लगेगी। 60 साल से ऊपर वाले, 70 साल के लोग तीर्थ यात्रा में जाते थे। श्रवण कुमार का काम हमारे मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह जी ने किया था।

श्री रामकुमार यादव :- चंदेल जी, ओमा पूरा तुहर कार्यकर्ता मन जायें।

सभापति महोदय :- चलिये, माननीय चंदेल जी, अब समाप्त करेंगे।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय सभापति महोदय, जो जनकल्याणकारी योजनायें थीं, उन सारी योजनाओं को इस सरकार ने बंद कर दिया। आप नई योजना चालू नहीं कर सकते, जिस सरकार ने जो अच्छा काम किया था, उस योजना को कन्टीन्यू करते। उसका उल्लेख इस अभिभाषण में होना चाहिए था, लेकिन ये दु:खद है। हमारे जिले के गौठानों में गायों की मृत्यु हो गई। हर जिले में गौमाता की मृत्यु हो रही है। जब से ये गौठान का निर्माण किया है, गायों की मृत्यु दर बढ़ गई है। गाय सड़कों पर आ गई हैं। उसके कारण दुर्घटनायें घटित हो रही हैं।

सभापति महोदय :- चंदेल जी, कृपया समाप्त करेंगे। श्रीमती इंदु बंजारे जी, अपनी बात रखेंगी।

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- अभी तक चल रहा है, आदरणीय अभी कितना और बचा है ?

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री नारायण चंदेल :- माननीय सभापति महोदय, इस सरकार के पास कोई नीति नहीं है, कोई कार्यक्रम नहीं है, कोई विजन नहीं है। कल ही एक प्रश्न के उत्तर में इस सरकार ने स्वीकार किया कि 14 महीने में 57,000 करोड़ रूपये का कर्जा इस सरकार के ऊपर है ।

श्रीमती रश्मि आशिष सिंह :- जिसमें से मोबाईल खरीदने के लिये 40,000 करोड़ पूर्ववर्ती सरकार के हैं। (व्यवधान)

श्री नारायण चंदेल :- माननीय सभापति महोदय, 57,000 करोड़ रूपये के कर्जा के ब्याज के लिये इस सरकार को अब कर्जा लेना पड़ेगा । पाकिस्तान से भी ज्यादा दुर्दशा, आर्थिक दशा इस सरकार की हो गयी है ।

सभापति महोदय :- कृप्या समाप्त करेंगे । (व्यवधान)

डॉ. (श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव :- 45 हजार करोड़ रूपये उधारी छोड़कर क्यों गये हैं। (व्यवधान)

श्री नारायण चंदेल :- माननीय सभापति महोदय, इसलिये हम माननीय राज्यपाल महोदया जी के अभिभाषण का विरोध करते हैं । माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने के लिये समय प्रदान किया इसके लिये धन्यवाद ।

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- माननीय सभापति महोदय, माननीय चंदेल जी कह रहे थे तो यह आपत्तिजनक है कि पाकिस्तान से भी ज्यादा खराब आर्थिक स्थिति है इसको विलोपित किया जाये, हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी है, पैसे की कोई कमी नहीं है, विकास में कहीं कोई कमी नहीं आने दी जा रही है ।

सभापति महोदय :- चलिये आपकी बात आ गयी । श्रीमती इंदू बंजारे जी ।

श्रीमती इंदू बंजारे (पामगढ़) :- माननीय सभापति महोदय, मैं माननीया राज्यपाल महोदया जी के अभिभाषण में बोलने के लिये खड़ी हुई हूं ।

माननीय सभापति महोदय, हमारी जो छत्तीसगढ़ सरकार है उनका प्रमुख नारा था कि हम छत्तीसगढ़ प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी करेंगे लेकिन एक साल बीत गया और छत्तीसगढ़ सरकार ने आजतक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है । यदि छत्तीसगढ़ सरकार वास्तव में शराबबंदी करना चाहती है तो वह एक दिन में ही बंद कर सकती है । उनको केवल दो शब्द बोलने की जरूरत है और वह यह है कि हम पूरे प्रदेश में पूर्ण रूप से शराबबंदी की घोषणा करते हैं ऐसा अगर मुख्यमंत्री जी बोल देंगे तो एक ही दिन में छत्तीसगढ़ प्रदेश में शराबबंदी हो जाएगी । लेकिन हमें बहुत दुखी मन से यह बोलना पड़ रहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार शराबबंदी को बंद करने के बजाय और शराब को बढ़ावा दे रही है । जगह-जगह चौराहों में, गलियों में इसका वितरण हो रहा है और लोग इसको खरीदने के लिये आपस में लड़ाई-झगड़े कर रहे हैं, शराब के नशे में लोग इतने लिप्त हो गये हैं कि अपने घरों में मारपीट कर रहे हैं, जगह-जगह मारपीट हो रही है तो मैं हमारी छत्तीसगढ़ सरकार से यह कहना चाहती हूं कि यदि आप लोग

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

छत्तीसगढ़ प्रदेश में शराब का वध करना चाहते हैं अथवा शराब को बढ़ावा देना चाहते हैं तो केवल शराब ही क्यों अन्य बहुत सारी नशीली चीजें हैं जैसे गांजा और कई ऐसी चीजें हैं जिनका मैं नाम भी नहीं जानती हूं उनको भी आप लोग बेचना चालू कर दीजिये तो उससे तो आप लोगों को बहुत सारी इंकम प्राप्त होगी यदि आप शराब को बेचना चाहते हैं तो और यदि आपको अधिक इंकम करनी है तो हमारे प्रदेश में बहुत सारी ऐसी नशीली वस्तुए हैं जिसका सेवन हमारे बच्चे लोग बचपन से ही, छोटी उम्र से ही करते आ रहे हैं तो उन लोगों को आपका और अधिक संरक्षण मिल जाएगा ।

माननीय सभापति महोदय, अगर हमारी छत्तीसगढ़ सरकार चाहती है कि हमारे छत्तीसगढ़ का विकास हो तो उनको सबसे पहले यह ठोस कदम उठाना होगा कि छत्तीसगढ में शराब को, नशे को बंद करना है तभी हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश का विकास हो पायेगा और हम लोग जो नया छत्तीसगढ़ बनाने का सपना देख रहे हैं वह सपना पूर्ण हो पायेगा । माननीय सभापति महोदय, माननीय राज्यपाल महोदया जी ने जो अभिभाषण प्रस्तुत किया है उसमें जो हमारे बेरोजगार युवा भाई हैं उनको बेरोजगारी भत्ता देने का जो उल्लेख सरकार में आने से पहले जो हमारी छत्तीसगढ़ सरकार ने कही थी उसका उल्लेख माननीय महोदया के अभिभाषण में नहीं है और दूसरी बात जो दो दिनों से यह चर्चा हो रही है कि मजदूर और किसान जो कर्ज में डूब जाते हैं और पलायन करने चले जाते हैं तो उनको भी कार्ययोजना देने का कोई उल्लेख नहीं हुआ है ।

माननीय सभापति महोदय, माननीय राज्यपाल महोदया जी के अभिभाषण में यह उल्लेख तो हुआ कि हम शिक्षा के स्तर को आगे बढ़ाने के लिये 15,000 शिक्षकों की भर्ती करेंगे लेकिन जर्जर स्थिति में जो स्कूल भवन हैं या कई ऐसी जगह हैं जहां भवन ही नहीं हैं उनका उल्लेख माननीय महोदया जी के अभिभाषण में नहीं आया है। खासकर मेरे क्षेत्र में जो विवादित शराब भट्टियां हैं उनको भी बंद करने का उल्लेख माननीय महोदया के अभिभाषण में नहीं आया है । माननीय सभापति महोदय, स्वास्थ्य के स्तर को आगे बढ़ाने के लिये जो डॉक्टर की कमियां हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में है उनकी भी भर्ती करने का उल्लेख माननीय राज्यपाल महोदया के अभिभाषण में नहीं आया है और हमारे पुलिस विभाग में भी बहुत सारे रिक्त पद हैं उसकी भी भर्ती करने का उल्लेख माननीय महोदया के अभिभाषण में नहीं आया है तो मैं इन सभी कमियों को पूरा करने की मांग मैं छत्तीसगढ़ सरकार से करती हूं और एक निवेदन भी करना चाहूंगी कि हम जैसे जनप्रतिनिधियों का अधिकारी-कर्मचारी लोग बहुत ही निरादर करते हैं यह मेरी ही बात नहीं है, छत्तीसगढ़ प्रदेश के हर प्रतिनिधि की बात है ।

समय :
5:25 बजे

(सभापति महोदय (श्री शिवरतन शर्मा) पीठासीन हुए)

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

आज सुबह ही जब मैं विधान सभा आ रही थी तो चौक में जो बैरियर लगा हुआ है, वहां मेरी गाड़ी को 10 मिनट खड़ा कर दिया गया ।

सभापति महोदय :- इंदू जी, एक मिनट । सभा के समय में 6.00 बजे तक की वृद्धि की जाए । मैं समझता हूं सदन इससे सहमत है ।

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई)

श्रीमती इंदू बंजारे :- सभापति महोदय, जैसा कि मैंने बताया, अभी जब मैं विधान सभा आ रही थी तो चौक में लगे हुए बैरियर पर मेरी गाड़ी को 10 मिनट रोक दिया गया और मुझे आने की अनुमति नहीं दी जा रही थी । ऐसा अगर हमारे साथ विधान सभा में हो रहा है तो आप सोच सकते हैं कि अपने जिले में, प्रदेश में जनप्रतिनिधियों के साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा होगा ?

श्री सौरभ सिंह :- सभापति महोदय, माननीय विधायक जी बहुत गंभीर मामले पर बोल रही हैं । निवेदन है इस पर विचार हो ।

डॉ. (श्रीमती) रश्मि आशिष सिंह :- विशेष तौर पर महिला विधायक हैं, मैं सभी से आग्रह करूंगी कि सुना जाए ।

श्रीमती इंदू बंजारे :- हमारे साथ ऐसा न हो । इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूं । आपने बोलने का समय दिया उसके लिए धन्यवाद् ।

श्री सौरभ सिंह :- फिर से दोहरा दीजिए क्या हुआ ।

श्रीमती इंदू बंजारे :- जी, मेरा छोटा बच्चा है इसलिए मुझे आने में देर हो गई। साढ़े 11 के करीब मैं यहां विधान सभा पहुंची । चौक में जो बैरियर लगा है वहां मेरी गाड़ी को 10 मिनट रोक दिया गया । मेरे मेजर लोगों ने उनसे कहा कि अंदर मैडम बैठी हैं उसके बावजूद भी उन्होंने नहीं खोला और उल्टा उन्हीं से जवाब-तलब करने लगे कि आप हमारे बड़े अधिकारी से बात कर लो । जब मेजर उनके पास गया तब जाकर उन्होंने बैरियर खोला । मुझे वहां पर 10 मिनट इंतज़ार करना पड़ गया ।

श्री नारायण चंदेल :- यह विशेषाधिकार का मामला है । विधायक को रोका जाना एक गंभीर मामला है ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- सभापति जी, अगर विशेषाधिकार में देंगे तो उसमें आसंदी का अधिकार है । लेकिन जिस बैरियर में सत्र के चलते, माननीय सदस्य विधान सभा, विधान सभा आ रहीं थीं, जिसने भी 10 मिनट रोकने का काम किया है । यहां चीफ़ सक्रेटरी जी बैठे हैं, मैं सदन में कह रहा हूं उसके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई तत्काल होनी चाहिए (मेजे की थपथपाहट) ।

श्रीमती इंदू बंजारे :- बहुत बहुत धन्यवाद् ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी (मस्तुरी) :- माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय राज्यपाल महोदया द्वारा प्रस्तुत अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव के विरोध में खड़ा हुआ हूं । सभापति महोदय, सरकार की जिस तरह की कार्यप्रणाली है। इसका उदाहरण आप सबने प्रस्तुत किया कि धान खरीदी में इस बार जिस तरह की व्यवस्था बनाई गई थी, किसान पैर पड़ पड़करके, तोर पांव पड़त हौं भइया मोर धान ला खरीद ले । व्यापारियों के पैर पड़वा दिये, ऐसी व्यवस्था इन लोगों ने लागू की है, जिसका कि मैं विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं । सभापति महोदय, साथ ही साथ आज धान खरीदी के सारे विषय आ गए हैं, जिनका विरोध है ।

सभापति महोदय, स्वास्थ्य का ऐसा हाल है जिसकी कल्पना नहीं कर सकते । इसमें स्वास्थ्य का कहीं उल्लेख नहीं है । आज स्मार्ट कार्ड खत्म हो चुका है, जो गरीब कार्ड लेकर चले जाते थे, अपना इलाज कराते थे, उस हॉस्पीटल की दुर्गति कर दी गई । वे 50 हजार की सुविधा प्राप्त करते थे उसको खत्म कर दिया गया ।

डॉ. (श्रीमती) रश्मि आशिष सिंह :- खत्म नहीं हुआ है भईया, वही इलाज राशन कार्ड से हो रहा है ।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- वह पांच लाख हो गया है ।

डॉ. (श्रीमती) रश्मि आशिष सिंह :- आयुष्मान में जो अस्पताल संलग्न थे वे अभी भी दे रहे हैं ।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- किन-किन अस्पतालों में उन गरीबों का इलाज हो रहा है ज़रा उनकी सूची उपलब्ध करवा दीजिए ।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- मैंने खुद बालाजी अस्पताल में दो मरीजों का किया है।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- जो भी है उसकी सूची उपलब्ध करवा दीजिए ।

डॉ. (श्रीमती) रश्मि आशिष सिंह :- हम भी रोज अपने क्षेत्र के लोगों को भर्ती करवा रहे हैं, राशन कार्ड का केवल 14 डिजिट का नम्बर बताने पर उनका एडमिशन हो जाता है ।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- आप सूची उपलबध करवा दीजिएगा ।

सभापति महोदय :- बांधी जी, आप आसंदी की ओर देखकर बोलिए ।

श्री अमरजीत भगत :- सभापति महोदय, इनकी हमेशा इधर-उशर देखने की आदत रही है । अचानक कैसे सुधरेगी ?

डॉ. कृष्णूर्ति बांधी :- सभापति महोदय, आज कौन सा ऐसा गांव है। कोई भी अधिकारी, कोई भी कर्मचारी, कोई भी जाकर पूछे कि इस गांव में कोचिये कितने हैं तो दर्जनभर से कोचियों का लिस्ट आ जाएगा। गांव में शराब का ऐसा कोचियागिरी बढ़ा है। इतनी सहजता से उपलब्ध करने की जो कार्यप्रणाली या योजना है, उसके कारण मैं माननीय राज्यपाल के अभिभाषण का विरोध करता हूं। बस्तर के लोहाण्डीगुड़ी की एक बात आयी है। आदिवासियों का टाटा ने भूमि अधिग्रहण किया। लगभग 4 हजार या

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

5 हजार जो भी एकड़ जमीन है, उसे वापस किया गया। ऐसा प्रदेश में कितने ही जिले व विकासखंड हैं, जिनके उद्योपतियों ने उनकी जमीन को अधिग्रहित किया और नाम देते हैं कि हमने आपसी समझौता से लिया। उसे आद्योगिक नीति का रत्ती भर फायदा नहीं दिया। दलालों के माध्यम से कराया। मेरे ही विधान सभा क्षेत्र में करीब साढ़े 3 हजार एकड़ जमीन है, जिसे उद्योगों ने लिया, लेकिन सरकार ने उनके लिए रत्ती भर जांच की बात नहीं की। मैं कह-कह कर थक गया। इसलिए मैं विरोध कर रहा हूं। अनुसूचित जाति की बात आती थी तो ये कहते हैं कि हम अनुसूचित जातियों की शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण सुधार कर रहे हैं। राज्यपाल के अभिभाषण में आपने अनुसूचित जाति, जनजाति के लिए पोस्ट मेट्रिक हॉस्टल जहां पर उनकी उच्च शिक्षा की गुणवत्ता का काम होता है, वह कितनी संख्या में है? क्या आपने इसके आंकड़े प्रस्तुत किये ? आज अनुसूचित जाति, जनजाति की उच्च शिक्षा के लिए केवल stipend बढ़ाया लेकिन उनकी जो मूल सुविधा है, उनके हॉस्टल की संख्या बढ़नी चाहिए। उनकी सीट बढ़नी चाहिए, इसके लिए रत्ती भर कदम नहीं बढ़ाया गया। इसलिए मैं विरोध कर रहा हूं। आरक्षण में सबके साथ न्याय हुआ और जब हम लोगों से सुप्रीम कोर्ट के कारण चूक हुई कि अनुसूचित जाति का आरक्षण 16 प्रतिशत से 12 प्रतिशत हुआ, लेकिन सबका आरक्षण बढ़ा तो अनुसूचित जाति के लोग भी बड़ी उम्मीद के साथ कांग्रेस की ओर देख रहे थे कि कांग्रेस के लोग हमारे साथ न्याय करेंगे और अनुसूचित जाति के आरक्षण को मात्र आधा परशेंट बढ़ाया गया और इस तरीके से अनुसूचित जाति के लोगों के साथ बहुत बड़ा छल किया गया।

श्रीमती रश्मि आशिष सिंह :- आपकी सरकार ने तो घटा दिया था।

श्री रामकुमार यादव :- बांधी साहब जी, बाबा साहब जी ने कहा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी ही हिस्सेदारी। तो यहां पर अनुसूचित जाति का प्रतिशत 12.44 है, इसलिए जितना बनता है, उतना दिये हैं।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- रामकुमार भाई बहुत अच्छे हैं।

सभापति महोदय :- बांधी जी, आसंदी की ओर।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- सभापति महोदय, प्रायमरी स्कूल का मीडिल स्कूल में उन्नयन। अभी बहुत सारे विकासखंड हैं। मेरे ही विधान सभा में कई क्षेत्रों में मीडिल स्कूल का उन्नयन करना चाहिए। चूंकि कहीं भी मीडिल स्कूल की बातचीत नहीं आयी है। मीडिल स्कूल के लिए शासन की जो सरस्वती योजना से साइकिल मिलता था, 8 वीं क्लास से मिलता था, उन्हें कोई सुविधा नहीं मिलती और वे बहुत दूर जाकर के शिक्षा ग्रहण करते हैं। इसलिए प्रायमरी एज्यूकेशन का मीडिल ड्राप आउट संख्या बहुत बढ़ा हुआ है। इस ड्राप आउट संख्या में बहुत तेजी आ रही है। अगर हम प्रोमोशन नहीं करेंगे तो बच्चों की जो ड्राप आउट संख्या है, उसमें हमारा नियंत्रण नहीं हो पायेगा। सभापति महोदय, हमने नये ग्राम पंचायतों के गठन का बहुत मामला उठाया। बहुत सारी प्रक्रियाएं चली थीं, लेकिन नये विकासखंडों का जो मापदण्ड

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

पूरा करते हैं। इन नये पंचायतों के गठन के समय में नये विकासखंडों की भी घोषणा होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसे नये विकासखंडों के निर्माण के संदर्भ में इस भाषण में कोई रत्ती भर वर्णन नहीं है। इसलिए माननीय राज्यपाल के अभिभाषण का मैं विरोध करता हूं।

सभापति महोदय :- समाप्त करें।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- बस एक मिनट। सरकार सभी समाज की सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने के लिए कई कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। मैं सरकार से भी अनुरोध करता हूं कि इसमें बहुत बड़ी संख्या में अनुसूचित जाति के सतनामी समाज के परम पूज्य गुरू घासीदास बाबा को मानते हैं। उनकी पंथी नृत्य है, उनको भी इसमें शामिल करना चाहिए जो इसमें नहीं किया गया है। इसलिए मैं अभिभाषण का विरोध करता हूं।

सभापति महोदय, दूसरी बात, गरूवा, गौठान सब चीज चल रहा है। नारायण भैय्या सही कह रहे थे कि गायों की मृत्यु दर बढ़ी है। इस सरकार के कार्यकाल में जिस तरीके से गायों के प्रति नजरिया, गायों के प्रति जो योजना बनी है, उसमें गायों की मृत्यु दर बढ़ी है। गायों के साथ दुर्घटना के होने के कारण दूसरे लोगों की मृत्यु दर भी बढ़ी है, वह जबर्दस्त बढ़ी है। इसके लिए रत्ती भर सोच नहीं है। इन गायों के प्रति रत्ती भर सोच नहीं है। केवल गौठान बनाने की बात है। आपने भी बहुत सही कहा कि आप एक ऐसा लाटरी निकाल लीजिये। उस लाटरी में जो गौठान होगा, बेहतर गौठान होगा, उसका हम सब लोग जाकर अध्ययन करें कि उसकी बेहतर व्यवस्था कैसे है ? यह कोरी कल्पना है। केवल छत्तीसगढ़ के लोगों की भावनाओं को खेलने वाली बात दिखाई देती है और दूसरी कोई बातचीत नहीं है। गौ-माता को हम माता मान रहे हैं, लेकिन उसकी जो दुर्दशा यहां पर हो रही है, वह दुर्दशा गौमाता के साथ पहले कभी नहीं हुआ है, जो अभी हो रहा है। सभापति महोदय, इसलिए मैं इनका विरोध करता हूं। खासकर प्राधिकरण में अध्ययन कैसा-कैसा है, आने वाले बजट में पता चल जायेगा। सिंचाई विकास का प्रतिशत जो क्षेत्र और जो जिलें नदियों से परिपूर्ण हैं, उनके प्रति इनका क्या कान्सेप्ट है, ऐसा केवल एक प्राधिकरण गठन करने का है, जो ठीक लग रहा है। लेकिन दिख जायेगा कि यह प्राधिकरण केवल कोरी कल्पनाओं पर आधारित है। इसकी कोई जमीनी हकीकत दिखने वाली नहीं है। अमृत मिशन के अन्तर्गत जो बात आई है, वास्तव में वह लागू होना चाहिए। उसके लिए जो भी प्रयास होना चाहिए, वह प्रयास करना चाहिए। इतना कहकर अपनी बात को समाप्त करता हूँ। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, धन्यवाद।

डॉ.(श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव (सिहावा) :- माननीय सभापति महोदय, राज्यपाल महोदया के अभिभाषण के समर्थन में मैं अपनी बात रखना चाहती हूं। जितनी भी बातें माननीय राज्यपाल महोदया के अभिभाषण में शामिल की गई है, वह भारतीय संविधान के भाग-4 को पूरा करने या क्रियान्वित करने की ओर सरकार संकल्पित है। हमारी सरकार ने अपनी सांस्कृतिक धरोहर और विभूतियों के सम्मान की

परिपाटी को बढ़ाते हुए स्वामी विवेकानंद और भगवान श्रीराम के वन गमन की ओर कदम बढ़ाया है। यह बहुत ही सराहनीय है। कांग्रेस पार्टी हमेशा अपने पूर्वजों का सम्मान करती है और उनके पूर्वजों के आशा के अनुरूप कार्य करने के लिए दृढ़ संकल्पित है।

माननीय सभापति महोदय, 10 वर्षों के लिए आरक्षण को बढ़ाया गया है, वह बहुत ही सराहनीय कदम है। एस.टी., एस.सी., ओ.बी.सी. और अल्प संख्यक वर्गों के कल्याण के लिए जो आरक्षण बढ़ाया गया है, उससे निश्चित तौर से इस वर्ग के जनमानस काफी प्रसन्न हैं। क्योंकि अभी जितने विकास की आवश्यकता है, उतना उनका विकास नहीं हुआ है। अभी भी इन वर्गों को आरक्षण की आवश्यकता है। यदि आप दूरदराज के इलाकों, जंगल के इलाकों का परिभ्रमण करेंगे, तो निश्चित तौर से सभी वर्गों को लगेगा कि नहीं, इन वर्गों को आरक्षण की आवश्यकता है। इस कदम को हमारी राज्यपाल महोदया ने उठाया है और सरकार ने समर्थन किया है। बहुत ही सराहनीय कदम है। मैं इसका समर्थन करती हूँ।

माननीय सभापति महोदय, प्रदेश में नगरीय निकाय और पंचायती राज के चुनाव हुए। ये जो लोकतन्त्र के सिद्धांत हैं, उससे जनता चिर-परिचित हुई है। जो चुनाव हुए हैं, वे बहुत पारदर्शी तरीके से हुए हैं, चुनाव निष्पक्ष हुए हैं। जनता को लोकतन्त्र का पाठ सीखने का मौका मिला है और उसके अनुरूप उन्होंने अपना मतदान व्यवहार प्रदर्शित किया है।

माननीय सभापति महोदय, बस्तर के आदिवासी परिवार, जो नक्सली हमलें से पीड़ित थे, उसके लिए पटनायक कमेटी बनाई गई थी। उसके तहत निर्दोष लोगों को छोड़ा गया है। वह भी एक सराहनयी कदम है। क्योंकि जिस एरिया में नक्सली घटना घटित हो रही है, वहां की जनता के लिए एक तरफ पहाड़ है और दूसरी तरफ खाई है । ऐसी स्थिति में उनकी पीड़ा को दूर करना सरकार का सराहनीय कदम है क्योंकि नक्सली हमले से उनका सामाजिक और आर्थिक पहलू कमजोर हो रहा था, साथ ही पीड़ित और भयभीत होकर जीवन जी रहे थे और उस ओर सरकार का ध्यान गया और सरकार ने जो इनको रिहा किया है, वह अवश्य ही दूरदर्शी निर्णय है और जो पीड़ा वे झेल रहे थे, उससे उनको छुटकारा मिला है। उसी तरह से बस्तर के लोहण्डीगुड़ा के आदिवासियों को भी न्याय मिला है क्योंकि आजतक आदिवासियों की जमीनों को हमेशा छीना गया है और जब उनसे जमीन छीनी जाती है तो आदिवासी और गरीब से गरीब होता गया है । इस ओर सरकार का ध्यान गया है और सरकार ने उनकी पीड़ा को दूर करने का प्रयास किया है, मैं इसको बहुत ही सराहनीय कदम मानती हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि इससे आदिवासियों के विकास की ओर एक कदम बढ़ा है और उनकी जो हीन भावना थी, वह भी दूर हुई है इसलिए इस कदम की भी मैं सराहना करती हूं ।

माननीय सभापति महोदय, उसी तरह से अनुसूचित जनजातियों के जो तेंदूपत्ता की जो नीति है, उसके बारे में भी कहना चाहती हूं क्योंकि आदिवासी पूरे गर्मी भर मई के महीने में पत्ता तोड़ते थे, उनके पैरों में चप्पलें भी नहीं होती थीं, पिछली सरकार ने चप्पलें भी दीं, उसमें एक पैर छोटा और एक

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

पैर बड़ा ऐसे भी चप्पल मिला, जो पीड़ादायक थी । उनके साथ छलावा किया गया, लेकिन हमारी सरकार ने उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए 25 सौ रूपये से 4 हजार रूपए किया है, वह भी एक अभूतपूर्व कदम है जिससे उनकी आर्थिक स्थिति बढ़ी है । (मेजों की थपथपाहट) उसी तरह से एस.टी., एस.सी., आदिवासी छात्रों के छात्रावास में जो छात्रवृत्ति, शिष्यावृत्ति दी जाती थी, वह बहुत कम थी और उसे हमारी सरकार ने एक हजार रूपये प्री मैट्रिक छात्रावास के लिए और पोस्ट मैट्रिक छात्रावास के लिए 700 रूपये बढ़ाया है, वह भी बच्चों के विकास के लिए, बच्चों के उत्थान के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर दिलाया गया है । अभी तो इतना ही दिलाया है, लेकिन मैं सरकार से और प्रार्थना करती हूं क्योंकि जो प्राइवेट कालेजों की फीस बहुत ज्यादा है और वहां वे एडमिशन नहीं ले पाते । सरकार की जो संस्थाएं हैं, वहां तक वे सीमित रह जाते हैं और प्राईवेट कालेज खाली रह जाती है और आदिवासी बच्ची वहां एडमिशन नहीं ले पातीं तो मैं इसकी प्रशंसा करती हूं, समर्थन भी करती हूं, लेकिन आगे और अनुरोध करती हूं कि इनका जो शिष्यवृत्ति है, वे प्राईवेट कालेज की फीस के अनुसार यदि बढ़ा दी जाए तो उससे छात्रों को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा और यदि उसमें समन्वित प्रयास किया जाता है तो यह सरकार का बहुत अच्छा कदम होगा । उसी तरह से आदिवासी क्षेत्रों में पी.डी.एस. के द्वारा या छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में जो 35 किलो चांवल दिया जा रहा है, वह बहुत ही अच्छा अवसर है। इससे सभी लोग लाभान्वित हुए हैं । इसके साथ-साथ जो अमीर वर्ग के लोग हैं, उनको भी 10 रूपए किलो में चांवल दिया जा रहा है तो किसी भी व्यक्ति को खाने के लिए या भूख की तड़प थी, उस भूख को सरकार सुरक्षित कर रही है। जंगल इलाकों में आदिवासी वर्ग के लोग हैं, जिनको आयोडीन की कमी के कारण बहुत सारी बीमारियां हो जाती है, जिसके कारण प्रोटीन नहीं मिलता है तो बच्चों की सुपोषण योजना के साथ-साथ चांवल और दो किलो गुड़ और आयोडीन नमक दी जा रही है । श्रेष्ठ मानव संसाधन के विकास के लिए ऐसा अवसर जो सरकार ने दिया है, वह भी सराहनीय कदम है । बहुत सारी बातें बोलना चाहती हूं, लेकिन समय के अभाव के कारण मैं यहीं पर अपनी बात समाप्त करती हूं, लेकिन राज्यपाल महोदया ने जो अभिभाषण दिया है, उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करती हूं क्योंकि संविधान के भाग-4 को उन्होंने पूरी तरह से क्रियान्वित करने का प्रयास किया है । धन्यवाद ।

श्री सौरभ सिंह (अकलतरा) :- माननीय सभापति महोदय, माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता प्रस्ताव के विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ । माननीय सभापति महोदय, 14 महीने से जब से सरकार बनी है, तब से सिर्फ एक बात होती है, टाटा को हमने बस्तर की जो जमीन थी, किसानों को वापस कर दिया । आपने बहुत अच्छा किया कि जमीन को वापस कर दिया । प्रदेश में 12-14 जगह ऐसे हैं, जहां पर किसानों की जमीनों का अधिग्रहण हुआ है, उद्योग नहीं लगा है, क्या वहां की जमीन को वापस करेंगे ? जांजगीर-चांपा जिले में मोजर बेयर संयंत्र है, मैं नहीं बताना चाहता कि मोजर बेयर किसका संयंत्र है ? श्याम सेंचुरी संयंत्र है, आधुनिक पॉवर संयंत्र है, इनके लिए जमीन का

अधिग्रहण हुआ है । जमीन का अधिग्रहण होने के बाद उद्योग नहीं लगा है । राज्यपाल के अभिभाषण में बार-बार वही कहानी की हमने जमीन वापस कर दी । अगर किसानों को जमीन वापस करने के लिए सरकार कटिबद्ध है तो इन उद्योगों की भी जमीन वापस होनी चाहिये । यह सारी लिस्ट बननी चाहिये कि ऐसे उद्योग जिनके जमीन का अधिग्रहण किया और आज प्रदेश में उद्योग नहीं लगाये हैं, उनके सारे उद्योग की जमीन वापस होनी चाहिये । माननीय सभापति महोदय, एक और शब्द का उल्लेख आता है कि आदर्श पुनर्वास नीति का पालन हो रहा है । किस प्लाण्ट में आदर्श पुनर्वास नीति का पालन हो रहा है ? कहां पर सी.एस.आर. की राशि का खर्च हो रहा है ? आज अगर सी.एस.आर. की राशि के नियम और मापदण्ड केन्द्र सरकार ने तय किये हैं, उसका इस सदन में एक व्हाईट पेपर आना चाहिये। कितने उद्योग यहां पर चल रहे हैं, उनका कितना टर्नओव्हर है, कितना उनका प्राफिट है ? उस टर्नओव्हर और प्राफिट के हिसाब से एक श्वेतपत्र आना चाहिये कि कितना पैसा खर्च कर रहे हैं ? आप बगल के राज्य उड़ीसा में जाकर देखिये, किस ढंग से वहां पर श्वेतपत्र लेकर, फायनेंस की एक्सट्रा व्यवस्था कर वहां पर खर्च किया जा रहा है, सी.एस.आर. की मीटिंग होनी चाहिये और यह तय होना चाहिये कि उसको किस मापदण्ड में खर्चा करेंगे ? धूल हम खायें, जमीन हमारी खोदी जाये, मुंबई में पैसा खर्च हो ? क्यों मुंबई में पैसा खर्चा हो ? उद्योगों का पैसा छत्तीसगढ़ में खर्चा होना चाहिये । उसकी मीटिंग होनी चाहिये । मीटिंग में तय होना चाहिये कि ....।

श्री सौरभ सिंह :- सौरभ जी, यह आपके समय में होता था । अभी तो इसका कांसेप्ट बदल दिया गया है । अब तो जिले में ही इसका कमेटी बना दिया गया है । जनप्रतिनिधियों को इसमें प्रभारी बना दिया गया है ।

श्री सौरभ सिंह :- सभापति महोदय, मैं डी.एम.एफ. की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सी.एस.आर. की बात कर रहा हूँ । दोनों अलग-अलग चीजें हैं । मैं सी.एस.आर.की बात कर रहा हूँ । सी.एस.आर. की नीति अलग है, डी.एम.एफ. की नीति अलग है । डी.एम.एफ. में जो हुआ है, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ । आपने आदर्श पुनर्वास की नीति के पालन की बात किया है । मैं उसको बोल रहा हूँ । आज उद्योगों में छत्तीसगढ़ के बाहर के लोगों को क्यों नौकरी मिल रही है, यहां के लोगों को नौकरी क्यों नहीं मिल रही है ? उसके लिए श्वेत पत्र आना चाहिये । आदर्श पुनर्वास नीति का पालन तब होगा, माननीय राज्यपाल के अभिभाषण में आदर्श पुनर्वास की नीति का पालन हो रहा है, नीति का पालन ग्राउंड लेवल पर कितना हो रहा है । किस उद्योग द्वारा पालन किया जा रहा है ? इस पर श्वेतपत्र लाने की आवश्यकता है । शिक्षा के क्षेत्र में बात हुई, मैंने अकलतरा के बी.एम.ओ. कार्यालय का ध्यानाकर्षण लगाया है, बी.एम.ओ. कार्यालय में 26 प्रकरण ऐसे पड़े हुये हैं, जहां बिना पैसा दिये, जो सेवानिवृत्त शिक्षक हैं, उन शिक्षकों का सेवानिवृत्ति प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है । कुछ पैसा दो तो प्रोविडण्ड फण्ड, ग्रेच्यूटी का पैसा बनेगा, नहीं तो नहीं बन रहा है, उनकी पेंशन चालू नहीं हो रही है । इस तरह से

अप्रकाशित/प्रकाशन के लिए नहीं

शिक्षकों के साथ खेलगढ़िया की कुछ राशि इश्यू हुई है । उसमें बी.एम.ओ. खुले आम पैसा मांग रहे हैं । इतना पैसा चाहिये तो खैरगढ़िया का पैसा सी.एस.आर.से होगा । यह एक विकासखण्ड में हो रहा है तो अन्य विकासखण्डों में भी हो रहा होगा । माननीय सभापति महोदय, इसके साथ-साथ मनरेगा का जिक्र आता है । मनरेगा में क्या काम हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, मैं इस 14-15 महीने की सरकार में जानना चाहता हूँ । फारेस्ट में मनरेगा का कोई काम हुआ, इरिगेशन में मनरेगा का कोई काम हुआ, ग्रामोद्योग में मनरेगा का कोई काम हुआ, इस विभाग के कोई व्यक्ति इस चीज के लिए तैयार ही नहीं है कि हम इसमें मनरेगा का काम करें । तालाब गहरीकरण का काम, सिंचाई के छोटे बांधों के गहरीकरण का काम, फारेस्ट में सी.पी.टी. बनाने का काम, ग्रामोद्योग में कोसा के बाड़ी है, सी.पी.टी. का काम, एक भी काम मनरेगा के कर्मचारी करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि व्यवस्था नहीं है । डब्लू.बी.एम. की सड़क मिल जाये तो बहुत अच्छी बात है, उसके बाद की कोई बात नहीं है। मनरेगा का पैसा इन चीजों के लिए भी खर्च होना चाहिए था। सिर्फ राज्यपाल के अभिभाषण में मनरेगा चल रहा है और बहुत अच्छा चल रहा है, इतने लोगों को रोजगार मिल रहा है उससे कुछ नहीं होने वाला है। आज माननीय सिंचाई मंत्री जी बैठे हैं। जलाशयों के गहरीकरण का काम 30-40 साल 45 साल पहले जब यहां पर बहुत वृहद परियोजनाएं नहीं आई थीं तो छोटे-छोटे जलाशय थे जिनसे सिंचाई की व्यवस्था की जाती थी। कहीं 100 एकड़, कहीं 150 एकड़, कहीं 400 एकड़ इस प्रकार से सिंचाई की व्यवस्था की जाती थी। उस पर क्या योजना है? अगर बजट में योजना आयेगी तो उसका स्वागत है। लिफ्ट एरीगेशन योजना- जहां पर लिफ्ट एरीगेशन की योजनाएं हैं वह सारी लिफ्ट एरीगेशन की योजनाएं बंद हैं। कोई लिफ्ट एरीगेशन की योजना नहीं चल रही है। जो लिफ्ट एरिगेशन की समितियों का संचालन करेंगी उन समितियों के संचालन की कोई व्यवस्था नहीं है। एक पत्र लिख देना, बात लिख देना कि लिफ्ट एरीगेशन चल रही है, सिंचाई की क्षमता बढ़ रही है आखिर सिंचाई की क्षमता बढ़ेगी कैसे? जब बजट का पैसा उसके ऊपर खर्च नहीं होगा, जब प्लगिंग नहीं होगी, जहां पर नहर टूटी है उसकी मरम्मत नहीं होगी तो सिंचाई की व्यवस्था कैसे होगी? यहां पर अभिभाषण में सी.एम.जी.एस.वाई. का जिक्र है। सी.एम.जी.एस.वाई. की योजना माननीय डॉ. रमन सिंह जी की सरकार ने चालू की थी। अब वह सड़कें 5-7 साल पुरानी हो गईं उस सी.एम.जी.एस.वाई. की सड़कों के मेंटेनेंस के लिए कहीं पर भी एक रूपये के बजट का एलोकेशन नहीं है। यहां कहा जाता है कि प्रधानमंत्री सड़क के लिए भी राज्य सरकार का बजट दिया जाता है। पिछले दो बजट से जो पैसा दिया जा रहा है, वह पैसा पर्याप्त नहीं है। वह पैसा नहीं देने के कारण, मेंटेनेंस की व्यवस्था नहीं करने के कारण सारे विधायकों के विधानसभा क्षेत्र में सारे विधायकों की चिन्ता है कि प्रधानमंत्री सड़क योजना की सड़कों का प्रापर मेंटेनेंस नहीं हो रहा है और उसके बाद जो सी.एम.जी.एस.वाई. की सड़कें बन गई और जिन्हें बने 5 साल से ज्यादा हो गये उनके मेंटेनेंस के लिए कहीं पर भी एक रूपये की भी व्यवस्था नहीं है। आगे कैसे सड़क का मेंटेनेंस होगा?

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

माननीय सभापति महोदय, बेरोजगारों की बात कर रहे थे कि उनको रोजगार कैसे मिलेगा। रोजगार के श्रृजन की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। रोजगार कार्यालयों में बेरोजगार बैठे हुए हैं और रोजगार के श्रृजन की कोई व्यवस्था नहीं है। यहां से दो किलोमीटर दूर सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया मांढर का बंद प्लांट पड़ा है। ऐसे अनेकों प्लांट हैं जो कि बंद पड़े हुए हैं, उन प्लांटों को चलाने के लिए क्या व्यवस्था की गई है? आप इनवेस्टर लाने के लिए अमेरिका जा रहे हैं। इन्वेस्टर अमेरिका में नहीं, यहां बैठा हुआ है। आप अपनी जो चीजें हैं उनको तो बेचने की व्यवस्था करवाईये। एन.सी.एल.टी. का प्लांट है, के.एस.के. महानदी एन.सी.एल.टी. में है आर.के. एम. एन.सी.एल.टी. में है, एथेना पॉवर एन.सी.एल.टी. में है, लैंको अमरकंटक एन.सी.एल.टी. में है। जो एन.सी.एल.टी. का प्लांट है जो बीडर एन.सी.एल.टी. के लिए आ रहा है सरकार की जिम्मेदारी होती है कि उस बीडर को इस चीज के लिए प्रेरित करे कि आप आईये और चलता उद्योग बंद न हो, लोग बेरोजगार न हों और उन उद्योगों को चलने की व्यवस्था की जाए। वह कोई व्यवस्था नहीं है तो बाहर का क्या इनवेस्टर आयेगा, जो यहां का इन्वेस्टर लेने के लिए तैयार है। जिस उद्योग में जमीन चली गई, पानी चला गया, सब कुछ चला गया उसमें लोगों की जमीन चली गई उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- यहां का कौन इन्वेस्टर तैयार है? पूरे प्रदेश में एक ही आदमी आकर सबको खरीद रहा है। मालूम है न उसका नाम या दिल्ली वालों से पूछकर बताना पड़ेगा? बाकी कोई तैयार नहीं है। आप अमेरिका की बात कर रहे हो, हम लोग तो सुनते थे टेक्सास से क्या करके आये थे, वह उधर बैठते हैं, कभी उनके बारे में बोले हो?

श्री सौरभ सिंह :- माननीय सभापति महोदय, जिनका वह नाम ले रहे हैं कि वह यहां आकर काम कर रहे हैं वह उदयपुर में क्या कर रहे हैं और किसके साथ काम कर रहे हैं? मैं इसके बारे में चर्चा नहीं करना चाहता, यह सदन के पहलू के बाहर है। उदयपुर में भी कुछ काम हो रहा है, सरगुजा में भी काम कर रहा है। वह वहां पर कुछ और यहां पर आते हैं तो कुछ और हो जाता है। उदयपुर में भी काम चल रहा है और उदयपुर में कौन काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, उदयपुर में किसके संरक्षण में काम हो रहा है, उसकी चर्चा मैं नहीं करना चाहता। वह बात नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, आबकारी नीति की बात हो रही थी। सरकार एक आबकारी नीति ला रही है। जितनी शराब दुकानें हैं उनको कहा गया है कि पृथक कर दिया जाए। पहले अंग्रेजी और देशी शराब दुकान एक साथ चल रही थी उनको कहा गया कि आप अलग करके दो किलोमीटर आगे खोलो। देशी शराब दुकान और अंग्रेजी शराब दुकान के बीच में दो किलोमीटर का फासला होगा। अब दो किलोमीटर के फासले में दो अलग-अलग काउंटर खुल गए। अब देशी के काउंटर में अंग्रेजी और अंग्रेजी के काउंटर में देशी, माने डबल बिक्री की तैयारी और शराब बंदी की बात हो रही है।

श्री मोहन मरकाम :- आप कौन सा लेते हैं, देशी या विदेशी कौन सा लेते हैं बताईये ना?

श्री सौरभ सिंह :- माननीय सभापति महोदय, मैं कुछ नहीं लेता। उसकी आप चिन्ता मत करिये। ये जो नीति है उसे पब्लिक देख रही है। जो प्रीमियम दुकान की बात है यह भी पब्लिक देख रही है।

माननीय सभापति महोदय, आज गौण खनिज की जो राशि है जिस पर जनपद पंचायत को पैसा मिलता है, नगरीय निकाय को पैसा मिलता है, दो साल के गौण खनिज की राशि यहां से रिलीज नहीं हुई है। ये वित्तीय स्थिति है। माननीय नारायण चंदेल जी बोलते हैं कि पाकिस्तान जैसी स्थिति है, यही पाकिस्तान जैसी स्थिति है कि लोगों को गौण खनिज का पैसा नहीं मिल रहा है। ये गौण खनिज का पैसा मिलना चाहिए।

श्रीमती रश्मि आशिष सिंह :- भैया, इस सरकार को आये 14 महीने ही हुए हैं। दो साल से नहीं मिला है।

श्री सौरभ सिंह :- दीदी, 14 महीने का भी तो पैसा है न। जब पैसा होता है, एक साल के बाद दूसरे साल के बाद तीसरे साल पैसा आता है। पिछले Financial year का पैसा भी रिलीज नहीं हुआ है, इस Financial year का पैसा रिलीज नहीं हुआ है तो दो साल हो गये न। माननीय सभापति महोदय, एक अंतिम भ्रष्टाचार का उदाहरण देना चाहता हूं। सूचना के अधिकार से अकलतरा नगरपालिका में यह जानकारी निकली कि जेम पोर्टल से कोई प्रभारी यहां से भेजे गये थे जो वहां के सी.एम.ओ. थे। 20 हजार रूपये में एक डस्टबिन खरीदा है। आर.टी.आई. की जानकारी है। 20 हजार रूपये में डस्टबिन है, ऐसे गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ की बात हो रही है। हम तो बोलते हैं बोरबो नवा छत्तीसगढ़। आपने बोलने का मौका दिया धन्यवाद।

सभापति महोदय :- श्री रजनीश सिंह । सभा की कार्यवाही गुरूवार, दिनांक 27 फरवरी, 2020 को 11 बजे दिन तक के लिये स्थगित।

(05 बजकर 56 मिनट पर विधानसभा की कार्यवाही गुरूवार, दिनांक 27 फरवरी, 2020 (फाल्गुन 8, शक सम्वत् 1941) के पूर्वाह्न 11:00 बजे तक के लिये स्थगित हुई।)

रायपुर (छत्तीसगढ़)
दिनांक : 26 फरवरी, 2020

चन्द्र शेखर गंगराड़े
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं